

ISSN-0971-8397



योजना



मई 2021

विकास को समर्पित मासिक

₹ 22

संघीय संरचना



प्रमुख आलेख

नीति आयोग : संघवाद की नई परिभाषा
राजीव कुमार

फोकस

गुजरात की विकास कथा
विजय रूपाणी

विशेष आलेख

एक राष्ट्र-एक चुनाव
के एफ विलफ्रेड

महाराष्ट्र : साठ साल से
ज्यादा का सफर



जीएसटी राजस्व संग्रह का कीर्तिमान

‘चाणक्य के चंद शब्द जीएसटी की समूची प्रक्रिया को अपने अंदर समेटे हैं। उन्होंने कहा था- ‘लक्ष्य बहुत मुश्किल हो तो भी उसे तपस्या और कड़ी मेहनत से हासिल किया जा सकता है।’ 29 राज्यों, 7 संघ शासित प्रदेशों, केन्द्र के 7 और प्रांतों के 8 करों तथा अलग-अलग वस्तुओं के लिये विभिन्न टैक्सों का हिसाब लगायें तो कुल 500 कर बैठते हैं। आज इन सभी करों को खत्म कर दिया जायेगा। अब गंगानगर से इटानगर और लेह से लक्ष्मीप तक ‘एक राष्ट्र-एक कर’ होगा।’

— प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी,

संसद के केन्द्रीय कक्ष में 1 जुलाई, 2017 को राष्ट्र को जीएसटी समर्पित करते हुए


व


स्तु और सेवा कर (जीएसटी) क्रेडिट इनवॉयस प्रणाली पर आधारित एक उपभोग टैक्स है। इसमें आपूर्ति शृंखला में क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह के साथ ही हर चरण में सिर्फ मूल्य संबद्धन पर कर लगाया जाता है। इसमें भारत में बड़ी संख्या में पहले से मौजूद वैसे उपभोग करों को शामिल कर लिया गया है जिसका प्रबंधन केन्द्र और राज्य अलग-अलग करते थे। इसके परिणामस्वरूप एक बेहद तार्किक कराधान ढांचे का जन्म हुआ है।

जीएसटी के आच्छादन तंत्र ने निस्संदेह केन्द्र और राज्य सरकारों के कर प्रबंध को एकीकृत किया है। इस तरह करदाताओं के लिये जीएसटी करों का एकल इंटरफेस बन गया है। इसने सूचना प्रौद्योगिकी का एक ऐसा आधार तैयार किया है जिसमें मदद के स्तर पर आवक और बहिर्गमी आपूर्ति के विवरण का मिलान होगा। इससे करों का शृंखलाबद्ध प्रभाव खत्म होगा और विश्व बाजार में भारत से निर्यात ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेगा। इसके साथ ही इसने वस्तुओं की अंतर-राज्यीय दुलाई के लिये जांच चौकियों की अरसे से चली आ रही प्रणाली

को हमेशा के लिये खत्म कर दिया है। देश के औद्योगिक परिदृश्य में बदलाव लाने वाला जीएसटी वित्तीय संघवाद का एक ऐसा प्रयोग है जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया।

जीएसटी से संबंधित कानूनों को हर चरण में कई दफा प्रतिक्रिया के लिये सार्वजनिक मंच पर रखा गया। इससे सभी हितधारकों को लोकतंत्र की सच्ची भावना के तहत इस बात पर विचार करने का मौका मिला कि वे किस तरह के भविष्य की रचना में मददगार बनना चाहते हैं। जीएसटी मुख्य रूप से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है। अंतर-राज्यीय आपूर्ति की स्थिति में इसे समेकित जीएसटी (आईजीएसटी) कहते हैं जिसे केन्द्र सरकार लगाती है। इसका प्रबंध केन्द्र और राज्य मिल कर करते हैं और बाद में इसे दोनों के बीच बांटा जाता है। राज्य के भीतर आपूर्ति में इस कर के दो भाग होते हैं। इनमें से पहले भाग, केन्द्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) को केन्द्र सरकार लगाती है। दूसरे भाग राज्यीय जीएसटी (एसजीएसटी) को राज्य या संघ शासित प्रदेश का प्रशासन लगाता है।





वरिष्ठ संपादक : कुलश्रेष्ठ कमल
संपादक : डॉ ममता रानी

संपादकीय कार्यालय

648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003

उत्पादन अधिकारी : के रामालिंगम
आवरण : गजानन पी धोपे

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवन में उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने और व्यक्तिगत हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं है।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना लेखकों द्वारा आलेखों के साथ अपने विश्वसनीय स्रोतों से एकत्र कर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों/तालिकाओं/इन्फोग्राफिक्स के संबंध में उत्तरदायी नहीं है।

योजना घर मांगने, शुल्क में छूट के साथ दरों व प्लान की विस्तृत जानकारी के लिए पृष्ठ-55 पर देखें।

योजना की सदस्यता का शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही योजना प्राप्त न होने की शिकायत करें।

योजना न मिलने की शिकायत या पुराने अंक मांगने के लिए नीचे दिए गए ई-मेल पर लिखें -
pdjucir@gmail.com

या संपर्क करें- दूरभाष: 011-24367453
(सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर
प्रातः 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक)

योजना की सदस्यता की जानकारी लेने तथा विज्ञापन छपाने के लिए संपर्क करें-

गौरव शर्मा, संपादक, पत्रिका एकांश
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003

इस अंक में

प्रमुख आलेख

नीति आयोग : संघवाद की नई परिभाषा
राजीव कुमार, उर्वशी प्रसाद,
देवाशीष धर 6



फोकस

गुजरात की विकास कथा
विजय रूपाणी 11



महाराष्ट्र : साठ साल से ज्यादा का सफर
योजना टीम 16

विशेष आलेख

एक राष्ट्र-एक चुनाव
के एफ विल्फ्रेड 21



प्रकाशन विभाग के देश भर में स्थित विक्रय केंद्रों की सूची के लिए देखें पृ.सं. 25

हिन्दी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओडिया,
पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित।

कोविड 19 में राजकोषीय संघवाद
डॉ सज्जन एस यादव, सूरज के प्रधान 27
कौशल विकास का बेहतर ढांचा
जूथिका पाटणकर, डॉ मनीष मिश्र 33



संघवाद की चुनौतियां और
आगे का रास्ता

समीरा सौरभ 38
रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम आबंटन
डॉ प्रताप सी मोहन्ती, डॉ करुण रावत 48
योजना - सही विकल्प 52

आजादी का अमृत महोत्सव

स्वतंत्रता के बाद मानव विकास में प्रगति
नरेश गुप्ता 42



नियमित स्तंभ

क्या आप जानते हैं?
एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड
(ओएनओआरसी)
मेरा राशन मोबाइल ऐप 57

विकास पथ
जीएसटी राजस्व संग्रह का
कीर्तिमान कवर-2



आपकी राय



आत्मनिर्भरता की ओर

योजना मार्च अंक अपने आप एक विशेष अंक था, जिसके अन्तर्गत कई आकर्षित करने वाले तत्व थे- आम बजट, आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के कदम, किसानों के बेहतरी के लिए बजट में किये गये प्रावधान। इसके अलावा समावेशी विकास पर भी अहम प्रस्तुति रही। मुझे इस अंक से काफी सारी जानकारी एक ही स्थान पर मिल गई है। अंक की प्रस्तुति के लिए योजना टीम को धन्यवाद देता हूँ।

- जितेंद्र कुमार
मुजफ्फरपुर, बिहार

'जल जीवन मिशन' पर 'गागर में सागर' जैसा अंक

'जल' देखने में छोटा सा शब्द है, लेकिन यह अपने आप में संपूर्ण संसार के जीवन को समाहित किए हुए है। जीवन के लिए पानी अमृत तुल्य है और इसे एक ऐसी उपयोगी बस्तु माना जाता है जिस पर सबका अधिकार है।

'योजना' का अप्रैल माह का अंक 'जल जीवन मिशन' पर केन्द्रित रहा, जिसमें जल के बारे में समग्र विश्लेषण बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक तरीके से प्रस्तुत किया गया। संपादकीय में ऋग्वेद से लेकर वर्तमान तक की स्थिति को बहुत ही कम शब्दों में 'गागर में सागर' की भाँति समझाया गया, भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है इसकी भी जानकारी दी गई; साथ ही इसमें जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पाइप लाइन से जल उपलब्ध कराने की जानकारी भी प्रदान की गई।

जल का महत्व प्रत्येक युग, प्रत्येक काल एवं प्रत्येक स्थान पर रहा है एक ओर जहां सभी प्राचीन संस्कृतियां नदियों के किनारे ही फली फूली तो दूसरी ओर सभी बड़े नगर और औद्योगिक केंद्र भी नदियों के किनारे ही स्थित हैं। संपूर्ण पृथ्वी के 71 प्रतिशत भाग पर जल है, परन्तु उपयोग में आने वाला जल बहुत कम है, पृथ्वी का जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है चारों तरफ कंक्रीट के जंगल स्थापित हो गए हैं। ऐसे में भारत सरकार द्वारा 'जल जीवन मिशन' प्रारंभ किया गया जो आशा कि एक नई उम्मीद लेकर सामने आया है। अटल भूजल योजना देश में उस समय पर आई है जब हमारे करीब 22 प्रतिशत भूजल संसाधन या तो नाजुक या अत्यधिक दोहन वाली श्रेणी में आ चुके हैं।

कोई भी अभियान सिर्फ सरकार द्वारा सफल नहीं बनाया जा सकता बल्कि उसके लिए जन साधारण की अद्वितीय भूमिका होती है। जन जागरूकता से किसी लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 'स्वच्छ भारत अभियान' है, इसी अभियान की वजह से ग्रामीण स्वच्छता का कवरेज 100 प्रतिशत पहुंच गया है। सरकार और जन

सहयोग के माध्यम से जल का भी उचित प्रबंधन करके सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

- माधवेन्द्र मिश्रा
रायबरेली, उत्तर प्रदेश

भारतीय साहित्य के प्रति रुचि बढ़ी

योजना का फरवरी 2021, "भारतीय साहित्य" नामक विशेषांक प्रस्तुत करने के लिये संपादकीय टीम का बहुत धन्यवाद।

योजना के इस अंक को पढ़कर भारतीय साहित्य के प्रति प्रेम और रुचि बढ़ गयी है। भारतीय साहित्य विश्व साहित्य में अपनी एक अलग जगह बनाता है, और उसके प्रति जानने के लिये सबको आकर्षित करता है। भारतीय उप-महाद्वीप में रचित साहित्य की विविधता को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जायेगा। इक्कीसवीं सदी में भारत के साहित्य के प्रति और जागरूकता लाने के लिये यह अंक पूर्णता प्रदान करता है। खास तौर से सिविल सर्विसेज तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले स्टूडेंट के लिये यह अंक लाभकारी साबित होगा।


- योगिता गाडेकर
संगमनर, महाराष्ट्र

योजना के आगामी अंक


जून 2021-'स्वास्थ्य एवं पर्यावरण'
आज ही अपनी प्रति निकटतम पुस्तक विक्रेता
के पास सुरक्षित कराएं।

शीघ्र आ रहा है - पूर्वोत्तर भारत पर केंद्रित अंक

योजना, मई 2021



संपादकीय



एकता में अटूट शक्ति

“देशीय सरकार में एकता और सहयोग अनिवार्य तत्व हैं।”

— सरदार वल्लभभाई पटेल

कु

छ दशक पूर्व जब हम संघीय संरचना की बात करते थे तो आम तौर पर मन में उसका एकआयामी चित्र उभरता था जिसमें सभी राज्यों के शीर्ष पर केंद्र होता था। हमने शायद ही कभी इसे राज्यों के बीच तालमेल के रूप में या फिर एक साथ विकसित होने और आगे बढ़ने की समान रणनीति के तौर पर देखा। हालांकि, यह सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद पर आधारित संघीय संरचना का नव युगीन दृष्टिकोण है जिसे नीति आयोग के गठन के साथ परिभाषित और पुनर्मूल्यांकित किया गया है। अनिवार्य रूप से संघवाद दो सरकारों- एक क्षेत्रीय स्तर पर और दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर - को समायोजित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र है। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त है। भारतीय संविधान एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय संरचना का प्रावधान प्रदान करता है। यह ‘फेडरेशन’ यानी संघ शब्द का प्रयोग नहीं करता है और भारत को “राज्यों का संघ” के रूप में वर्णित करता है जिसका अर्थ है कि कुछ एकात्मक विशेषताओं के साथ ‘सहकारी’ स्वरूप। संघ, राज्य और समवर्ती सूचियां केंद्र और राज्य के दायित्वों और कार्यों का सीमांकन करती हैं।

गुजरात और महाराष्ट्र राज्य । मई को अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। संसद ने ‘बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960’ पारित किया, जिसमें कहा गया था कि “नियत दिन (1 मई, 1960) से गुजरात राज्य के रूप में जाना जाने वाला एक नया राज्य बनाया जाएगा जिसमें बंबई राज्य से निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे... और उसके बाद उक्त क्षेत्र बंबई राज्य का हिस्सा नहीं रहेंगे शेष बंबई राज्य महाराष्ट्र राज्य के रूप में जाना जाएगा। दोनों राज्य पहली मई 2021 को अपनी स्थापना के 61 वर्ष पूरे कर रहे हैं।” इन राज्यों पर प्रकाशित लेख पाठकों को पिछले छह दशकों के दौरान उनके विकास और परिवर्तन की यात्रा पर ले जाते हैं।

संघवाद को संसाधनों के विकेंद्रीकरण के साथ लगातार केंद्र और राज्यों के बीच एक कठिन संतुलन बनाए रखना होता है, कमजोर कड़ी पर ध्यान देते हुए सभी को मजबूती प्रदान करना, स्वास्थ्य, स्वच्छता रैंकिंग आदि के रूप में राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करना है। इसके पीछे उद्देश्य है एक संस्कृति और मूल्यों और आपसी विश्वास जैसे नैतिक गुणों की श्रेणी विकसित करना और लोगों और नीतियों के बीच सहयोग की भावना बढ़ाना। यह एकता के साथ-साथ विविधता को स्वीकार करना और सराहना है और साथ ही सीमाओं का सम्मान करने के साथ-साथ सीमाओं से परे जाना है।

ऐसी संरचना के लिए दी जाने वाली सबसे आम उपमा है ‘मस्तिष्क’ और ‘शरीर के अंग’। जिस तरह से वे एक दूसरे के साथ सम्पूर्ण सामंजस्य में काम करते हैं उसी प्रकार संघवाद की भावना, मन और आत्मा भी है। पूरे शरीर के सुचारू संचालन और विकास के लिए प्रत्येक अंग दूसरे पर निर्भर है। विविधताओं और स्वायत्ता की मांग के प्रति उत्तरदायी राज्य शासन विधि ही सहकारी संघवाद का आधार हो सकती है।

हालिया महामारी ने हमें इस संबंध में कई सबक सिखाए हैं। सभी सीमाओं और संसाधनों की परिणति वायरस के साथ सामूहिक संघर्ष में हुई है। जितना निर्बाध सामंजस्य केंद्र और राज्यों के बीच होगा और जितनी रचनात्मक सहमति से वे दोनों एक दूसरे के सहयोगी और प्रतिपूरक होंगे उतना ही वे साथ साथ इस संकट से गुजरते हुए उसका मजबूती से सामना करने में सक्षम होंगे। ■

नीति आयोग : संघवाद की नई परिभाषा


राजीव कुमार
उर्वशी प्रसाद
देवाशीष धर

नीति आयोग विकास योजनाओं का निरूपण और उनकी समीक्षा करने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी के जरिए सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के दोहरे अधिदेश का पालन करने के लिए प्रयत्नशील है। राज्यों के साथ साझेदारियों के जरिए सुधारों और नीतिगत पहलों को व्यापक और प्रभावपूर्ण तरीके से लागू करने में भारत की सहायता करने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

राज्य की स्थायी विरासत राजनीतिक ताकत और इच्छाशक्ति, प्रशासन और शासन के साथ-साथ हार्ड पावर (यानी सैन्य और आर्थिक संसाधन) और सॉफ्ट पावर (यानी कूटनीति, संस्कृति आदि) सहित अनेक कारकों से परिभाषित की गई है। राज्य इनमें से अपने पास उपयोग के लिए उपलब्ध सबसे महत्वपूर्ण साधन— औपचारिक संस्थाओं के जरिए अपनी भूमिका को परिभाषित करता है। ये सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित मौजूदा दौर की चुनौतियों को समझने और सुलझाने के प्रति राज्य के दृष्टिकोण को प्रतिविम्बित करती हैं। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद के दौर में विकास के प्रति भारत के दृष्टिकोण का उदाहरण प्रकट करने वाली ऐसी एक संस्था-योजना आयोग थी। वर्ष 2015 में, यह उत्तरदायित्व नीति आयोग को सौंप दिया गया। हालांकि भारत के विकास के अति महत्वपूर्ण समान लक्ष्य के प्रति इन दोनों संस्थाओं के अधिदेश और दृष्टिकोण में काफी अंतर है।

दृष्टिकोण में फर्क नीति आयोग के गठन से संबंधित कैबिनेट प्रस्ताव में प्रतिविम्बित होता है, जिसमें महात्मा गांधी का यह उद्धरण शामिल किया गया है— “निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो मनुष्य हठधर्मिता के कारण लगातार एक जैसा दिखने का प्रयास करता है, ऐसे में वह स्वयं को भ्रामक स्थिति में ले जाता है।” योजना आयोग ने विकास की राह दिखाने के लिए वित्तीय संसाधनों को प्राथमिक लोअर के रूप में इस्तेमाल कर पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से संचालन किया। दूसरी ओर, नीति आयोग भारत के विकास की रफ्तार में तेजी लाने के लिए प्रमुख रूप से इंटलेक्चुअल फायर पावर (यानी किसी व्यक्ति की रणनीतिक रूप से सोचने और जटिल समस्याओं का समाधान तलाशने की क्षमता) के साथ ही साथ राज्य सरकारों, सामाजिक संगठनों और निजी क्षेत्र तथा नवोन्मेषकों के साथ सार्थक भागीदारियां स्थापित करने के दायित्व और क्षमता के जरिए संचालित होता है।

कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन



नीति आयोग

श्री राजीव कुमार, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ईमेल: vch-niti@gov.in
सुश्री उर्वशी प्रसाद और श्री देवाशीष धर नीति आयोग में सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ हैं।



भारत में बिजली

वितरण उपयोगिताओं की बेंचमार्किंग करना

अक्टूबर 2020

जहां एक ओर योजना आयोग ने निधियों के संवितरणकर्ता के रूप में कार्य किया, वहीं नीति आयोग समस्त हितधारकों विशेषकर राज्यों- जो देश में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के प्रधान एजेंट हैं, के साथ चिंतन साझेदार (थॉट पार्टनर) के रूप में कार्य करता है। जहां एक ओर, योजना आयोग राज्यों की राजकोषीय संप्रभुता का अतिक्रमण करता था, वहीं अब वे 'टॉप-डाउन डायरेक्शन' का पालन करने के लिए अधिदेशित होने के स्थान पर अपनी धनराशि का सर्वोत्तम उपयोग करने का अधिकार रखते हैं। समूचे भारत के विकास की रणनीति को एकपक्षीय रूप से निरूपित करने की केंद्र सरकार की पढ़दृति का स्थान अब नीति आयोग की राज्य सरकारों के साथ मिलकर विकास योजनाएं तैयार करने की कार्यशैली ले चुकी है, जिन्हें प्रत्येक राज्य के अनुरूप और उसकी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संचालित किया जाता है। भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरपूर, महाद्वीपीय आयामों से युक्त राष्ट्र के साथ यह दृष्टिकोण सर्वोक्तुष्ठ हो सकता है।

योजना आयोग ने उल्लेखनीय रूप से, भारतीय राज्यों के लिए 'वन साइज फिट्स ऑल' यानी 'सबके लिए एक जैसा' वाला दृष्टिकोण अपनाया। दूसरी ओर, नीति आयोग 'सबसे पहले राज्य' दृष्टिकोण से मार्गदर्शित है। उसके मूलभूत सिद्धांतों में सहकारी संघवाद (केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग) और प्रतिस्पर्धी संघवाद (राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन) शामिल हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोहरे अधिदेशों वाले ये दोनों स्तंभ एक-दूसरे के पूरक हैं तथा साझा उद्देश्यों के लिए केंद्र और राज्यों का मार्गदर्शन करते हुए, तथापि राज्य विशेष के अनुरूप क्रमबद्ध रूप से लागू किए जा रहे हैं। इसलिए, विकास को अवरुद्ध करने वाले दृष्टिकोण के स्थान पर नीति आयोग ने विकेंद्रीकृत और बॉटम-अप रणनीति अपनाई है और इस प्रकार

यह सुनिश्चित किया है कि केंद्र और राज्य सरकारें टीम इंडिया में समान साझेदारों के रूप में कार्य करें।

नीति आयोग विकास योजनाओं का निरूपण और उनकी समीक्षा करने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी के जरिए सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के दोहरे अधिदेशों का पालन करने के लिए प्रयत्नशील है। नीति आयोग ने राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों के बीच सीधे मुद्दों पर आधारित संवाद के लिए मंच भी उपलब्ध कराया है और इस प्रकार लंबित मामलों के त्वरित समाधान में भी सहायता प्रदान की है। पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम की स्थापना की गई है और नीति फोरम द्वारा उपलब्ध कराए गए पांच स्तंभों सहित

समग्र ढांचे के अंतर्गत पूर्वोत्तर परिषद की साझेदारी से राज्यों द्वारा क्षेत्र विशेष से संबंधित ठोस प्रस्तावों को लागू किया जा रहा है। इसके अलावा, नीति आयोग ने द्विपों के विकास के लिए कुछ प्रमुख पहलों को निरूपित किया है, जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरणों द्वारा गृह मंत्रालय के समग्र मार्गदर्शन के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है।

नीति आयोग देश भर में एक नवाचार प्रणाली को प्रोत्साहन देने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।
अटल नवाचार मिशन (एआईएम)
देश के कोने-कोने में नवाचार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देने वाली नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है, जो आने वाले वर्षों में भारत की नवाचार और उद्यमिता संबंधी जरूरतों के बारे में विस्तृत अध्ययन और विचार-विमर्श पर आधारित है। एआईएम ने स्कूल, विश्वविद्यालय, उद्योग के स्तरों पर नवाचार एवं उद्यमिता की एक समेकित प्रणाली की स्थापना के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाया है तथा एनजीओ, उद्यम पूँजी और निजी उद्योगों को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है।

यह इस बात की भी परिकल्पना करता है कि आने वाले महीनों में पूर्वोत्तर के नीति फोरम की तरह ही, निकटस्थ राज्यों की अन्य क्षेत्रीय परिषदों का भी गठन किया जा सकता है। इससे निकटस्थ राज्यों में से प्रत्येक के विकास के पथ का निरूपण करते समय समान क्षेत्रीय मसलों और चुनौतियों को शामिल किया जा सकेगा। हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद के गठन तथा इन राज्यों में स्थित तेरह केंद्रीय विश्वविद्यालयों के गठबंधन की स्थापना के साथ ही पहला कदम उठाया जा चुका है। ये विश्वविद्यालय सभी 13 हिमालयी राज्यों के समान मसलों के बारे में शोध कार्य कर रहे हैं।

नीति आयोग अपने क्षेत्रवार सूचकांकों को सार्वजनिक क्षेत्र में प्रस्तुत करने के माध्यम से प्रतिस्पर्धी संघवाद को सैद्धांतिक रूप से बढ़ावा

एसडीजी इंडिया

सूची और डैशबोर्ड-2020-21
क्रियान्वयन में भागीदारी

शीघ्र उपलब्ध होगा



देता है। जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, नवाचार, नीरात की तैयारी और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) ने महत्वपूर्ण रूप से सकारात्मक ध्यान आकृष्ट किया है। ये सूचकांक तकनीकी मापदंडों के विस्तृत और कठिन विश्लेषण पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए 'स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की उपलब्धियां (यानी पर्फॉर्मेंस इन हैल्थ इनिशिएटिव)' से संबंधित सूचकांक स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्यों की समग्र उपलब्धियों के साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए बदलावों, शासन और प्रक्रियाओं में हुए वार्षिक सुधारों को प्रस्तुत करता है। इसी तरह, संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक विस्तारपूर्वक यह दर्शाता है कि समय के साथ राज्यों ने जल से संबंधित मामलों पर किस प्रकार प्रगति की है, जिसमें उच्च प्रदर्शन करने वालों को मान्यता देने के साथ-साथ सभी राज्यों की ओर से गहन संलग्नता और निवेश के लिए क्षेत्रों की पहचान किया जाना शामिल है। 'स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक' का लक्ष्य भारत में शिक्षा संबंधी उपलब्धियों (शिक्षण, पहुंच, इकावटी) में सुधार लाने संबंधी फोकस को संस्थागत रूप प्रदान करना है। इस सूची में स्कूल शिक्षा क्षेत्र की समग्र प्रभावशीलता और दक्षता को प्रभावित करने वाले संकेत शामिल हैं।

इसने हमारे महत्वाकांक्षी 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' में प्रतिस्पर्धा का कारक जोड़ दिया है, जिसका उद्देश्य इन जिलों के शासन में सुधार लाना तथा जमीनी स्तर पर सरकारी एजेंसियों और संगठनों के बीच प्रभावी तालमेल पर ध्यान केंद्रित करते हुए मानव विकास संकेतकों को बढ़ाकर राष्ट्रीय औसत तक ले जाना है। इन जिलों ने स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा मूलभूत बुनियादी सुविधाओं से संबंधित संकेतकों में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाया है और नीति आयोग द्वारा इनकी समयोचित आधार पर निगरानी की जा रही है। इनके अतिरिक्त, इन जिलों से शासन की अनेक उत्कृष्ट पद्धतियां उभरकर सामने आई हैं, जिन्हें बढ़ाया जा रहा है और कुछ राज्यों में ब्लॉक स्टर्नों पर दोहराया जा रहा है।

नीति आयोग ने केंद्र सरकार के उपयुक्त मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकारों की एजेंसियों के साथ साझेदारी के साथ कार्यान्वयन के लिए नई नीतिगत जानकारियां उपलब्ध कराई हैं और निरंतर करा रहा है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, खनन क्षेत्र में सुधार, साथ ही साथ महिलाओं और बच्चों के कुपोषण

के खिलाफ अभियान, कुछ ऐसे ही क्षेत्रों के उदाहरण हैं, जहां नीति आयोग ने अपने छह वर्षों के अस्तित्व के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत जानकारियां प्रदान की हैं।

नीति आयोग राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक का मसौदा तैयार करने, साथ ही साथ भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और होम्योपैथी की शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने से संबंधित विधेयकों का मसौदा तैयार करने में सम्मिलित रहा है। संसद के दोनों सदन इन तीनों विधेयकों को पारित कर चुके हैं, जिससे देश में विश्वस्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्रणाली तैयार करने का मार्ग प्रस्तुत हो गया है। नीति आयोग संभवतः स्वास्थ्य से जुड़ी विश्व की सबसे बड़ी पहल आयुष्मान भारत का निरूपण और निगरानी करने में पूरी तरह शामिल रहा है। इसी तरह पोषण अभियान योजना में भी नीति आयोग ने प्रमुख भूमिका निभाई है। सरकार ने यह योजना किसी व्यक्ति अथवा परिवार की पोषण की स्थिति को प्रभावित करने वाले स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच जैसे अनेक परस्पर संबद्ध कारकों पर विचार करते हुए उचित संचालन ढांचा प्रदान करने के लिए प्रारंभ की थी। नीति आयोग ने तीन राज्यों में एसएटीएच-'मानव पूँजी परिवर्तन के लिए सतत कार्रवाई' (यानी 'सरटेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल') भी लागू की है, जिनकी उत्कृष्ट पद्धतियों को अन्य राज्यों में भी दोहराया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का रोडमैप सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों के साथ साझा किया गया है।

समूचे भारत के विकास की रणनीति को एक पक्षीय रूप से निरूपित करने की केंद्र सरकार की पद्धति का स्थान अब नीति आयोग की राज्य सरकारों के साथ मिलकर विकास योजनाएं तैयार करने की कार्यशैली ले चुकी है, जिन्हें प्रत्येक राज्य के अनुरूप और उसकी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निरूपित किया जाता है।

नीति आयोग के दस्तावेज 'नये भारत के लिये रणनीति@75' (यानी 'स्ट्रेट्जी फॉर न्यू इंडिया@75') में अनेक नीतिगत सुझाव निहित हैं। इस सात वर्षीय रणनीति की तैयारी, इस दस्तावेज में जानकारी


समाहित करने के लिए विषय विशेषज्ञों, राज्य और केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों तथा सामाजिक संगठनों के साथ व्यापक रूप से विचार-विमर्श किए जाने की आवश्यकता थी। कुल मिलाकर सरकार के भीतर और बाहर के लगभग 1400 हितधारकों के साथ परामर्श किया गया और अनेक पुनरावृत्तियां की गईं, ताकि इस दस्तावेज में सरकार का समग्र दृष्टिकोण परिलक्षित किया जाना सुनिश्चित हो सके।

नीति आयोग के मुख्य कार्यों और महत्वपूर्ण अधिदेशों में से एक आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क तैयार करना तथा

केंद्र सरकार की योजनाओं और पहलों का कड़े ढंग से मूल्यांकन करना है। यह कार्य विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) ने किया। इसने केंद्र द्वारा प्रार्थित 125 योजनाओं का मूल्यांकन किया, ताकि उन्हें 14वें वित्त आयोग की अवधि से लेकर 15वें वित्त आयोग की अवधि में जारी रखने के बारे में निर्णय लिया जा सके। डीएमईओ ने व्यव विभाग द्वारा 65 से ज्यादा मंत्रालयों/विभागों के लिए परिणाम बजट तैयार किए जाने का भी समर्थन किया। इसके अतिरिक्त डीएमईओ ने प्रधानमंत्री द्वारा सामर्थ्यक समीक्षा के लिए केंद्र सरकार के अवसरचना से संबंधित विभागों की प्रगति का भी जायजा लिया। इसके अलावा यह परिणाम आधारित कार्य निष्पादन के मूल्यांकन की दक्षता में सुधार लाने के लिए कार्यपद्धति में सुधार ला रहा है और अपने मानव संसाधन आधार पर मजबूत बना रहा है।

सरकार के सभी स्तरों पर शासन में सुधार लाने के लिए डीएमईओ समान क्षमता स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ सहयोग कर रहा है। इसके अतिरिक्त, नीति आयोग सभी राज्यों में एसडीजी की प्रगति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। साथ ही प्रौद्योगिकी आधारित समयोचित निगरानी क्षमताएं (यानी रियल-टाइम टेक्नोलॉजी-बेस्ड मॉनिटरिंग केपेसिटीज़्) स्थापित करने के लिए उनके साथ संपर्क बनाए हुए हैं, जिनसे प्रत्येक राज्य में विकास की प्रक्रिया में एसडीजी को मुख्य धारा में लाने में मदद मिलेगी।

नीति आयोग देश भर में एक नवाचार प्रणाली को प्रोत्साहन देने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। अटल नवाचार मिशन (एआईएम) देश के कोने-कोने में नवाचार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देने वाली नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है, जो अनेक वर्षों में भारत की नवाचार और उद्यमिता संबंधी जरूरतों के बारे में विस्तृत अध्ययन और विचार-विमर्श पर आधारित है। एआईएम ने स्कूल, विश्वविद्यालय, उद्योग के स्तरों पर नवाचार एवं उद्यमिता की एक समेकित प्रणाली की स्थापना के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाया है तथा एनजीओ,



पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम की स्थापना की गई है और नीति फोरम द्वारा उपलब्ध कराए गए पांच स्तंभों सहित समग्र ढांचे के अंतर्गत पूर्वोत्तर परिषद की साझेदारी से राज्यों द्वारा क्षेत्र विशेष से संबंधित ठोस प्रस्तावों को लागू किया जा रहा है। इसके अलावा, नीति आयोग ने द्वीपों के विकास के लिए कुछ प्रमुख पहलों को निरूपित किया है, जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरणों द्वारा गृह मंत्रालय के समग्र मार्गदर्शन के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है।

उद्यम पूंजी और निजी उद्योगों को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। एआईएम स्कूलों के विद्यार्थियों में अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) के माध्यम से नवाचारी मानसिकता को बढ़ावा दे रहा है, जो अटल उद्भवन केंद्रों (एआईसी) द्वारा प्रोत्साहित स्टार्ट-अप्स में योगदान करेंगे। अब तक 7100 से अधिक एटीएल को मंजूरी दी गई है, जिनके तहत 110 आकांक्षी जिलों सहित भारत के 90 प्रतिशत जिले कवर हो रहे हैं।

आने वाले वर्षों में भारत को इसी तरह के प्रयास निरंतर जारी रखने होंगे, जिनमें केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को देश के सबसे जटिल मसले सुलझाने तथा वृद्धि के लिए एक साथ आना होगा। हमारी युवा आबादी की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत को अगले तीन दशकों के लिए सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी की उच्च वृद्धि दर बनाए रखनी

होगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयासों के तहत, निरंतर और समावेशी विकास सुनिश्चित कर सकने वाली नयी आधारशिला रखने की दिशा में निरंतर ढांचागत सुधार महत्वपूर्ण होंगे। इन सुधारों को लाने तथा नीतिगत कदमों को व्यापक और प्रभावपूर्ण ढंग से राज्यों की साझेदारी के साथ लागू करने में भारत की सहायता करने में नीति आयोग को एक अहम भूमिका निभानी होगी।

सभी के लिए रोज़गार के साधनों का सृजन करने वाली त्वरित, निरंतर और स्वच्छ वृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के लिए उपयुक्त वास्तविक और सामाजिक अवसंरचना में निवेश करना पहली आवश्यकता है। नीति आयोग अपनी बौद्धिक व्यापकता और गहराई के साथ भारत को इन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता देने के लिए बहुत उपयुक्त स्थिति में मौजूद है। पिछले छह वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा कई साहसी सुधार किए गए हैं। अब इन सुधारों को अक्षरशः लागू करना तथा देश को वृद्धि के अगले मोर्चे तक पहुंचने में सहायता करना राज्यों पर निर्भर करता है।

उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कानून पास किया है। इस सुधार को लागू करने तथा पैदावार में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी करने तथा किसानों की आमदनी दोगुनी करने का मार्ग प्रशस्त करने का दायित्व अब राज्य सरकारों का है। इस प्रक्रिया में, अनुपालन का बोझ घटाने, पुरातनिक कानूनों को समाप्त करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी की सभी संभावनाओं को अनुमति देने जैसे इन नवाचारी सुधारों को अपने मुताबिक ढालने और लागू करने में राज्य नीति आयोग पर एक साझेदार के रूप में भरोसा कर सकते हैं। आखिरकार भारत को उच्च वृद्धि के पथ पर ले जाने और वृद्धि के फायदों का सभी में समान रूप से वितरण सुनिश्चित करने का दायित्व केंद्र और राज्य दोनों का ही है। सहाचारी संघवाद को मजबूती प्रदान करने की दिशा में नीति आयोग निरंतर अपना कार्य जारी रखेगा, इस प्रकार भारत की सफलता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्यों दोनों समान साझेदारों के रूप में मिल-जुलकर कार्य करने में समर्थ बनाता रहेगा। ■

ગુજરાત કી વિકાસ કથા

વિજય રૂપાણી

ગુજરાત જબ વૃહત મુંબઈ સે અલગ હોકર એક પૃથક રાજ્ય કે રૂપ મેં અસ્તિત્વ મેં આયા ઉસ સમય હમારે સામને અનેક ચુનौતિયાં થીં।

ઉસ વક્ત ગુજરાત કે પાસ પર્યાપ્ત ખેતી યોગ્ય જમીન, પશુપાલન યોજનાએં ઔર સિંચાઈ કે લિયે પાની યા બિજલી કી સુવિધાએં નહીં થીં। અચ્છી સડકોં કે જાલ, સુગમ પ્રશાસન કે લિયે જરૂરી અવસરંચના, સરકારી કાર્યાલય, પ્રૌદ્યોગિકી, ઉદ્યોગ, શૈક્ષિક સંસ્થાન તથા સ્વાસ્થ્ય સેવા જૈસી વિભિન્ન સુવિધાઓં કો વિકસિત કરને કી જરૂરત થી।

પ

હલી મई 1960 કો સ્થાપના કે બાદ ગુજરાત રાજ્ય 60 સે અધિક વર્ષ પૂરે કર ચુકા હૈ। ઉસને સુશાસન, જનોન્મુખ પ્રશાસન, સમગ્ર વિકાસ, શાંતિ ઔર સુરક્ષા તથા જનકલ્યાણ કે લિયે પ્રભાવી ઢંગ સે કામ કરતે હુએ અપની એક અલગ પહેંચાન બનાયી હૈ। ઇસસે ભારત ઔર વિશ્વ ભર મેં મૌજૂદ 6.5 કરોડ ગુજરાતીયોં કે ગૌરવ મેં વૃદ્ધિ હુઈ હૈ। વ્યવસાય સુગમતા કો બદ્દાવા દેને કે બાદ અબ ગુજરાત જીવન સહજતા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર રહા હૈ। ગુજરાત રાજ્યોં કે લિયે એક આર્દ્ધ ઔર ભારત કા વિકાસ ઇંજન બન ગયા હૈ। ગુજરાત કો વિકાસ કા પર્યાપ્ત માના જાને લગા હૈ।

ગુજરાત કી પહેંચાન ઉસકે ભૂગોળ, કલા, સાંસ્કૃતિક વિરાસત, શિક્ષા, સાહિત્ય, રાજનીતિ, તીર્થસ્થળોં, સંત-સેવકોં, મહાપુરુષોં, પરંપરાઓં, રિવાજોં, ખાનપાન, ત્વૌહારોં, અતિથ્ય, પર્યટન, ભાષાઓં ઔર બોલિયોં, પ્રાચીન ઔર ઐતિહાસિક સ્થાનોં, શાંતિ ઔર સુરક્ષા, સામાજિક સુરક્ષા, કાનૂન વ્યવસ્થા, ઉદ્યોગોં, રોજગાર, કૃષિ, પશુપાલન, આધુનિક અવસરંચનાઓં ઇત્યાદિ સે હૈન। મહાત્મા ગાંધી, સરદાર પટેલ ઔર શ્રી નરેન્દ્ર મોદી જૈસે કર્મઠ, દૂરદર્શી ઔર નિદર નેતા ગુજરાત કી વિશિષ્ટતા બન ગયે હૈન।

ગુજરાત કે પહેલે મુખ્યમંત્રી ડૉ જીવરાજ મેહતા થે। ઉનકે બાદ બલવંતરાય મેહતા, હિતેન્દ્રભાઈ દેસાઈ, ઘનશ્યામભાઈ ઓઝા, ચિમનભાઈ પટેલ, બાબુભાઈ જે પટેલ, માધવસિંહ સોલંકી, અમરસિંહ ચૌધરી, છીલદાસ મેહતા, સુરેશચન્દ્ર મેહતા, શંકરસિંહ વાધેલા, દિલીપભાઈ પારીખ, કેશુભાઈ પટેલ ઔર શ્રી મોદી ને ગુજરાત કી વિકાસ યાત્રા કો આગે લે જાને કે લિયે કામ કિયા। ગુજરાત કે દૈદીયમાન પુત્ર ઔર ભારત કે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી 2001 મેં રાજ્ય કે સવસે કમ ઉપ્ર કે મુખ્યમંત્રી બને। ઉન્હોને લગાતાર 14 વર્ષોં તક ઇસ પદ પર રહતે હુએ રાજ્ય કી સેવા કીં।

શ્રી મોદી કી દેશવ્યાપી લોકપ્રિયતા, કડી મેહનત ઔર ગુજરાત કે વિકાસ પુરુષ કે રૂપ મેં પહેંચાન કી બદૌલત 2014 કે લોકસભા ચુનાવોં મેં રાષ્ટ્રીય જનતાંત્રિક ગઠવંધન કો સ્પષ્ટ બહુમત મિલા। ઇસકે બાદ 26 મई, 2014 કો શ્રી મોદી ને ભારત કે પ્રધાનમંત્રી કા કાર્યભાર ગ્રહણ કિયા।

શ્રી મોદી ને ગુજરાત મેં અનેક યોજનાએં લાગુ કીં। ઇનમેં કેવડિયા મેં સબસે ઊંચી પ્રતિમા-સ્ટેચ્યુ ઔફ યૂનિટી, ક્રાંતિ તીર્થ માંડવી, કૃષિ મહોત્સવ, ગરીબ કલ્યાણ મેલા, ચિંતન શિવિર, જ્યોતિશ્રામ યોજના, ચરણકા સોલર પાર્ક, મહાત્મા મંદિર-ગાંધીનગર, કન્યા કેલવણી-શાલા પ્રવેશોત્સવ, ગુણોત્સવ, મોઢેરા સૂર્ય મંદિર મેં ઉત્તરાર્દ્ધ મહોત્સવ, વાઇબ્રેટ ગુજરાત નિવેશ સમેલન, અહમદાબાદ મેં સાબરમતી નરી ટટ, બન મહોત્સવ-સાંસ્કૃતિક વનોં કા સૃજન, આદિવાસીયોં કે લિયે વનબંધુ કલ્યાણ યોજના તથા નાવિકોં કે વાસ્તે સાગરખેડૂ સર્વાંગી કલ્યાણ યોજના પ્રમુખ હૈન।

ઉનકે કાર્યકાલ મેં કર્દી વિશ્વવિદ્યાલયોં કી સ્થાપના કી ગયી। ઇનમેં પર્દિત દીનદયાલ પેટ્રોલિયમ વિશ્વવિદ્યાલય, ગુજરાત રાષ્ટ્રીય વિધિ વિશ્વવિદ્યાલય, રાષ્ટ્રીય અપરાધ વિજ્ઞાન વિશ્વવિદ્યાલય, રક્ષા શક્તિ વિશ્વવિદ્યાલય, લકુલીશ યોગ વિશ્વવિદ્યાલય, ગુજરાત પ્રૌદ્યોગિકી વિશ્વવિદ્યાલય, આઈ-ક્રિએટ, ભારતીય શિક્ષક શિક્ષા સંસ્થાન વિશ્વવિદ્યાલય, બાલ વિશ્વવિદ્યાલય ઔર શ્રી ગોવિંદ ગુરુ વિશ્વવિદ્યાલય શામિલ હૈન।



श्री मोदी के बाद श्रीमती आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं। उन्होंने महिला सशक्तीकरण को तरजीह देते हुए लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाला बजट पेश किया। श्रीमती पटेल ने यह सुनिश्चित करने के लिये अनेक योजनाएं चलायीं कि आंगनवाड़ियों में बच्चों को पर्याप्त पोषण मिले। उनके कार्यकाल में राज्यव्यापी 'मां अन्नपूर्णा योजना' शुरू की गयी।

मैंने 7 अगस्त, 2016 को गुजरात की जनता की सेवा के लिये राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभाला। मैं बतौर मुख्यमंत्री 6.5 करोड़ गुजरातियों के सहयोग से राज्य को उत्तम से सर्वोत्तम बनाने के लिये कृतसंकल्प हूं। मेरी सरकार ने पिछले पांच वर्षों में जन कल्याण के लिये 1700 से अधिक फैसले करते हुए

गुजरात की जनता की सेवा की है।

'सात पगला खेडूत कल्याण ना योजना' का लक्ष्य गुजरात के किसानों और पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाना है। राज्य में पिछले चार वर्षों में किसानों से समर्थन मूल्य पर 17000 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम के कृषि उत्पादों की खरीद की गयी है। गुजरात में किसानों को दिन में सिंचाई के लिये बिजली मुहैया कराने के मकसद से 4500 करोड़ रुपये की देश की पहली किसान सूर्योदय योजना शुरू की गयी है। इस योजना के पहले चरण का लाभ 4000 गांवों के किसानों को मिला है। राज्य में 15 लाख से अधिक किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के कृषक परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया करायी जा रही है।

2019 में गुजरात सरकार ने उन किसानों के लिये 3795 करोड़ रुपये की सहायता घोषित

की जिनकी फसलें बेमैसम बारिश से नष्ट हो गयी थीं। इसके बाद 2020 में 3700 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की गयी जिसका लाभ 56 लाख किसानों को मिला। मछुआरों और नाविकों के कल्याण के लिये हाल ही में 50000 करोड़ रुपये की सागरखेड़ सर्वांगी कल्याण योजना-2 की घोषणा की गयी है।

पशुपालकों की मदद के लिये 400 से ज्यादा चलती-फिरती पशु क्लिनिक शुरू की गयी हैं। इसके अलावा पशु संवर्धी सुविधाओं के लिये हर दिन चौबीसों घंटे काम करने वाले निःशुल्क टेलीफोन नंबर 1962 अरंभ किया गया है। राज्य में 514 पांजरपोलों और

गौशालाओं को 246 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम की सहायता मुहैया करायी गयी है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में छह लाख पशुओं के लिये 185 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि सहायता के रूप में दी गयी है।

गुजरात सरकार 2017 से आदिवासियों के उत्थान के लिये पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) कानून को सख्ती से लागू कर रही है। राज्य में 90 लाख से ज्यादा आदिवासियों को भूमि और वन उपज के अधिकार दिये गये हैं। वन अधिकार कानून के तहत आदिवासियों को 13 लाख एकड़ से अधिक जंगल की जमीन दी गयी है। आदिवासी बच्चों के बीच शिक्षा के प्रसार के लिये इन क्षेत्रों में 41 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बनाये गये हैं। लगभग 765 आश्रम स्कूलों, आदर्श आवासीय विद्यालयों और एकलव्य विद्यालयों में 1.35 लाख से ज्यादा छात्रों को आवास, भोजन और शिक्षा की सुविधा मुहैया करायी गयी है। जनजातीय संस्कृति को रेखांकित करने के लिये जल्दी ही 70 एकड़ जमीन पर 100 करोड़ रुपये की लागत से एक आदिवासी राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की जायेगी।

'सात पगला खेडूत कल्याण ना योजना' का लक्ष्य गुजरात के किसानों और पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाना है। राज्य में पिछले चार वर्षों में किसानों से समर्थन मूल्य पर 17000 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम के कृषि उत्पादों की खरीद की गयी है। गुजरात में किसानों को दिन में सिंचाई के लिये बिजली मुहैया कराने के मकसद से 4500 करोड़ रुपये की देश की पहली किसान सूर्योदय योजना शुरू की गयी है। इस योजना के पहले चरण का लाभ 4000 गांवों के किसानों को मिला है। राज्य में 15 लाख से अधिक किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के कृषक परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया करायी जा रही है।

इस योजना के पहले चरण का लाभ 4000 गांवों के किसानों को मिला है।

अप्रैल और मई, 2020 में कोरोना की वैश्विक महामारी के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 68.80 लाख और राज्य की गरीबी से ऊपर की रेखा-1 के अधीन 61 लाख कार्ड धारकों को 2000 करोड़ रुपये के खाद्यान सुप्त में वितरित किये गये। पिछले साल बंचित और कम आय वाले परिवारों को सांथणी के रूप में 7500 एकड़ जमीन मुहैया करायी गयी। इसके अलावा कृषि भूमि हदबदंदी कानून के तहत 27330 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि 11692 लाभार्थियों को आवंटित की गयी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक राज्य के शहरी क्षेत्रों में 7.64 लाख परिवारों को मकान मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से पांच लाख से ज्यादा मकान बन कर तैयार हो चुके हैं। सेवा सेतु कार्यक्रम के जरिये आय और जाति प्रमाणपत्र, 7/12 तथा 8 ए जैसे जरूरी दस्तावेज नागरिकों को उनके घर पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया-गुजरात और ज्या मानवी त्या सुविधा के मंत्र के साथ डिजिटल सेवा सेतु की शुरुआत की गयी है। इसके तहत तकरीबन 52 सेवाओं और प्रमाणपत्रों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है।

धनार्जन के साथ ज्ञानार्जन के अनूठे विचार के तहत मुख्यमंत्री प्रशिक्षुता (एप्रेटिसशिप) योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना

में छात्रों को अध्ययन के दौरान 3000 रुपये से 4500 रुपये तक मासिक वजीफा प्रदान किया जाता है। पिछले दो वर्षों में 2.30 लाख से अधिक युवा इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। गुजरात में पिछले चार वर्षों में दो लाख से ज्यादा युवकों और युवतियों को सरकारी सेवाओं में नियुक्त किया गया है। राज्य के युवाओं को प्रशिक्षण तथा यूपीएससी, जीपीएससी, गुजरात सेकंडरी सर्विस बोर्ड इत्यादि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिये लगने वाले शुल्क में सहायता मुहैया करायी जा रही है। इन कदमों के परिणामस्वरूप गुजरात में बेरोज़गारी दर भारत में सबसे कम-सिर्फ 3.5 प्रतिशत है।

गुजरात केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर-आरक्षित आवादी के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। गैर-आरक्षित विद्यार्थियों को महाविद्यालय में अध्ययन के लिये 2020 तक चार प्रतिशत की ब्याज दर से अधिकतम 10 लाख रुपये ऋण की सुविधा मुहैया करायी गयी है। इस योजना का लाभ 70 हजार से ज्यादा परिवार उठा चुके हैं। विदेश में शिक्षा हासिल करने के लिये चार प्रतिशत की ब्याज दर से 15 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है।

डिजिटल गुजरात के हिस्से के रूप में ज्ञानकुंज परियोजना के जरिये 16 हजार कक्षाओं में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं। विद्यार्थियों को 1000 रुपये की मामूली कीमत पर 10 हजार टैबलेट वितरित किये गये हैं। कुल 9.50 लाख से अधिक विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा पास करने के बाद महाविद्यालय में उच्चतर तकनीकी शिक्षा के लिये आधुनिक टैबलेट का तोहफा दिया गया है। शोध योजना के तहत शोधार्थियों को अनुसंधान के लिये दो वर्षों तक 15 हजार रुपये प्रति माह की सहायता दी जाती है।

कलाकारों को मंच मुहैया कराने तथा कला और संस्कृति के प्रचार के लिये राज्य में पहली बार कला महाकुंभ शुरू किया गया। योग और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिये राज्य योग बोर्ड और संस्कृत बोर्ड का गठन किया गया है। गुजरात राज्य योग बोर्ड का गठन करने वाला पहला प्रांत है। गुजरात में 2001 में विश्वविद्यालयों की संख्या सिर्फ नौ थी जो 2021 में बढ़ कर 83 हो गयी है।

डिजिटल गुजरात के हिस्से के रूप में ज्ञानकुंज परियोजना के जरिये

16 हजार कक्षाओं में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं। विद्यार्थियों को 1000 रुपये की मामूली कीमत पर 10 हजार टैबलेट वितरित किये गये हैं। कुल 9.50 लाख से अधिक विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा पास करने के बाद महाविद्यालय में उच्चतर तकनीकी शिक्षा के लिये आधुनिक टैबलेट का तोहफा दिया गया है।

मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना के तहत एक लाख महिलाओं के एक समूह का गठन किया जायेगा। इनमें से 50 हजार महिलाएं ग्रामीण और बाकी शहरी क्षेत्रों से होंगी। कुल 10 लाख महिलाओं को राज्य सरकार से ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जायेगा। इसके लिये 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहाली दिक्री योजना के अंतर्गत दो लाख रुपये सालाना आमदनी वाले परिवारों की पहली दो बेटियों को पहली जमात में दाखिले के दौरान 4000 रुपये और नौवीं कक्षा में भर्ती पर 6000 रुपये दिये जाते हैं। इन लड़कियों की उम्र 18 वर्ष हो जाने पर विवाह के समय एक लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। अब तक 6000 से ज्यादा परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। गंगा स्वस्त्रप

आर्थिक सहाय योजना के तहत विधवाओं को मिलने वाली मासिक सहायता को बढ़ा कर 1250 रुपये किया गया है। इस योजना का लाभ अब तक 10 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिल चुका है।

मां अमृतम-मां वात्सल्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को तीन लाख रुपये के बजाय अब पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। इस योजना में 70 लाख परिवारों के 3.5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी पंजीकृत हैं। कोविड की मौजूदा वैश्विक महामारी के दौरान 1700 से ज्यादा धनवंतर रथ 3300 से अधिक स्थानों पर सक्रिय हैं। ढाई करोड़ से ज्यादा व्यक्तियों को उनके घरों में ही ओपीडी सुविधा मुहैया करायी गयी है। भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने धनवंतर रथ के माध्यम से किये गये कार्यों की सराहना की है। जनता के स्वास्थ्य को तरजीह देते हुए पिछले पांच वर्षों में चिकित्सा की पढ़ाई में 2170 सीटों का इजाफा किया गया है। पिछले पांच वर्षों में नये चिकित्सा महाविद्यालय खोले गये हैं। राजकोट में 201 एकड़ जमीन पर 1195 करोड़ रुपये के खर्च से 750 बिस्तरों वाला अखिल भारतीय आर्यविज्ञान संस्थान खोला जा रहा है जिसमें आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम कसने के लिये 2019 से गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण कानून में उम्र कैद का प्रावधान किया गया है। इसी तरह जमीन हड्डपने की गतिविधियों की रोकथाम के लिये राज्य सरकार ने गुजरात भूमि कब्जा प्रतिबंध कानून 2020 को लागू किया है।

राज्य में एक साइबर आश्वस्त परियोजना शुरू की गयी है। भारत की पहली साइबर अपराध रोकथाम इकाई गुजरात में स्थापित की गयी है। विश्वास परियोजना के अंतर्गत 41 शहरों में 7000 कैमरों का एक सी.सी.टीवी नेटवर्क लगाया गया है। नेत्रम कमान नियंत्रण केन्द्र के जरिये 33 जिलों में नागरिकों को साइबर अपराध से सुरक्षा प्रदान की गयी है।

गुजरात नल से जल कार्यक्रम के तहत हर घर में पानी पहुंचाने के लिये कृतसंकल्प है। पिछले दो वर्षों में 2 करोड़ 31 लाख घरों में पानी उपलब्ध कराया गया है। नल से जल के तहत पांच जिलों



में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। दूषित पानी को इस्तेमाल के लायक बनाने के लिये गुजरात के शहरी क्षेत्रों में एक जल ग्रिड की स्थापना की गयी है। गुजरात समुद्री जल को पीने लायक बनाने के लिये विलबणीकरण संयंत्र लगाने वाला तमिलनाडु के बाद दूसरा राज्य है।

सौराष्ट्र क्षेत्र को हरा-भरा बनाने और 80 लाख व्यक्तियों को नर्मदा नदी से पेयजल उपलब्ध कराने के लिये सौनी योजना शुरू कर दी गयी है। इस योजना के पहले चरण में सौराष्ट्र के 22 जलाशयों के दायरे में आने वाले 1,66,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मुहैया करायी गयी है।

सुजलाम सुफलाम जल अभियान के अधीन पानी के संरक्षण से संबंधित 41488 कार्य किये गये हैं। इससे जल भंडारण क्षमता में 42064 लाख घन फीट की बढ़ोतरी हुई है। इस अभियान से कुल 130.47 लाख मानव दिवस रोज़गार का सृजन भी हुआ है।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 10,399 सड़कों पर 27,064 किलोमीटर का काम 6,835 करोड़ रुपये के व्यय से पूरा कर लिया गया है। कुल 17,843 गांवों और 16,402 उपनगरों को कंक्रीट की सड़कों से जोड़ा गया है।

समर्पित नीतियों की बदौलत गुजरात एक नीति-संचालित राज्य बन गया है। बंदरगाह, पर्यटन, सौर ऊर्जा, एरोस्पेस और रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग, स्टार्टअप, कृषि और वाणिज्य, कपड़ा और वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, विरासत पर्यटन, पवन ऊर्जा, सामान्य प्रोत्साहन, उत्पादन और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में नयी नीतियां लागू की गयी हैं। एक नयी सौर और हाइब्रिड ऊर्जा नीति तथा बागवानी और चिकित्सकीय पौधों को उपजाने के लिये किराये पर जमीन देने का बागायत अभियान शुरू किया गया है।

कलाकारों को मंच मुहैया कराने तथा कला और संस्कृति के प्रचार के लिये राज्य में पहली बार कला महाकुंभ शुरू किया गया। योग और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिये राज्य योग बोर्ड और संस्कृत बोर्ड का गठन किया गया है। गुजरात राज्य योग बोर्ड का गठन करने वाला पहला प्रांत है। गुजरात में 2001 में विश्वविद्यालयों की संख्या सिर्फ नौ थी जो 2021 में बढ़ कर 83 हो गयी है।

2019-20 में गुजरात को भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिये सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया। इस वित्त वर्ष में राज्य में 43000 करोड़ रुपये से ज्यादा एफडीआई आया जो 2018-19 की तुलना में 3.5 गुना अधिक है।

राज्य में अपनायी गयी पहले उत्पादन, बाद में अनुमति की नीति से सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को काफी लाभ हुआ है। उद्योगों को शुरुआती तीन साल के लिये अनापत्ति प्रमाणपत्र और अनुमतियां प्राप्त करने से छूट दी गयी है। कुल 30 लाख से ज्यादा एमएसएमई इकाइयों के लिये एक विशेष कमीशन दर के निर्धारण से रोज़गार के 1.25 करोड़ से अधिक अवसर पैदा हुए हैं।

खदानों और खनिजों की नीलामी ऑनलाइन की जा रही है। विनेन्ट ड्रोन निगरानी प्रौद्योगिकी से इस काम में पारदर्शिता आयी है। राज्य सरकार ने 1633 लाख रुपये से ज्यादा की आमदानी की है। राज्य में 70 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर 13 औद्योगिक और तीन लॉजिस्टिक पार्क बनाये जायेंगे।

कोविड की मौजूदा वैश्विक महामारी के दौरान राज्य सरकार ने 14000 करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर गुजरात पैकेज जारी किया। इस पैकेज के तहत छोटे विक्रेताओं, दुकान मालिकों और कामगारों को एक लाख रुपये तक कर्ज दो प्रतिशत ब्याज दर पर मुहैया कराया गया। एक लाख से 2.5 लाख रुपये तक कर्ज पर ब्याज की दर चार प्रतिशत निर्धारित की गयी।

राज्य में पहली रो रो नौका सेवा भावनगर में घोघा से दक्षिण गुजरात में दहेज तक शुरू की गयी। इससे इन दोनों स्थानों के बीच दूरी 360 किलोमीटर से घट कर 31 किमी रह गयी है। प्रदूषण घटाने और पर्यावरण के संरक्षण के मकसद से ई-रिक्षा की खरीद

के लिये 48000 रुपये की सब्सिडी दी गयी है। नौवीं कक्षा से महाविद्यालय तक के छात्रों को बैटरी चालित दोपहिया वाहन खरीदने के लिये 12000 रुपये की सहायता दी जाती है।

सौर छत लगाने के मामले में गुजरात सबसे आगे है। राज्य में लगायी गयी 1.27 लाख से ज्यादा सौर छतों से 886 मेगावाट बिजली पैदा होती है। सौर ऊर्जा नीति के तहत पिछले चार वर्षों में बिजली उत्पादन क्षमता में 1925 मेगावाट की वृद्धि हुई है। गुजरात में सौर छत परियोजना की क्षमता देश में सबसे अधिक 611.46 मेगावाट है। गुजरात की बिजली उत्पादन क्षमता में 37 प्रतिशत योगदान नवीकरणीय ऊर्जा का है। विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कच्छ में बनाया जा

रहा है जिसकी क्षमता 30,000 मेंगावाट होगी।

भारत के कुल 2,300 सीएनजी स्टेशनों में से 926 से ज्यादा गुजरात में हैं। गुजरात सरकार ने आने वाले समय में 900 से ज्यादा नये सीएनजी स्टेशन खोलने की योजना बनायी है। विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल गुजरात के भावनगर में बनाया जा रहा है जिसमें सालाना 60 लाख टन माल का संचालन होगा।

राज्य में गैर-कृषि मंजूरी देने का अधिकार जिला पंचायत से लेकर कलक्टर को सौंप दिया गया है। मानचित्र और नक्शे ऑनलाइन उपलब्ध होने से यह प्रक्रिया ज्यादा आसान और तेज हो गयी है। ऑनलाइन पोर्टल के जरिये 35,000 से ज्यादा अर्जियां प्राप्त की गयी हैं।

शहरों के समग्र विकास के लिये पिछले तीन वर्षों में 311 शहरी योजनाओं (टीपी) और 40 विकास योजनाओं (डीपी) को मंजूरी दी गयी है। इससे नागरिकों को अधिक सुविधाएं हासिल हुई हैं। राज्य में पहली बार ऑनलाइन विकास अनुमति प्रणाली (ओडीपीएस) शुरू की गयी है। श्रवण तीर्थ योजना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को गुजरात में यात्राधाम दर्शन के लिये ले जाया जाता है।

गुजरात के बनासकांठा में नड़ाबेट सीमा दर्शन पंजाब में बाघा-अटारी के बाद सरहदी पर्यटन का सर्वश्रेष्ठ स्थल साबित हुआ है। वर्ष 2020 में छह लाख से ज्यादा सैलानियों ने सीमा दर्शन का आनंद लिया। गिरनार रोपवे की मदद से 6-7 घंटों की चढ़ाई 6-7 मिनटों में पूरी की जा सकती है।

गिर और देवलिया के अलावा अमरेली में खोला गया आंबरडी सफारी पार्क भारत के गौरव एशियाई शेरों का निवास है। द्वारका से 12 किलोमीटर दूर शिवराजपुर समुद्र तट को विश्व स्तरीय पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह 'ब्लू फ्लैग बीच' का तमगा पाने वाले भारत के आठ समुद्र तटों में से एक है। देश का एकमात्र डायनासोर जीवाशम पार्क बालासिनोर के रैयोली गांव में स्थापित किया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा और विश्व का तीसरा सर्वाधिक विस्तार वाला डायनासोर जीवाशम स्थल है।

महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित स्थलों को जोड़ने के लिये 93 करोड़ रुपये के खर्च से गांधी पर्यटक सर्किट का विकास किया जा रहा है। इसमें दांडी कुटीर (गांधीनगर), कीर्ति मंदिर (पोरबंदर), महात्मा गांधी संग्रहालय (अलफ्रेड हाई स्कूल, राजकोट) और राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक (नवसारी) को शामिल किया गया है।

अहमदाबाद में साबरमती तट से केवड़िया में 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहली समुद्री विमान सेवा शुरू की गयी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया। वर्ष 2020 में 43 लाख से ज्यादा सैलानियों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया जो एक रिकॉर्ड है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा करने वालों की संख्या अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक जाने वालों से कहीं अधिक है जिस पर हम सब को गर्व होना चाहिये।

प्रशासनिक कार्यों की लाइव समीक्षा के लिये गांधीनगर में

**प्रशासनिक कार्यों की लाइव समीक्षा के लिये गांधीनगर में
इन-हाउस सीएम डैशबोर्ड शुरू किया गया है। इसमें 3000 से ज्यादा प्रदर्शन संकेतक हैं जिनसे मुख्यमंत्री डिजिटल प्लेटफॉर्मों के जरिये जिला स्तर पर जनहित गतिविधियों की निगरानी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री साथे मोकला मने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गांधीनगर में अपने निवास पर वंचित और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों से मुलाकात करते हैं। वह इन नागरिकों की शिकायतों को सुनने के बाद उनकी जरूरतों और मांगों को पूरा करने के लिये फैसले और कार्यवाही करते हैं।**

1960-61 के लिये गुजरात का पहला बजट विधानसभा में 22 सितंबर, 1960 को पेश किया गया जिसकी कुल राशि 1149286000 रुपये थी। वित्त वर्ष 2021-22 के लिये राज्य का 77वां बजट 227029 करोड़ रुपये का रहा जिससे गुजरात की आर्थिक संपन्नता का पता चलता है।

देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में गुजरात का हिस्सा आठ प्रतिशत है। राज्य सरकार के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप गुजरात ने अप्रैल से सितंबर, 2020 तक 119000 करोड़ रुपये का एफडीआई हासिल किया। एफडीआई की यह रकम इस काल में समूचे देश में हुए कुल पूँजी निवेश का 53 प्रतिशत है। देश से कुल निर्यात में गुजरात का हिस्सा 23 प्रतिशत से भी ज्यादा है। नीति आयोग से जारी 2020 के निर्यात तैयारी सूचकांक में यह राज्य अब्बल स्थान पर रहा। स्टार्टअप और लॉजिस्टिक्स रैंकिंग में भी गुजरात लगातार दो वर्षों से चोटी पर है।

देश की पहली बुलेट ट्रेन सेवा अहमदाबाद और मुंबई के बीच शुरू की जायेगी। भारत की पहली स्मार्ट सिटी धोलेरा में बनायी जा रही है। केंद्र सरकार ने इसे छह स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल किया है। विश्वस्तरीय सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एंक्लेव अहमदाबाद में बनाया जा रहा है जहां एशियाड और ओलंपिक कराये जा सकेंगे। अहमदाबाद के मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम 'नरेन्द्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम' का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। इसकी दर्शक क्षमता 1.25 लाख है। यूनेस्को ने चंपानेर और रानी की बाव (पाटन) को विरासत स्थल घोषित किया गया है। अहमदाबाद को भारत की पहली हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है। विश्व के चोटी के 25 विकसित शहरों की फेहरिस्त में गुजरात के सूरत, राजकोट, अहमदाबाद और बडोदरा शामिल हैं।

भारतीय बन सर्वेक्षण की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात के बृक्ष आच्छादन क्षेत्र में पिछले दो वर्षों में 10 हजार हेक्टेयर का इजाफा हुआ है। बन के अलावा हरित क्षेत्र में भी इस काल में 396000 हेक्टेयर की बृद्धि दर्ज की गयी है।

मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि स्थापना के समय से लेकर अब तक गुजरात के विकास में अनेक गुजरातियों ने योगदान किया है। हम उनकी कड़ी मेहनत के फल का उपभोग कर रहे हैं। हमें इस विकास यात्रा को एकजुट होकर आगे बढ़ाना है। हमें गुजरात के हर नागरिक के उत्थान और विकास के लिये अपने राज्य को उत्तम से सर्वोत्तम बनाना है। ■

महाराष्ट्र : साठ साल से ज्यादा का सफर

योजना टीम

आधुनिक राज्य महाराष्ट्र, पश्चिम में अरब सागर से, उत्तर पश्चिम में गुजरात तथा केंद्रशासित प्रदेश दादरा नगर हवेली से, उत्तर और उत्तर पूर्व में मध्य प्रदेश से, पूर्व में छत्तीसगढ़ से, दक्षिण में कर्नाटक से, दक्षिण पूर्व से आंध्र प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में गोवा से घिरा है।

रा

ज्य में मानव वास की पुरातनता पाषाण काल (1.27 मिलियन वर्ष पूर्व) तक जाती है। कई स्थल विभिन्न नदियों के किनारे और नदी घाटियों में बताए गए हैं। कई ताम्रपाषाण युगीन स्थलों की जानकारी प्राप्त हुई है और इनामगांव (1300 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व) जैसे कुछ की बड़े पैमाने पर खुदाई की गई थी।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

ऐतिहासिक काल के दौरान (छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद) महाराष्ट्र में मौर्यों का शासन (चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व) देखा जाता है। राज्य में अशोक के शिलालेखों के अवशेष मिले हैं। राज्य पर एक लंबे समय तक चलने वाला शासन सातवाहनों का था (पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी

ई.)। यह राज्य का बहुत फलता-फूलता दौर था। इस अवधि में पश्चिमी दुनिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूरे जोरों पर था। महाराष्ट्र के बंदरगाहों ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई। इसका परिणाम शिलाओं को काटकर बनाई गई कई बौद्ध गुफाओं जैसे कि भाजा, पितलखोर, कारला नासिक आदि की खुदाई में देखा जा सकता है जिसे मुख्य रूप से व्यापारिक समुदाय ने संरक्षण दिया। पश्चिमी क्षत्रप गुजरात से शासन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ समय के लिए सातवाहन क्षेत्र को जीत लिया था। सातवाहनों ने इन शासकों को 78 ई. में पराजित किया और उनकी भूमि पर फिर से कब्जा किया। सातवाहन शासन का विस्तार न केवल पूरे महाराष्ट्र में बल्कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी हुआ।

सातवाहन शासन के पतन के बाद, महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों जैसे अबीर, त्रिकुटका आदि में कई छोटे राज्य स्थापित किए गए थे, लेकिन चौथी शताब्दी ई. में, वाकाटक शासकों को प्रमुखता मिली। विदर्भ में शासन करने वाली उनकी दो शाखाएं थीं। उनके कुछ शासकों ने 5 वीं शताब्दी ई. में अजंता में गुफा खुदाई की गतिविधियों में सहायता की थी।

महाराष्ट्र पर कुछ शासकों ने 6 वीं - 7 वीं शताब्दी ई. में कलचुरी (मध्य प्रदेश) और पश्चिमी चालुक्य (कर्नाटक) की तरह शासन किया था, लेकिन 8 वीं शताब्दी ईस्वी में एक स्थाई शासन शुरू हुआ जब राष्ट्रकूट सत्ता में आए। वे एलोरा में विश्व प्रसिद्ध गुफाओं के निर्माण में भी शामिल थे। उनके शासन का विस्तार न केवल महाराष्ट्र में बल्कि कर्नाटक में भी हुआ था। एक समय



में, उन्होंने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच पूरे क्षेत्र को जीत लिया था।

यादव (10 वीं शताब्दी से 13 वीं शताब्दी ई.तक) राज्य के अगले शासक थे। मध्य और पूर्वी महाराष्ट्र के हिस्सों पर उनका लंबे समय तक शासन रहा। शिलाहारा शासक पश्चिमी और दक्षिणी महाराष्ट्र में उनके लिए समकालीन थे। यह अवधि महाराष्ट्र में मंदिर निर्माण गतिविधि के उत्थान का प्रतीक है। कई स्थानों पर प्रभावशाली मंदिरों का निर्माण किया गया था जैसे होतल, निलंगा, खिद्रपुर, गोडेश्वर आदि। कुछ किले जैसे देवगिरी, पन्हाला भी इस काल में बनाए गए थे। यादवों को दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था।

मुहम्मद बिन तुगलक ने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद (देवगिरी) स्थानांतरित कर दिया। तुगलक के पतन के बाद, 14 वीं शताब्दी ई. में बहमनी सल्तनत ने महाराष्ट्र पर शासन करना शुरू कर दिया। फारुकी ने खानदेश क्षेत्र पर शासन किया और 14 वीं - 15 वीं शताब्दी ई. में गुजरात और आसपास के क्षेत्रों पर गुजरात सुल्तानों ने शासन किया। बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद, राज्य के विभिन्न हिस्सों पर निजामशाही और आदिलशाही का शासन था। 17 वीं शताब्दी ई. में, छत्रपति शिवाजी ने महाराष्ट्र में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। उसने 1674 ई. में एक सार्वभौम शासक के रूप में खुद का राज्याभिषेक किया। इस स्थानीय मराठा साम्राज्य ने 18 वीं और 19 वीं शताब्दी ई. की शुरुआत में तब तक खुद को विस्तारित किया, जब तक कि 1819 में अंग्रेजों ने इसे नहीं ले लिया। तब से




**महाराष्ट्र, महिलाओं के अधिकारों
और भारत में नारीवादी आंदोलन
का अग्रणी भी है। 19 वीं
शताब्दी की शुरुआत से, राज्य के
विचारकों और सुधारकों ने बाल
विवाह और सती के खिलाफ
अभियान चलाया, साथ ही
महिलाओं की शिक्षा और विधवा
पुनर्विवाह को बनाए रखा।**

कई स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के साथ, महाराष्ट्र ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। पहली मई 1960 को, जनता

की मांग पर महाराष्ट्र को अलग मराठी भाषी राज्य बनाया गया था। तब से यह राज्य देश में सभी मोर्चों पर अग्रणी रहा है।

महाराष्ट्र 35 जिलों से बना है, जिन्हें छह डिवीजनों में बांटा गया है, इनका विभाजन निमानुसार है:

1. अमरावती डिवीजन (विदर्भ) को 5 जिलों में विभाजित किया गया है। ये अमरावती, अकोला, बुलदाना, यवतमाल और वाशिम हैं।
2. औरंगाबाद डिवीजन (मराठवाड़ा) औरंगाबाद, बीड़, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड़, उस्मानाबाद और परभणी।
3. कोंकण डिवीजन: मुंबई सिटी, मुंबई उपनगर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और ठाणे।



- नासिक डिवीजन: अहमदनगर, धुले, जलगांव, नंदुरबार, और नासिक।
- नागपुर डिवीजन: भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरोली, गोंदिया, नागपुर और वर्धा।
- पुणे डिवीजन: कोल्हापुर, पुणे, सांगली, सतारा और सोलापुर।

पश्चिमी घाट महाराष्ट्र की कई प्रमुख नदियों का स्रोत हैं, जिनमें से गोदावरी और कृष्ण प्रमुख हैं। ये नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ, पूर्व की ओर बहते हुए अधिकांश मध्य और पूर्वी महाराष्ट्र में सिंचाई करती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। ये घाट कई छोटी नदियों के भी स्रोत हैं, जो पश्चिम में अरब सागर में बहती हैं।

सह्याद्री रेंज, महाराष्ट्र को भौगोलिक रूप से परिभाषित करने वाली है। औसतन 1000 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ते हुए इसके पश्चिम में कोंकण है। पूर्व की ओर स्थलाकृति एक परिवर्ती क्षेत्र से होकर गुजरती है जिसे मालवा के पठार स्तर तक जाना जाता है। अरब सागर और सह्याद्रि श्रेणी के बीच स्थित कोंकण संकीर्ण तटीय तराई क्षेत्र है, जो मुश्किल से 50 कि.मी. चौड़ा है। अत्यधिक विच्छेदित और टूटा हुआ, कोंकण संकरी घाटियों और निम्न पार्श्व पठार के बीच वैकल्पिक है। उत्तरी सीमा पर सतपुड़ा पहाड़ियां और पूर्वी सीमा पर भामरगढ़-चिरोली-गाईखुरी रेंज, भौतिक अवरोधों को आसान गति से रोकते हैं और राज्य की प्राकृतिक सीमाओं के रूप में

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को न केवल भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में देखा जाता है लेकिन वास्तव में यह गेटवे ऑफ इंडिया भी है जिसमें धर्मनिरपेक्षता और प्रगतिशीलता निहित है। यहां दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग भी है, एक ऐसा उद्योग जिसका कारोबार कई छोटे देशों के सकल घरेलू उत्पाद से अधिक है।

भी कार्य करते हैं। राज्य की यह स्थलाकृति इसकी भूवैज्ञानिक संरचना का परिणाम है।

प्राकृतिक संसाधन

बसाल्ट चट्टान को छोड़कर अन्य चट्टानें जैसे- लेटराइट तटीय आर्द्ध और उण्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। महाराष्ट्र अयस्क भंडार में समृद्ध है। कोंकण नदियों के तलघर क्षेत्रों में ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, शैल, क्वार्टजाइट, कांगलोमेरेट पाए जाते हैं। नांदेड़ एक और क्षेत्र है जहां गुलाबी ग्रेनाइट पाए जाते हैं। नागपुर क्षेत्र का कामती कोयले के लिए प्रसिद्ध है।

राज्य में पानी सबसे असमान रूप से वितरित प्राकृतिक संसाधन है। बड़ी संख्या में

गांवों में पीने के पानी की कमी है, खासकर गर्भियों के महीनों में, यहां तक कि गीले कोंकण में भी। त्रिवाई क्षेत्र का केवल 11 प्रतिशत सिंचित है। विदर्भ के पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र के समूचे ग्रैनिटिक-शैल इलाके में टैंक सिंचाई होती है। तापी-पूर्णा जलोद में नलकूप और तटीय रेत में उथले कुएं, पानी के अन्य मुख्य स्रोत हैं। पानी की कमी बाले गांवों के लिए सरकार विशेष कुएं बना रही है।

प्रमुख खनिज कोयला और मैंगनीज के साथ और लौह अयस्क तथा चूना पत्थर संभावित संपदा के साथ चंद्रपुर, गढ़चिरोली, भंडारा, और नागपुर जिले मुख्य खनिज बेल्ट बनाते हैं।

महाराष्ट्र की आत्मा महानगरीय है। हालांकि महाराष्ट्र के 80 फीसदी लोग हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन राज्य में विरासत स्थलों का जो खजाना है वह अपनी बहु-विरासत को दर्शाता है जिसमें जैन, बौद्ध, मुस्लिम और ईसाई संस्कृतियां शामिल हैं। इसलिए चाहे भगवान गणेश के आठ सुंदर अवतारों के लिए समर्पित कोंकण बेल्ट में अष्टविनायक यात्रा है या पूर्व-ईसाई बौद्ध युग से औरंगाबाद के पास अजंता और एलोरा की गुफाएं, महिम का मदर मेरी चर्च या मुंबई की हाजी अली मस्जिद, ये सब मंदिरों, किलों, पुराने स्मारकों और कलाओं का संचित खजाना हैं। सहयाद्रियों के चट्टानी इलाके और हमलावर सेनाओं के खिलाफ गढ़ों की आवश्यकता को देखते हुए, किलों ने राज्य के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अर्थव्यवस्था और सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने के साथ स्वतःपूर्ण इकाइयां, महाराष्ट्र के किले मुख्य रूप से छत्रपति शिवाजी के समय के आसपास बनाए गए थे। प्रत्येक किला सैन्य विजय का प्रतीक है, और यह रणनीति, युद्ध, साजिश और योजना की एक कहानी बताता है जो राजनीति विज्ञान, रक्षा रणनीतियों और प्रबंधन के सभी छात्रों के लिए रुचिकर है। ये सभी डेक्कन क्षेत्र में एक उद्यमी नेता की कहानी की फिर से रचना करते हैं, जो भाग्य, लोकप्रिय समर्थन और दृष्टिकोण के साथ भारतीय इतिहास के सबसे बड़े राजाओं में से एक बन गया। भारत की 70 प्रतिशत से अधिक शिला-गुफा कला महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। इनमें से



औरंगाबाद के आसपास के क्षेत्र में अजंता और एलोरा, विश्व प्रसिद्ध विरासत स्थल हैं जो भारतीय कारीगरों द्वारा कई सौ साल पहले हासिल किए गए कौशल का प्रदर्शन करते हैं। अजंता दूसरी से पहली शताब्दी ईसा पूर्व के बीच के समय से है, जबकि एलोरा की खुदाई इसके लगभग 600 साल बाद की गई थी। इन सभी को ठोस चट्टान से उकेरा गया है और यह बौद्ध धर्म के सार का महत्वपूर्ण भंडार है। इस बीच, एलीफेंटा गुफाएं (मूल उत्पत्ति के), एलीफेंटा द्वीप, या मुंबई हार्बर में घारापुरी, मुंबई के पूर्व में 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गढ़ी गई गुफाओं का जाल है, और ये भगवान शिव को श्रद्धांजलि हैं।

13 वीं और 17 वीं शताब्दी के बीच पूरे देश में फैले मध्ययुगीन आंदोलन- भक्ति आंदोलन ने महाराष्ट्र की मिट्टी में अनुनाद पाया। इसमें सादगीपूर्ण और दिल से महसूस की गई भक्ति से भगवान की वास्तविक प्रकृति पर जोर दिया गया था। समाज के तथाकथित निचले तबके के कई संतों के अलावा ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम और चोखामेला जैसे संत कवि शामिल हैं, जिन्होंने संगीत, कला और साहित्य में समृद्ध योगदान दिया। वारकरी आंदोलन जिसमें हर साल जून-जुलाई के महीने में किसान और विठोबा (भगवान विष्णु का एक अवतार) के असंख्य अनुयायी इकट्ठा होते हैं और पंढरपुर में वार्षिक तीर्थयात्रा में भाग लेते हैं। ये तीर्थयात्रा अपने दिवंगत संतों की पालकी के साथ उनकी समाधि / आत्मज्ञान के स्थान से शुरू होती है। वारकरी आषाढ़ी एकादशी के शुभ दिन भगवान और संतों के नाम का जाप करते हुए पंढरपुर पहुंचते हैं। अहिंसा, दान, तपस्या और शाकाहार के मूल्यों का प्रचार करते हुए, वारकरी आज भी एक अराजक दुनिया में सहिष्णुता का प्रतीक हैं। दुनिया भर से कई पर्यटक इस तीर्थयात्रा में भाग लेते हैं जो लोगों को एकजुट करती हैं।

महाराष्ट्र की महिलाएं देश के बाकी हिस्सों में प्रचलित छह गज़ की साड़ी की बजाय नौ गज की साड़ी धारण करती हैं। राज्य के विभिन्न थिएटर और सांस्कृतिक उत्सवों में पोवाड़ा जैसे संगीतमय रूप, एक महान शासक की वीरता की प्रशंसा करने वाला गीत और लावणी जैसी सुंदर नृत्य विधा



का आनंद लिया जा सकता है। कोली नृत्य रूप राज्य के मछुआरे-लोकनर्तकों के योगदान को दर्शाता है।

महाराष्ट्र, महिलाओं के अधिकारों और भारत में नारीवादी आंदोलन का अग्रणी भी है। 19 वीं शताब्दी की शुरुआत से, राज्य के विचारकों और सुधारकों ने बाल विवाह और सती के खिलाफ अभियान चलाया, साथ ही महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को बनाए रखा। प्रमुख नामों में दिवंगत न्यायमूर्ति एम जी रानाडे, उनकी पत्नी रमाबाई रानाडे, सावित्रीबाई फुले और पंडिता रमाबाई शामिल हैं, जैसे ही 1930 के दशक में पुणे जैसे शहर (पूर्व के एक प्रमुख शैक्षिक केंद्र और ऑक्सफोर्ड के रूप में भी जाना जाता है) में महिलाओं को साइकिल से स्कूल तथा कॉलेज जाते और अन्य काम करते देखा जा सकता था। पुणे और मुंबई जैसे शहर कई सक्रिय महिला अधिकार समूहों के गढ़ हैं, जो महिलाओं के लिए समान अवसर और उनके साथ उचित व्यवहार की बकालत करते हैं। थोड़ा आश्चर्यजनक है कि भारत की पहली महिला डॉक्टर स्वर्गीय आनंदी बाई जोशी इसी राज्य से थीं। अहिल्याबाई

होल्कर और रानी लक्ष्मीबाई जैसी योद्धा रानियां इस बात की याद दिलाती हैं कि महाराष्ट्र ने महिलाओं के उत्थान के लिए कितना कुछ किया है। वर्ष 1885 में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई जिसके महासचिव एओ हूम थे। पहला भारतीय समाचार पत्र दर्पण भी यहां से निकला था। इसके मूल्य-आधारित दीवाली अंक (दीवाली के त्योहार पर निकलने वाले प्रकाशन) का परंपरा के अलावा, स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के मूल्य, जिनमें सामाजिक रूप से प्रासंगिक कई विषय होते हैं, यहां के शिक्षित और विवेकी मध्यम वर्ग के बारे में बताते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को न केवल भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में देखा जाता है लेकिन वास्तव में यह गेटवे ऑफ इंडिया भी है जिसमें धर्मनिरपेक्षता और प्रगतिशीलता निहित है। यहां दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग भी है, एक ऐसा उद्योग जिसका कारोबार कई छोटे देशों के सकल घरेलू उत्पाद से अधिक है। इस उद्योग के शहर में हर साल हजारों लोग आते हैं जो इसे बड़ा बनाने की आशा करते हैं। ■


स्रोत: www.maharashtratourism.gov.in



टीम वही, कोचिंग नई

अखिल मूर्ति के निर्देशन में

संस्कृति पब्लिकेशन्स की नई प्रस्तुति



पत्रिका की विशेषताएँ : एक नज़र में

- चर्चित विषयों पर महत्वपूर्ण लेख
- मासिक करेंट अफेयर्स संकलन
(सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसूच्य प्रस्तुतीकरण)
- महत्वपूर्ण तथ्य : एक नज़र में
- करेंट अफेयर्स आधारित मानचित्र अध्ययन
- उपयोगी अभ्यास प्रश्न
- निबंध खंड
- महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का सार-संग्रह
(योजना, कुरुक्षेत्र, डाइन टू अर्थ, ई.पी.डब्ल्यू.)
- सरल भाषा में टू-द-पॉइंट पाठ्य सामग्री
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिये समानसूच्य से उपयोगी

सामाज्य अध्ययन

प्रथम एवं द्वितीय बैच फुल

तृतीय बैच
में नामांकन जारी

वैकल्पिक विषय

इतिहास

द्वारा -
अखिल मूर्ति

भूगोल

द्वारा -
कुमार गौरव

राजनीति विज्ञान

द्वारा -
राजेश मिश्रा

7428085757
7428085758

मिस्ड-कॉल करें:
9555-124-124

Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on: YouTube

631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

YH-1572/2021

एक राष्ट्र-एक चुनाव

के एफ विलफ्रेड

लोकसभा और विधानसभाओं का एक साथ चुनाव कराने से श्रम और समय की बचत के साथ-साथ चुनाव कराने में होने वाले खर्च की बचत होती है। अलग-अलग चुनाव कराने की बजाय चुनाव एक साथ कराने से सरकार के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के ठप्प होने की समस्या का भी समाधान होता है। सभी सदनों के कार्यकालों को एक साथ समाप्त करने की व्यवस्था करने के लिए या तो कुछ सदनों के कार्यकालों को बढ़ाना पड़ेगा या फिर कुछ के कार्यकालों को समय से पूर्व समाप्त करना होगा। अथवा, दोनों ही उपाय एक साथ करने पड़ सकते हैं। कुछ मामलों में तो कार्यकाल में तीन साल का विस्तार करना पड़ सकता है या इतनी ही बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। सदनों के कार्यकाल के इस तरह से समाप्त या विस्तार के लिए संविधान के संबंधित अनुच्छेदों में उपयुक्त संशोधन करने होंगे।

भा

रत के संविधान के निर्माण के समय चुनाव और निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रस्तावित अनुच्छेदों के बारे में संविधान सभा में विचार व्यक्त करते हुए डॉ भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि प्रारूपण समिति के सामने निर्वाचन आयोग को लेकर दो विकल्प थे— या तो इसका गठन एक स्थायी संगठन के रूप में किया जाए या फिर इसे चुनावों से पहले एक अस्थायी संगठन के तौर पर गठित किया जाए और चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद इसे भंग कर दिया जाए। अंशकालिक निर्वाचन आयोग की सोच इस संकल्पना पर आधारित थी कि सदनों की इकका-दुक्का सीटों के लिए कभी कभार कराये जाने वाले मध्यावधि चुनावों को छोड़कर आम चुनाव का आयोजन तो पांच साल में एक बार ही कराना होगा, इसलिए स्थायी निर्वाचन आयोग के गठन से बीच की चार साल की अवधि में आयोग के पास कोई काम नहीं रहेगा। लेकिन समिति ने विधानसभाओं के मध्यावधि में भंग किये जाने की स्थिति का पूर्वानुमान भी लगाया था और उसे इस बात का अहसास था कि इस हालत में निर्वाचन आयोग को तत्काल नये चुनाव कराने के लिए तैयार रहना भी आवश्यक होगा और इसीलिए स्थायी निर्वाचन आयोग का गठन आवश्यक समझा गया। बहस में भाग लेते हुए प्रोफेसर शिव्वन लाल सक्सेना ने कहा था कि संविधान में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए कोई निश्चित कार्यकाल तय नहीं किया गया है और न ही निश्चित निर्वाचन चक्र की व्यवस्था की गयी है इसलिए एक साथ चुनाव की व्यवस्था शुरुआती वर्षों में तो संभव है, लेकिन बाद में कुछ राज्यों या किसी न किसी एक राज्य के चुनाव के नियमित कार्यक्रमों की संभावना बनी रहेगी।

प्रोफेसर सक्सेना के पूर्वानुमान के अनुसार संविधान लागू होने के बाद दो दशकों तक तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए। स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव अक्टूबर 1951 से करीब छह महीने के दौरान आयोजित किये गये। इसके बाद के तीन निर्वाचन चक्रों में भी कुछ अपवादों को छोड़कर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ ही आयोजित किये जाते रहे। अपवाद वाले राज्यों में केरल शामिल था जहां 1960 में विधानसभा



लेखक भारत के निर्वाचन आयोग के पूर्व प्रिसिपल सेक्रेटरी हैं और इस समय इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में परामर्शदाता हैं।
ईमेल: wilfred.eci@gmail.com



का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही सदन को भंग कर दिये जाने से मध्यावधि चुनाव कराना पड़ा था। इसी तरह नगालैंड और पांडिचेरी में 1962 के आम चुनाव के बाद ही विधानसभाओं का गठन हो सका। देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव लगभग एक साथ आयोजित किये जाने का संयोग 1967 में बना। उस वर्ष भी नगालैंड और पांडिचेरी को छोड़कर सभी विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ अयोजित किये गये। 1967 में गठित चौथी लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही 1971 में भंग कर दी गयी जिससे लोकसभा के मध्यावधि चुनाव कराने पड़े। इस तरह देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की परम्परा टूट गयी और अलग-अलग चुनाव कराये जाने लगे। 1975 में घोषित राष्ट्रीय आपात काल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल का विस्तार किया गया और 1977 के लोकसभा चुनाव के बाद कुछ राज्यों में विधानसभाओं को भंग करना पड़ा जिससे एक साथ चुनाव कराने का चक्र और भी गड़बड़ा गया। 1998 और 1999 में लोकसभा दो बार समय से पहले भंग की गयी और उसके बाद के दो दशकों में केवल चार राज्य विधानसभाओं के चुनाव

लोकसभा चुनाव के साथ आयोजित किये जा सके हैं। अन्य राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव अलग-अलग समय पर हुए हैं और अब तो हर साल विधानसभाओं के आम चुनाव के कम से कम दो दौर होने लगे हैं।

लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव तभी साथ हो सकते हैं जब दोनों सदनों के कार्यकाल लगभग एक साथ संपन्न हो रहे हों। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 14 और 15 निर्वाचन आयोग को सदन का कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले किसी भी समय चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने का अधिकार देती है। आयोग इससे पहले चुनावी अधिसूचना जारी नहीं कर सकता। चुनाव अधिसूचना जारी होने और मतदान की तारीख के बीच 25 दिन का न्यूनतम वैधानिक अंतराल होना भी आवश्यक है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने से कुछ दिन पूर्व चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाती है जो चुनाव से जुड़े सभी संबद्ध पक्षों के लिए अग्रिम नोटिस की तरह होती है। इसलिए अगर सदन का कार्यकाल तीन महीने में पूरा होने वाला हो, तो नये सदनों के गठन के लिए एक साथ चुनाव करवाना कानूनी तौर पर संभव होगा। दूसरे शब्दों में लोकसभा

लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव तभी साथ हो सकते हैं जब दोनों सदनों के कार्यकाल लगभग एक साथ संपन्न हो रहे हों। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 14 और 15 निर्वाचन आयोग को सदन का कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले किसी भी समय चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने का अधिकार देती है। आयोग इससे पहले चुनावी अधिसूचना जारी नहीं कर सकता। चुनाव अधिसूचना जारी होने और मतदान की तारीख के बीच 25 दिन का न्यूनतम वैधानिक अंतराल होना भी आवश्यक है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने से कुछ दिन पूर्व चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाती है जो चुनाव से जुड़े सभी संबद्ध पक्षों के लिए अग्रिम नोटिस की तरह होती है। इसलिए अगर सदन का कार्यकाल तीन महीने में पूरा होने वाला हो, तो नये सदनों के गठन के लिए एक साथ चुनाव करवाना कानूनी तौर पर संभव होगा। दूसरे शब्दों में लोकसभा

और विधानसभा के चुनाव साथ-साथ कराने के बारे में विचार करने से पहले हमें प्रस्थान बिंदु के रूप में ऐसी स्थिति में होना जरूरी है जिसमें लोकसभा और सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के कार्यकाल साथ-साथ समाप्त हो रहे हों।

सदनों के कार्यकालों के बीच तालमेल

लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल आम तौर पर पांच साल का होता है। सविधान के अनुच्छेद 83 की धारा (2) में व्यवस्था है कि : लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोकसभा का विघटन होगा। अनुच्छेद 172(1) में विधानसभाओं के बारे में भी इसी तरह के प्रावधान हैं। हालांकि ये सदन पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किये जा सकते हैं, (अनुच्छेद 85(2)(ख)) और 174 (2)(ख)), आपात स्थिति की घोषणा लागू होने को छोड़कर किसी भी अन्य स्थिति में पांच साल के कार्यकाल को बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है।

सभी सदनों के कार्यकालों में एक-दूसरे के साथ तालमेल कायम करने के लिए यह जरूरी है कि कई राज्यों के सदनों का कार्यकाल बढ़ाया जाए या कुछ सदनों का कार्यकाल कम किया जाए, अथवा ये दोनों ही उपाय एक साथ इस्तेमाल किये जाएं। कार्यकालों का विस्तार और इसमें कटौती कुछ मामलों में तो दो से तीन साल तक की हो सकती है। कार्यकाल में इस तरह की कटौती या विस्तार संविधान के ऊपर बताये गये अनुच्छेदों में उपयुक्त संशोधन करने होंगे।

अगर लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकालों में एक बार

लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव अलग-अलग कराने के बजाय एक साथ कराने के पक्ष में दो प्रासंगिक कारण हैं: पहला—एक साथ चुनाव कराने से श्रम, समय और खर्च की बचत होती है; और दूसरा— अलग-अलग चुनाव कराने की बजाय एक साथ चुनाव कराने से शासन संचालन के ठप्प पड़ने की समस्या का समाधान किया जा सकता है।

एक साथ चुनाव कराने की वजह

लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव अलग-अलग कराने के बजाय एक साथ कराने के पक्ष में दो प्रासंगिक कारण हैं: पहला—एक साथ चुनाव कराने से श्रम, समय और खर्च की बचत होती है; और दूसरा— अलग-अलग चुनाव कराने की बजाय एक साथ चुनाव कराने से शासन संचालन के ठप्प पड़ने की समस्या का समाधान किया जा सकता है।

खर्च का सवाल-बचत के क्षेत्र

लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान केन्द्र और मतदाता सूचियां एक ही रहती हैं। किसी एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियां उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचियां बन जाती हैं। इस तरह दो चुनावों के लिए अलग-अलग मतदाता सूचियां तैयार करने में होने वाली काम ही दोहरावट नहीं होती जिससे अतिरिक्त श्रम और खर्च की बचत होती है।

अलग-अलग चुनाव कराने में लॉजिस्टिक्स से संबंधित तमाम इंतजाम दो बार कराने पड़ते हैं जबकि एक साथ चुनाव कराने में सारे कार्य एक साथ पूरे हो जाते हैं। किसी भी चुनाव को कराने के लिए पीटासीन अधिकारी की अध्यक्षता वाली चुनाव टीम गठित की जाती है। इस दल के सदस्य मुख्य रूप से सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के अधिकारी और शिक्षक होते हैं। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ कराने से उसी चुनाव टीम में कुछ और अधिकारियों को शामिल करके सुचारू रूप से कार्य निपटाया जा सकता है। इससे





परिवहन, आवास, प्रशिक्षण, मानदेय और मतदान में काम आने वाली सामग्री के रखरखाव आदि के खर्च में बचत की जा सकती है। यानी एक साथ चुनाव कराने से मानवसंसाधनों की भी किफायत की जा सकेगी। साथ-साथ चुनाव कराने में एक बचत केन्द्रीय पुलिस बलों की तैनाती के रूप में भी हो सकती है। अलग-अलग चुनाव कराने में केन्द्रीय बलों की तैनाती और वापसी दो बार होगी जबकि एक साथ चुनाव कराने से लगभग उतने ही सुरक्षा कर्मियों से दोनों चुनाव अच्छी तरह कराए जा सकते हैं।

एक साथ चुनाव से अतिरिक्त खर्च

एक साथ चुनाव कराने से होने वाली बचत का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों (ई.वी.एम.) पर होने वाले खर्च को बढ़ाया जा सकता है। इस समय ईवीएम के तीन हिस्से होते हैं : कंट्रोल यूनिट, बैलटिंग यूनिट और वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रैल (वीवीपैट-मतदान पुष्टि पर्ची) प्रिंटर। ईवीएम मशीन का अनुमानित जीवन काल 15 साल का होता है। एक चुनाव में एक मतदान केन्द्र पर एक तरह की ईवीएम का उपयोग किया जाता है। इस समय कुछ राज्यों को छोड़ कर विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ आयोजित नहीं किये जा रहे हैं, इसलिए दोनों चुनावों के लिए एक ही ईवीएम का उपयोग किया जाता है। एक ही ईवीएम का विभिन्न चुनावों में बार-बार इस्तेमाल होने से कोई अतिरिक्त खर्च या मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक साथ चुनाव कराने के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र में दो ईवीएम का होना जरूरी है-एक लोकसभा चुनाव के लिए और दूसरी विधानसभा चुनाव के लिए। इसका मतलब हुआ कि देश भर में एक साथ चुनाव कराने के लिए संख्या की दृष्टि से ईवीएम

देश भर में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित करने से अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करने को आने वाले मतदाताओं की संख्या काफी बढ़ाई जा सकती है क्योंकि पांच साल में एक बार चुनावों के आयोजन से सभी वर्गों के मतदाता बड़े उत्साहपूर्वक मतदान में हिस्सा लेंगे। बार-बार चुनाव होने से मतदाताओं के कुछ वर्गों में चुनाव के प्रति ऊब पैदा हो जाती है। अगर एक साथ चुनाव कराने का एक नियमित चक्र निर्धारित कर दिया जाए तो इससे मतदाताओं में ऊब और शहरी मतदाताओं में आम तौर पर देखी जाने वाली चुनाव के प्रति अरुचि की समस्या का समाधान किया जा सकता है।

मशीनों की आवश्यकता अलग-अलग चुनाव कराने के मुकाबले दुगनी होगी।

इस समय देश भर में 10 लाख से अधिक मतदान केन्द्र बनाए जाते हैं। मतदाताओं की संख्या में वृद्धि से यह संख्या और बढ़ सकती है। प्रत्येक मतदान केन्द्र को एक कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट प्रिंटर और एक या एक से अधिक बैलटिंग यूनिट उपलब्ध करायी जाती है (एक यूनिट में 16 उम्मीदवारों के नाम ही आ पाते हैं इसलिए निवाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर बैलटिंग यूनिट उपलब्ध करायी जाती है)। निर्वाचन आयोग की यह नीति रही है कि वह मतदान केन्द्रों में मशीनों में किसी भी गड़बड़ी की आशंका को ध्यान

में रखते हुए कुछ अतिरिक्त यूनिट्स भी रखता है। कंट्रोल यूनिट और बैलटिंग यूनिट के एक सेट का मूल्य 17,000 रुपये है और वीवीपैट मशीन की कीमत 16,000 रुपये से अधिक है। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक मशीन की दर से अतिरिक्त ईवीएम समेत 10 लाख से अधिक ईवीएम खरीदने पर 4000 करोड़ से ज्यादा की लागत आयेगी। चुनाव में इन मशीनों का इस्तेमाल करने पर भंडारण और सुरक्षा पर होने वाले आवर्ती खर्च पर भी काफी बड़ी राशि खर्च करनी होगी। इस तरह ईवीएम मशीनों से लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर चुनाव खर्च में कोई बड़ी कमी आने की संभावना नहीं है।

बहरहाल, राजनीतिक दलों के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ-साथ कराने से चुनाव प्रचार के खर्च में काफी बचत हो सकती है। राजनीतिक पार्टियां व्यापक चुनाव प्रचार करती हैं, खास तौर पर आम चुनावों में। मतदाताओं से संपर्क साधने के लिए वे कई तरीकों, जैसे जन सभाओं, रैली, रोड शो, छोटी नुक़्કड़ सभाओं आदि का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य मंचों में विज्ञापन दिये जाते हैं, मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क साधा जाता है और कई अन्य उपाय भी किये जाते हैं। एक साथ चुनाव होने पर लोक संपर्क के ये सभी साधन दोनों चुनावों में एक साथ काम आ जाएंगे। शीर्ष नेताओं की रैलियां आयोजित करने और जनसंचार माध्यमों में दिये जाने वाले विज्ञापनों पर भारी लागत आती है। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ कराने से राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार का खर्च काफी कम किया जा सकता है।

आदर्श चुनाव आचार संहिता - शासन संचालन पर असर

आदर्श चुनाव आचार संहिता (एम.सी.सी.) उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के व्यवहार से संबंधित दिशानिर्देश हैं जो निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की तारीख से लागू हो जाते हैं। इनका एक महत्वपूर्ण पहलू सत्तारूढ़ पार्टी से संबंधित होता है। एम.सी.सी. के तहत सरकारी संसाधनों का चुनावी गतिविधियों में उपयोग करने तथा वित्तीय अनुदान और नयी योजनाओं की घोषणा करने आदि पर रोक होती है ताकि मतदाता इनके प्रलोभन में आकर सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में बोट न डालें। ये सत्तारूढ़ पार्टी पर एक तरह की बर्दिशों हैं ताकि वे चुनाव से पहले सत्ता में रहने का फायदा उठाते हुए मतदाताओं को अनुचित तरीके से अपने पक्ष में न कर सकें और चुनाव में सभी उम्मीदवारों को बराबरी का मौका मिले। चुनाव संबंधी ये पार्बंदियां सिर्फ चुनाव आचार संहिता के लागू होने के बाद की सीमित अवधि में नयी योजनाओं की घोषणाओं पर लागू होती हैं। इनका असर पहले से चल रही योजनाओं, कार्यक्रमों और कार्य पर नहीं पड़ेगा। अगर सभी चुनाव एक साथ हुए तो चुनाव आचार संहिता के तहत लगने वाले प्रतिबंध भी एक साथ ही लग जाएंगे।

लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता केन्द्र और राज्य, दोनों ही सरकारों पर लागू होती है। विधानसभा चुनाव में यह संहिता उस समय सत्तारूढ़ राज्य सरकार पर लागू होती है जो पूरी तरह युक्तिसंगत है। केन्द्र सरकार पर लगने वाली पार्बंदियां उस राज्य से संबंधित नयी योजनाओं की घोषणा को लेकर होती है जहां चुनाव होने जा रहे हैं। उप चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता संबंधित जिलों में ही लागू होती है। इस तरह चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने से शासन संचालन पर न्यूनतम असर पड़ता है।

स्थानीय निकायों के चुनाव

यहां हमने स्थानीय निकाय चुनावों को चर्चा में शामिल नहीं किया है जिनका आयोजन विभिन्न सांविधिक संगठनों, जैसे संबंधित राज्यों के चुनाव आयोगों की निगरानी, दिशानिर्देश और नियंत्रण में

किया जाता है। स्थानीय निकायों के चुनाव का आयोजन अन्य चुनावों के साथ कराने के लिए उन्हीं चुनावकर्मियों को एक ही समय में दो अलग-अलग प्राधिकारियों से चुनाव संबंधी दिशानिर्देश लेने होंगे, हालांकि इसमें मुद्दे एक जैसे होंगे। यह भी संभव है सभी मामलों में उन्हें अनिवार्य रूप से एक जैसे निर्देश मिलें। फिलहाल, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अलग-अलग तरह के मतदान केन्द्र बनाये जाते हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय निकायों के चुनाव को चुनौती देने के लिए न्यायिक संस्था जिला न्यायाधीश की अदालत तथा अन्य निचली अदालतें होती हैं, जबकि संसद या विधानसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई उच्च न्यायालय में ही संभव है। इसलिए ऐसी नौबत आ सकती है जब चुनाव को चुनौती देने का आधार बना वही मुद्दा दो अलग-अलग अदालतों में उठे। यानी एक ही मुद्दे को लेकर लोकसभा/विधानसभा चुनाव के लिए उच्च न्यायालय में और स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए जिला अदालत में याचिका दी जा सकती है।

देश भर में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित करने से अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करने को आने वाले मतदाताओं की संख्या काफी बढ़ाई जा सकती है क्योंकि पांच साल में एक बार चुनावों के आयोजन से सभी वर्गों के मतदाता बढ़े उत्साहपूर्वक मतदान में हिस्सा लेंगे। बार-बार चुनाव होने से मतदाताओं के कुछ वर्गों में चुनाव के प्रति ऊब पैदा हो जाती है। अगर एक साथ चुनाव कराने का एक नियमित चक्र निर्धारित कर दिया जाए तो इससे मतदाताओं में ऊब और शहरी मतदाताओं में आम तौर पर देखी जाने वाली चुनाव के प्रति असुचि की समस्या का समाधान किया जा सकता है। मतदाताओं की बेहतर भागीदारी से हमारे चुनावों की विश्वसनीयता और बढ़ेगी। एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव पर पहले भी चर्चाएं हुई हैं। इसकी आवश्यकता/व्यवहार्यता, इसके फायदे और नुकसान को लेकर भविष्य में विभिन्न स्तरों पर और अधिक छानबीन और विश्लेषण किए जाने की जरूरत है। ■

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बैंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नेप्चून टॉवर, चौथी मंजिल, नेहरू ब्रिज कॉर्नर, आश्रम रोड	380009	079-26588669

कोविड 19 में राजकोषीय संघवाद

डॉ सज्जन एस यादव
सूरज के प्रधान

समूचा विश्व आज एक अभूतपूर्व युद्ध में उलझा हुआ है। इस युद्ध में उसका सामना एक नए और प्राणघाती शत्रु से हो रहा है। यह शत्रु है-सिवेअर एक्यूट रेस्परेट्री सिंड्रोम कोरोना वायरस-2 (सार्स-कोव-2) नाम का बेहद संक्रामक विषाणु। इस विषाणु से उत्पन्न कोविड-19 रोग ने इस सदी का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट पैदा कर दिया, पूरी दुनिया में सबका जीवन उथल-पुथल कर दिया, अर्थव्यवस्थाओं को बर्बाद कर दिया, परिवारों का नाश कर दिया, जिसके कारण लोगों की जान जा रही है और वे अशक्त हो रहे हैं। भारत सरकार ने संकट की इस घड़ी का सामना करने के लिए राजकोषीय संघवाद की सच्ची भावना के साथ काम किया है। इस संक्रमण से लड़ने, आर्थिक गतिविधियों को स्फूर्ति देने और जन सेवाएं प्रदान करने के मानदंडों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने अनेक उपाय अपनाकर राज्यों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए हैं।

यह महाआपदा नवंबर 2019 में चीन के वुहान से शुरू हुई और देखते ही देखते दुनिया भर में फैल गई। 30 जनवरी 2020 को इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंताजनक जन स्वास्थ्य आपात स्थिति और 11 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया। इस विषाणु ने जितनी बड़ी संख्या में लोगों को शिकार बनाया वैसा पहले कभी नहीं हुआ। 8 अप्रैल 2021 तक विश्व भर में कोरोना संक्रमण से 28 लाख 75 हजार 672 लोग काल के गाल में समा गए। इन्हें मिला कर कुल 13 करोड़ 24 लाख 85 हजार 386 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी थी।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने सहकारी संघवाद का मंत्र अपनाकर कोविड-19 के खिलाफ अनुकरणीय संघर्ष किया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे उपाय अपनाए कि आम जन और आर्थिक गतिविधियों पर महामारी का कम से कम असर पड़े।

शुरुआती चरणों में संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन और शारीरिक दूरी रखने के जो उपाय अपनाए गए उनके कारण आर्थिक गतिविधियां लगभग ठप हो गई थीं। राजस्व वसूली में भारी कमी हुई जबकि खर्चों में बेइतेहा बढ़ोतारी होती गई। राज्यों को खर्चों के लिए राजकोषीय सहायता की जरूरत थी। इसके लिए भारत सरकार ने राजकोषीय संघवाद की सच्ची भावना के साथ काम किया। इस संक्रमण से लड़ने, आर्थिक गतिविधियों को स्फूर्ति देने और जन सेवाएं प्रदान करने के मानदंडों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने अनेक उपाय अपनाकर राज्यों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए हैं।

राज्यों के लिए उधार सीमा में बढ़ोतारी

राज्यों के राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए उधार, वित्त पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में राज्यों द्वारा ऋण लेने की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 के प्रावधानों में निहित है।

राजकोषीय नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने समझ-बूझ के साथ राज्य सरकारों को यह छूट दी कि वे वित्त वर्ष में अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद-जीएसडीपी के 3 प्रतिशत की कुल ऋण सीमा के अंदर उधार ले सकते हैं।

राजस्व प्राप्ति में भारी गिरावट के कारण राज्यों के वित्तीय साधनों पर दबाव कम करने, पूँजीगत व्यय में भारी कटौती से बचने और राजकोषीय प्रबाह में संकुचन को रोकने के लिए भारत सरकार ने 17 मई 2020 को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की ऋण सीमा को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में 2 प्रतिशत और बढ़ा दिया। इससे राज्यों को 4.28 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधार लेने की सुविधा मिल गई।

अतिरिक्त उधार सुविधा के आधे पर कोई शर्त नहीं थी जबकि शेष राशि को निश्चित, मापने योग्य और व्यावहारिक सुधार उपायों के साथ जोड़ा गया। चार जन केंद्रित क्षेत्रों- “एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड, कारोबार में सुगमता, बिजली क्षेत्र और शहरी स्थानीय निकायों” को सुधार उपायों के लिए चुना गया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद चौथाई प्रतिशत उधार अनुमति के लिए इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में सुधार उपायों को पूर्ण करना अनिवार्य हो गया।

डॉ सज्जन एस यादव भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में व्यव विभाग में संयुक्त सचिव और श्री सूरज के प्रधान इसी विभाग में संयुक्त निदेशक हैं।
ईमेल: sajjan95@gmail.com, skpradhan.icoas@nic.in

अर्थोपाय अग्रिम में वृद्धि

भारतीय रिजर्व बैंक-आरबीआई अपने साथ बैंकिंग करने वाले राज्यों को अर्थोपाय अग्रिम यानी बेज एंड मींस एडवांस (डब्ल्यूएमए) प्रदान करता है जिससे उन्हें अपनी राजस्व प्राप्तियों और भुगतान के बीच नकदी के प्रवाह में आई अस्थाई विसंगतियों को दूर करने में मदद मिल सके। आरबीआई ने राज्यों के कुल व्यय, राजस्व घाटे और उनकी वित्तीय स्थिति सहित अनेक घटकों के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए डब्ल्यूएमए की सीमा निर्धारित कर रखी है। डब्ल्यूएमए पर ब्याज आरबीआई की रेपो दर के अनुसार लिया जाता है।

राज्यों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी जाती है जिसके तहत डब्ल्यूएमए की सीमा से अधिक राशि निकाली जा सकती है। ओवरड्राफ्ट पर ब्याज की दर अधिक होती है।

31 मार्च 2020 तक राज्यों की कुल डब्ल्यूएमए सीमा 32 हजार 225 करोड़ रुपये थी। केंद्र और राज्यों के अनुरोध पर आरबीआई ने 7 अप्रैल 2020

को राज्यों के लिए डब्ल्यूएमए की सीमा 60 प्रतिशत बढ़ा दी। इससे राज्यों को 19 हजार 335 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध हो सकी। शुरुआत में अभिवृद्धि तीव्र 30 सितंबर 2020 तक वैध थी जिसे बाद में 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया। आरबीआई ने राज्यों के लिए ओवरड्राफ्ट की अवधि भी बढ़ा कर एक तिमाही में 14 से 21 लगातार कार्य दिवस और 36 से 50 कार्य दिवस कर दी।

डब्ल्यूएमए की सीमा बढ़ने से राज्यों को कम ब्याज दर पर आरबीआई से तत्काल अल्पकालिक उधार लेने की सुविधा मिल गई। इससे उन्हें कोविड-19 पर नियंत्रण और उसका असर कम करने के उपाय अपनाने के लिए बहुत राहत मिली। इस नीतिगत पहल से राज्य

राजस्व प्राप्ति में भारी गिरावट के कारण राज्यों के वित्तीय साधनों पर दबाव कम करने, पूंजीगत व्यय में भारी कटौती से बचने और राजकोषीय प्रवाह में संकुचन को रोकने के लिए भारत सरकार ने 17 मई 2020 को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की ऋण सीमा को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में 2 प्रतिशत और बढ़ा दिया। इससे राज्यों को 4.28 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधार लेने की सुविधा मिल गई।

बाजार से पैसा उधार लेने में अंतराल रखने में समर्थ हुए।

कोविड-19 की अधिसूचित आपदा घोषित और राज्य आपदा राहत कोष नियमों में ढाल

राज्य आपदा राहत कोष-एसडीआरएफ की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48(1) के तहत की गई है। इससे राज्य सरकारों को अधिसूचित आपदाओं से निपटने के लिए मूल राशि उपलब्ध हो जाती है। केंद्र सरकार सामान्य श्रेणी के लिए एसडीआरएफ आवंटन का 75 प्रतिशत और पूर्वोत्तर तथा पर्वतीय राज्यों के लिए 90 प्रतिशत योगदान करती है।

कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने कोविड-19 को अधिसूचित आपदा मानने का निर्णय लिया। राज्य सरकारों को एसडीआरएफ की राशि, संगरोध (क्वारन्टाइन) संबंधी उपायों, आवश्यक

उपकरणों की खरीद, संक्रमित और संगरोध (क्वारन्टाइन) शिविरों में रह रहे लोगों के लिए अस्थाई आवास, भोजन, कपड़े और चिकित्सा सुविधा और बस्ती नियंत्रण गतिविधियों पर खर्च करने की अनुमति दी गई। शुरुआत में वर्ष के लिए एसडीआरएफ आवंटन की 25 प्रतिशत राशि इस मद में खर्च करने की अनुमति दी गई जिसे बाद में बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया।

इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि सभी राज्यों को वर्ष 2020-21 के लिए एसडीआरएफ में केंद्रीय अंशदान की पहली किस्त अग्रिम दे दी जाएगी। एसडीआरएफ के तहत राज्यों को 2020-21 में 11 हजार 92 करोड़ रुपये की राशि दी गई।

पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता

कोविड-19 के कारण आय और व्यय पर असर को देखते हुए राज्यों ने पूंजीगत व्यय पर रोक लगा दी। पूंजीगत व्यय का गुणात्मक प्रभाव बहुत अधिक होता है, यह भविष्य में अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में इजाफा करता है और परिणामस्वरूप आर्थिक वृद्धि दर बढ़ती है।

अत: केंद्र सरकार की प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के बावजूद वित्त मंत्री ने अक्टूबर 2020 में राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 12 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की। आवंटन के एक हिस्से को उन राज्यों के लिए अलग रखा गया जो वित्त मंत्रालय द्वारा चुने गए चार जन केंद्रित क्षेत्रों में से कम से कम 3 में सुधार उपाय अपना लेंगे।



सारणी-1 राज्यों की दिए गए अतिरिक्त संसाधन

(करोड़ रुपये में)

राज्य	अतिरिक्त ऋण (जीएसडीपी के 2 प्रतिशत तक)		अतिरिक्त अर्थोपाय अग्रिम	जीएसटी के कारण राजस्व में कमी की क्षतिपूर्ति	एसडीआरएफ से कोविड-19 संबंधी गतिविधियों के लिए राशि	पूंजीगत व्यजय के लिए योजना	कुल
	संयुक्त (1 प्रतिशत)	सुधार उपाय से जुड़ा (1 प्रतिशत)					
आंध्र प्रदेश	10,102	9,090	906	2,311	560	688	23,657
अरुणाचल प्रदेश	286	113	117	0	125	233	874
असम	3,738	1,680	564	994	386	450	7,812
बिहार	6,462	1,292	852	3,905	708	843	14,062
छत्तीसगढ़	3,584	1,790	396	3,109	216	286	9,381
गोवा	892	846	102	840	6	98	2,784
गुजरात	17,408	8,704	1,149	9,222	662	285	37,430
हरियाणा	8,586	4,292	549	4,352	246	91	18,116
हिमाचल प्रदेश	1,754	1,138	330	1,717	205	533	5,677
झारखण्ड	3,530	0	432	1,689	284	277	6,212
कर्नाटक	18,036	9,919	1,191	12,407	396	305	42,254
केरल	9,044	9,043	729	5,766	157	82	24,821
मध्य प्रदेश	9,492	8,542	960	4,542	910	1,320	25,766
महाराष्ट्र	30,788	0	2,031	11,977	1,611	514	46,921
मणिपुर	302	195	117	0	21	317	952
मेघालय	388	154	105	112	33	200	992
मिज़ोरम	264	0	96	0	24	200	584
नगालैंड	314	0	123	0	21	200	658
ओडिशा	5,716	4,000	591	3,822	802	472	15,403
पंजाब	6,066	4,851	555	8,359	287	296	20,414
राजस्थान	10,924	10,377	978	4,604	741	1002	28,626
सिक्किम	312	61	0	0	25	200	598
तमिलनाडु	19,254	9,626	1,485	6,241	510	0	37,116
तेलंगाना	10,034	7,524	648	2,380	225	358	21,169
त्रिपुरा	594	533	153	226	34	300	1,840
उत्तर प्रदेश	19,406	9,702	2,130	6,007	967	976	39,188
उत्तराखण्ड	2,810	2,807	303	2,316	469	675	9,380
पश्चिम बंगाल	13,574	0	1,137	4,431	506	630	20,278
कुल	213,660	106,279	18,729	101,329	11,137	11,831	4,62,965

व्यविभाग की योजना के तहत 27 राज्यों के 11 हजार 912 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यव्य प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया। राज्यों को 11 हजार 830 करोड़ रुपये की राशि दी गई। 11 राज्य योजना के भाग-3 के तहत अधिक आवंटन पाने के लिए भी पात्र हुए।

जीएसटी भरपाई निधि में कमी को पूरा करने के लिए विशेष उद्धार व्यवस्था

जीएसटी में स्थानीय करों को शामिल करने और उसके कारण राजस्व घाटे में आशंका को देखते हुए जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति)

अधिनियम, 2017 लागू किया गया। यह सहमति बनी कि जीएसटी पर अमल के कारण राजस्व में जो भी कमी रहेगी उसकी भरपाई शुरू के पांच वर्ष तक जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि से की जाएगी। इस निधि के लिए धनराशि कुछ चुनी हुई वस्तुओं पर उपकर लगाकर अर्जित करने का प्रावधान किया गया।

आर्थिक मंदी के कारण 2020-21 में जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में 1.10 लाख करोड़ रुपये की कमी का अनुमान लगाया गया। राज्यों के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने अनुमानित कमी की भरपाई हेतु राज्यों की ओर से उधार लेने के लिए विशेष व्यवस्था करने का निर्णय लिया और उन्हें एक के बाद एक ऋण के रूप में यह राशि दे दी जिसे भविष्य में क्षतिपूर्ति निधि में प्राप्त होने वाली राशि से चुकाने का प्रावधान किया।

करों में राज्यों की हिस्सेदारी बरकरार रखना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित वित्त आयोग सिफारिश करता है कि कर या शुल्क से प्राप्त कुल राशि में से राज्यों को कितना प्रतिशत हिस्सा दिया जाए और कर या शुल्क से प्राप्त राशि कैसे वितरित की जाए। 14वें वित्त आयोग ने पहली बार केंद्रीय विभाज्य पूल से राज्यों की हिस्सेदारी में बड़ी भारी वृद्धि की सिफारिश की और उसे 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया। जम्मू-कश्मीर राज्य को जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठित किए जाने के मद्देनजर 15वें वित्त आयोग ने कर राजस्व में उनकी हिस्सेदारी 41 प्रतिशत करने

की सिफारिश की।

2020-21 की पहली तिमाही के दौरान केंद्र सरकार की सकल कर राजस्व प्राप्ति में भारी कमी देखी गई। कमी के बावजूद केंद्र सरकार ने इस अवधि के दौरान राज्यों के लिए करों में हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों के अनुसार ही रखी। इतना ही नहीं, वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में राजस्व में उछाल आया तो केंद्र सरकार ने राजकोषीय संघवाद की सच्ची भावना के अनुरूप राज्यों को 45 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की।

इस प्रकार वित्त वर्ष 2020-21 में महामारी के कारण लड़खड़ाते संसाधनों के बावजूद केंद्र सरकार ने राज्यों को महामारी से लड़ने और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु आर्थिक रूप से सशक्त किया। वित्त मंत्रालय की ओर से 2020-21 में राज्यों को दिए गए अतिरिक्त संसाधनों का ब्यौरा सारणी-1 में दिया गया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोविड-19 से भारत के संघर्ष को विश्व भर काफी सराहना मिली है। अपने देश के लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखने के अलावा 150 से अधिक देशों को भी ज़रूरी दवाएं, टीके, जांच किट, वेंटीलेटर और निजी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के उल्लेखनीय समन्वित प्रयासों के साथ विषाणु से संघर्ष में हम सफल हो रहे हैं। इस सामूहिक संघर्ष में देश ने सहकारी संघवाद और विकंट्रीकृत प्रशासन की नई ताकत प्रदर्शित की है। ■

कृपया ध्यान दें

पत्रिकाओं की सदस्यता के संबंध में नोटिस

कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थितियों के कारण साधारण डाक से भेजी गई हमारी पत्रिकाओं की डिलिवरी न हो पाने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। हमारे माननीय उपभोक्ताओं को योजना, क्रुक्षेत्र, बाल भारती और आजकल पत्रिका की समय पर डिलिवरी सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि नए उपभोक्ताओं को साधारण डाक से पत्रिकाओं का प्रेषण तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। यह केवल नए उपभोक्ताओं के लिए लागू होगा तथा मौजूदा उपभोक्ताओं को उनकी सदस्यता दरों के अनुसार पत्रिकाएं भेजी जाती रहेंगी।

हमारी पत्रिकाओं के लिए नई सदस्यता दरों जिनमें रजिस्टर्ड डाक से पत्रिका भेजने का शुल्क भी शामिल है, निम्नलिखित हैं-

सदस्यता प्लान	योजना, क्रुक्षेत्र तथा आजकल (सभी भाषाएं)	बाल भारती
1 वर्ष	रु. 434	रु. 364
2 वर्ष	रु. 838	रु. 708
3 वर्ष	रु. 1222	रु. 1032

वर्तमान परिस्थितियों में यह एक अस्थायी व्यवस्था है क्योंकि डाक विभाग साधारण डाक के वितरण में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। अतः जैसे ही देश में सामान्य स्थितियां बहाल हो जाएंगी पत्रिकाओं को पुनः साधारण डाक से भेजना आरंभ कर दिया जाएगा।

कौशल विकास का बेहतर ढांचा

जूथिका पाटणकर
डॉ मनीष मिश्र

भारत में कौशल विकास अब भी काफी हद तक केंद्र सरकार से संरक्षित है। हालांकि, राज्य सरकारों भी अब तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए बजटीय आवंटन बढ़ा रही हैं। कौशल विकास की ज्यादातर योजनाओं में नियोजन और निगरानी का काम केंद्र सरकार करती है और राज्य सरकारों और जिलों की कोई भूमिका नहीं होती। अगर हम आजीविका तथा बेहतर आर्थिक अवसर मुहैया कराने में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कर उन्हें सशक्त बनाना चाहते हैं, तो इस स्थिति को बदलना होगा।

पि

छले एक दशक के दौरान विभिन्न राज्यों में 700 से भी ज्यादा जिला कौशल समितियां (डीएससी) स्थापित की गई हैं। हालांकि, कौशल प्रशिक्षण योजनाओं के नियोजन, उन्हें लागू करने और उनकी निगरानी में अब तक इन समितियों की असरदार भूमिका देखने को नहीं मिली है। इसमें थोड़ा बक्त लग सकता है। अगर हमें इस सिलसिले में विकेंद्रीकरण का लक्ष्य हासिल करना है, तो जिला कौशल समितियों की क्षमता का निर्माण जरूरी है। साथ ही, इन समितियों को जिला स्तर पर कौशल विकास के प्रबंधन का दायित्व संभालना होगा, ताकि संसाधनों का अधिकतम और बेहतर उपयोग व स्थानीय आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। इसके अलावा, समाज के तमाम वर्चित समुदायों को भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाना होगा।

जिला कौशल समितियों की क्षमता निर्माण जरूरतों को समझने के लिए सबसे पहले हमें विकेंद्रित कौशल प्रबंधन प्रणाली के कामकाज के बारे में जानना होगा। इसके तहत, जिला स्तर पर मांग और आपूर्ति, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और कौशल से जुड़ी आधारभूत संरचना को ध्यान में रखते हुए कौशल प्रशिक्षण के लिए नियोजन की बात है। विभिन्न गतिविधियों मसलन प्रशिक्षकों

की पहचान, उन्हें सलाह देने आदि के लिए जिला कौशल समितियों को संसाधन भी उपलब्ध कराना चाहिए। इसके अलावा, योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन भी जरूरी है, ताकि अपेक्षित नतीजों को हासिल किया जा सके।

जिला कौशल समिति में किसी जिले के विकास से जुड़े तमाम अहम अधिकारी शामिल होते हैं। इन अधिकारियों को अपने विभागीय कार्यक्रमों, आर्थिक स्थिति व जिले की संभावना, श्रम बल की प्रकृति और प्रशासनिक प्रणालियों की बेहतर समझ होती है। ऐसे में हर तरह के कारोबार और समुदाय के लिए कौशल प्रशिक्षण की बेहतर सुविधा मुहैया कराई जा सकती है, जिससे लोगों में रोजगार हासिल करने की क्षमता पैदा हो सकेगी। इस समिति के प्रमुख डीएम होते हैं और यह जिले में उचित नियोजन के जरिए बड़े पैमाने पर कौशल विकास को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त इकाई है। जिला कौशल समिति को अधिकारों से लैस कर इसे सशक्त बनाने के लिए हमें इसकी क्षमता को बेहतर बनाना होगा। इन समितियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत



जूथिका पाटणकर भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय में अपर सचिव हैं। ईमेल: juthikapatankar64@gmail.com

डॉ मनीष मिश्र इसी मंत्रालय के स्किल एविक्षित एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहूड प्रोशन (संकल्प) के लीड कंसलटेंट हैं। ईमेल: maneesh.mishra06@gmail.com



1) ज्ञान के सृजन और प्रबंधन, 2) सामग्री को स्थानीय जरूरतों के हिसाब से तैयार करने और 3) प्रशिक्षण के जरिये ज्ञान के प्रसार, 4) बेहतर तौर-तरीकों के लिए अवसर मुहैया कराने, 5) मूल्यांकन के साथ कार्रवाई योग्य सुझावों पर फोकस करना होगा।

छोटी अवधि के कौशल प्रशिक्षण वाले राज्य कौशल मिशन या 'संकल्प' की सक्रियता पर्याप्त नहीं है, लिहाजा जिला कौशल नियोजन पर ध्यान देना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि जिला कौशल समिति में मौजूद लोगों का राज्य/जिलों में पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जिला कौशल समितियों और संकल्प के बीच विभिन्न संवादों के परिणामस्वरूप कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों के नियोजन और निगरानी के मानक स्वरूप की ज़रूरत है। इससे जिला कौशल समितियों को ठोस और प्रामाणिक योजनाएं तैयार करने में मदद मिलेगी और यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि अलग-अलग जिलों में उन्हीं जिलों की आवश्यकताओं के महेनज़र बनीं योजनाएं प्रभावी तरीके से काम कर सकें। इसे ध्यान में रखते हुए संकल्प ने डीएससी टूलकिट तैयार किया है, जिसमें कौशल संबंधी गतिविधियों के नियोजन और निगरानी के लिए ढांचा और कौशल प्रशिक्षण के प्रबंधन के लिए उपयोगी जानकारी से लैस लाइब्रेरी मौजूद है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में जिला कौशल समितियों की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को असरदार ढांग से लागू करने में उप-समितियों

और टूल किट की भी भूमिका है।

इन कदमों के अलावा, हमें जिला कौशल समिति समितियों से जुड़े ज्ञान सृजन और प्रसार की प्रक्रिया को संस्थागत स्वरूप देना होगा। साथ ही, इन समितियों के सदस्यों को अधिकारों और सुविधाओं से लैस करना होगा, ताकि वे कौशल प्रबंधन के मामले में अपने अनुभव और ज्ञान का इस्तेमाल कर सकें। हालांकि, प्रशिक्षण की सफलता राज्य सरकार के विभागों के साथ तात्प्रति और उनके सहयोग पर निर्भर करेगी। इसके तहत, राज्य सरकारों को अपने जिला अधिकारियों के लिए कोर्स की अनुमति देनी होगी और बेहतर तरीके से काम को अंजाम देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी करना होगा। बहरहाल, यह काम असंभव नहीं है, लेकिन सभी आधिकारिक पक्षों के बीच ठीक से संवाद नहीं होने की वजह से इसमें मुश्किल होगी।

अगर राज्य और जिले इस तरह के प्रस्तावित क्षमता निर्माण के मकसद को समझें और इस दिशा में सक्रियता से काम करें,

कौशल विकास और उद्यमशीलता

मंत्रालय के मुख्य कार्यक्रम
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
में जिला कौशल समितियों की
अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री
कौशल विकास योजना को
असरदार ढांग से लागू करने में
उप-समितियों और टूल किट की
भी भूमिका है।

तो समाधान मिल सकता है। जिला कौशल समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण के लिए तैनात कर ऐसा किया जा सकता है। राज्य, प्रशिक्षित अधिकारियों के लिए भी कई तरह के प्रोत्साहन पर विचार कर सकते हैं, मसलन अधिकारियों की पसंद के मुताबिक उनकी अगली तैनाती, उनकी पसंद के आधार पर प्रतिनियुक्ति, देश के बेहतर संस्थानों में उनके लिए कम से कम एक प्रशिक्षण कोर्स उपलब्ध कराना आदि। जिला कौशल समितियों के सदस्यों के लिए कौशल प्रबंधन और नेतृत्व प्रशिक्षण का ढांचा तैयार करने तथा इसे उपलब्ध कराने के लिए राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) से संपर्क किया गया। इस संबंध में राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों को जोड़ने के कई फायदे थे: जिला अधिकारियों को छोटी अवधि के कोर्स के लिए तैनात किया गया, क्योंकि इसका प्रचलन ज्यादा है; भाषा से जुड़ी समस्या का भी समाधान किया गया क्योंकि एटीआई राज्य सरकार के अधिकारियों से उन्हीं की भाषा में संवाद कर रहा था; संस्थानों को मजबूत करने का सकल्प का मकसद इसलिए पूरा हो सका क्योंकि संकल्प के वित्तीय संसाधनों का सही ढांग से इस्तेमाल करके एटीआई को सहारा दिया गया। एटीआई के सरकारी संस्थान होने की वजह से जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने में कोई दिक्कत नहीं हुई। एटीआई का इस्तेमाल सभी संबंधित पक्षों के लिए बेहतर विकल्प साबित हुआ।

एटीआई बेशक एक प्रशंसनीय और आकर्षक विकल्प था, लेकिन इससे इस समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हो पाया कि क्षमता निर्माण की प्रक्रिया में पूरी तरह से जिला स्तर पर और आशिक रूप से राज्य स्तर पर अधिकारियों की सक्रियता का लक्ष्य किस तरह हासिल किया जाए। हमें अलग-अलग राज्यों और हर जिले में इस अभियान से जुड़ी कमज़ोरियों की पहचान करने की ज़रूरत है। साथ ही, इन कौशल विकास समितियों को सशक्त और सक्रिय बनाने के लिए उपाय करने होंगे। क्षमता निर्माण को सीधे तौर पर कौशल विकास मंत्रालय से राज्यों और जिला कौशल समितियों को स्थानांतरित करना संभव नहीं है। इसे विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के तहत समन्वित तरीके से विकसित करना होगा, ताकि सभी जिलों की ज़रूरतों

के आधार पर पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण, माध्यम, प्रक्रिया, व्यावहारिक शिक्षा का बेहतर ढांचा तैयार किया जा सके। इसके साथ ही, विशेषज्ञ संस्थानों और प्रशिक्षकों की भी मदद ली जानी चाहिए, ताकि आइडिया के स्तर पर सही मायने में सशक्तीकरण और प्रचार-प्रसार हो सके। इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों तरह की इकाइयां भूमिका अदा कर सकती हैं। देश में कई ऐसे संस्थान हैं, जिनके पास क्षमता निर्माण में विशेषज्ञता है और वे इस संबंध में योगदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक नीति से जुड़े शोध के क्षेत्र में काम करने वाले संस्थान (खास तौर पर स्थानीय स्तर पर नियोजना से जुड़े मामलों में) अपनी भूमिका निभा सकते हैं और कौशल विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञता पैदा कर सकते हैं। इस ज्ञान और विशेषज्ञता का प्रसार एटीआई जैसे संस्थानों द्वारा किया जा सकता है। इस तरह, कौशल विकास समितियां आने वाले समय में कौशल और कौशल प्रबंधन से जुड़ा भरोसेमंद डेटा तैयार करने के लिए खुद से क्षमता विकसित कर सकती हैं और कौशल प्रशिक्षण, क्षेत्र कौशल परिषद और नियोक्ता इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डेटा के आधार पर तैयार प्रशिक्षण रणनीतियों से गड़बड़ियों को दूर करने में मदद मिलेगी और कौशल प्रशिक्षण के नीति बेहतर हो सकेंगे।

अब तक हमने क्षमता निर्माण की जरूरत के बारे में बात की है। अब क्षमता

राज्य, प्रशिक्षित अधिकारियों के लिए भी कई तरह के प्रोत्साहन पर विचार कर सकते हैं, मसलन अधिकारियों की पसंद के मुताबिक उनकी अगली तैनाती, उनकी पसंद के आधार पर प्रतिनियुक्ति, देश के बेहतर संस्थानों में उनके लिए कम से कम एक प्रशिक्षण कोर्स उपलब्ध कराना आदि। जिला कौशल समितियों के सदस्यों के लिए कौशल प्रबंधन और नेतृत्व प्रशिक्षण का ढांचा तैयार करने तथा इसे उपलब्ध कराने के लिए राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) से संपर्क किया गया।

निर्माण से जुड़ी सामग्री पर भी संक्षिप्त चर्चा जरूरी है। हम इन उदाहरणों पर विचार करते हैं जो क्षमता-निर्माण से जुड़ी सामग्री के कुछ पहलूओं को दर्शाते हैं। सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देना एक बड़ा लक्ष्य प्रतीत होता है, लेकिन कौशल प्रबंधन के विकेंद्रीकरण के जरिये इसे आसानी से हासिल किया जा सकता है।

भारत में पारंपरिक तौर पर कौशल का मामला जाति आधारित रहा है। बिना कमाई वाले और बाजार के हिसाब से कम लोकप्रिय कौशल आम तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण रूप से गरीबों से जुड़े होते हैं और इन्हें कमतर माना जाता है। इसका सबसे सटीक उदाहरण 'सफाई कर्मचारी' है। इस तरह के कार्यों को लेकर मौजूद धारणाओं को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? कचरे की सफाई, कृड़ा बीनना और इसके निस्तारण जैसे कार्यों के लिए किस तरह बेहतर पारिश्रमिक और अवसर मुहैया कराए जा सकते हैं? इसका जवाब इन कार्यों का मशीनीकरण है। हमें खतरनाक और सामाजिक रूप से हीन समझे जाने वाले कार्यों के लिए मशीन का इस्तेमाल करने संबंधी कौशल प्रशिक्षण सुनिश्चित करना होगा। इस तरह, इन कार्यों को सुरक्षित तरीके से अंजाम दिया जा सकेगा और लोगों का सम्मान भी बना रहेगा। मशीनीकरण से काम करने का तरीका बदल जाएगा। यह काम से जुड़ी शर्तों और योग्यताओं को बदल देगा और देखरेख के स्तर पर अलग-अलग तरह की भूमिकाओं की जरूरत होगी। ऐसे काम का तौर-तरीका बदलने और करियर के तौर पर इसमें नई संभावना उभरने से अन्य जातियों के लोग भी इन कार्यों की तरफ आकर्षित होंगे और इनसे जुड़े मौजूदा लोगों के कामकाजी माहौल का स्तर भी बेहतर होगा। साथ ही, इन लोगों के लिए विविध तथा अन्य जुड़े कार्यों की तरफ रुख करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इससे

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 (2016-20)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) की उपलब्धियां

प्रशिक्षित लोगों की संख्या

- 1.32 लाख से ज्यादा: अनुमूलित जाति
- 4.70 लाख से ज्यादा: अनुमूलित जनजाति
- 31 लाख से ज्यादा: अन्य पिछड़ा वर्ग

#PMKVY3


योजना, मई 2021

संकल्प

आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता

संस्थानों को मजबूत बनाने, विकेंद्रीकृत नियोजन को बढ़ावा देने और कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अनोखी पहल

35



समाज में मौजूद जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों को भी कम किया जा सकेगा और समतावादी समाज की राह आपान होगी। हालांकि, इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सिर्फ मशीनों से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए दूर-दराज की भौगोलिक और प्रशासनिक इकाइयों समेत अलग-अलग जिलों में कौशल प्रशिक्षण से जुड़े नियोजन और प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। इससे इन कार्यों में स्थानीय तौर पर मशीनीकरण की भूमिका हकीकत बनेगी और ऐसे कार्यों से जुड़े लोगों को दूसरे क्षेत्रों में अवसर के लिए भी गुंजाइश बनेगी।

सफाई के काम का उदाहरण ऐसा है जो हर जगह मौजूद है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे कार्य हैं जिनका परिश्रमिक काफी कम है और इन कार्यों के लिए बेहतर माहौल बनाने की खातिर नए तरीके से कौशल प्रशिक्षण की जरूरत है। जिला स्तर के कौशल नियोजनकर्ताओं को सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देने के बारे में सीखना चाहिए।

एक और अहम क्षेत्र में क्षमता निर्माण की जरूरत है। इसके तहत, योजना बनाने वालों के पास जिला कौशल योजनाओं के अगले और पिछले जुड़ाव (लिंकेज) को समझने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि इन योजनाओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर के नियोजन और अवसरों से जोड़ा जा सके। उदाहरण के तौर पर हम पर्यटन की बात करते हैं- ज्यादातर जिलों में संबंधित अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि जिला स्तर

पर पर्यटन से संबंधित कौशल प्रशिक्षण से पर्यटकों की आवक और आय में बढ़ोतारी होगी और इसके परिणामस्वरूप रोजगार भी बढ़ेगा। हालांकि, यह सच नहीं है।

अगर सिर्फ जिले के हिसाब से देखा जाए तो लोगों के लिए पर्यटन और विरासत का संरक्षण जटिल गतिविधियां हैं और सिर्फ जिले के नजरिये से ज्यादा आय पैदा करने वाला भी नहीं है। स्थानीय युवाओं को पर्यटन में करियर के मौके मुहैया कराने के लिए जिला नियोजनकर्ताओं के पास राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पर्यटन के नक्शे, ठिकाने तथा नीतियों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और इस बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखते हुए उन्हें यह तथ्य करने की कोशिश करनी चाहिए कि उनका जिला किस तरह से भूमिका अदा कर सकता है। अगर कौशल का प्रशिक्षण सिर्फ संबंधित जिले से जुड़ी संभावनाओं तक सीमित कर दिया जाए तो स्थानीय स्तर पर मौजूद पर्यटन के ठिकानों को कमाऊ पर्यटक स्थलों में बदला नहीं जा सकता और न ही गाइड के तौर पर और परिवहन क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर रोज़गार उपलब्ध हो सकेगा। किसी जिले में किस तरह के व्यापार और पेशे के लिए बेहतर गुंजाइश बन सकेगी, इसके लिए जिला कौशल समितियों को कौशल प्रबंधन में प्रशिक्षण की जरूरत होगी।

जिला कौशल नियोजन में भी जिले की आवादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, स्थानीय समुदायों के कौशल इतिहास और उनकी बदलती या उभरती आकांक्षाओं के बारे में व्यापक समझ जरूरी है। जिला स्तर

पर कौशल नियोजन के विकासीकरण से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि जिले में मौजूद उद्योगों, आर्थिक गतिविधियों, शिक्षा के स्तर आदि के जरिये सभी लोगों की संभावनाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखा जाए। आम तौर पर इस बात के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रशासन की आलोचना की जाती है कि इसमें अवसरों और प्रशिक्षुओं के रुचानों और आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। आधुनिक साधन (टूल) से लैस कई ऐसी पेशेवर एजेंसियां हैं जो व्यवसाय आधारित विषय के लिए लोगों की दिलचस्पी का आकलन करती हैं। इन एजेंसियों के साथ काम करने के लिए मनोविज्ञान और दिमाग संबंधी विश्लेषण की थोड़ी सी समझ जरूरी है। हालांकि, इस बारे में विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी होनी चाहिए कि प्रशिक्षुओं की दिलचस्पी का पता लगाने के लिए संबद्ध प्राधिकार एजेंसियों को संबंधित टूल इस्तेमाल करने को कह सकें और उपलब्ध कोर्स के विकल्पों पर बेहतर सलाह दे सकें। उदाहरण के लिए, जिला कौशल नियोजनकर्ताओं को उन कारोबारों के बीच अंतर करना सीखना होगा जिनसे लोगों को आजीविका मिली है और जिनमें स्थानीय ही नहीं बल्कि राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर बेहतर संभावनाएं हैं, लिहाजा इन कारोबारों के कौशल प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ की जरूरत होगी।

जिला कौशल समितियों के सशक्तीकरण और उनकी भूमिकाओं का दायरा बढ़ाने से वित्तीय संसाधनों की जरूरत होगी। साथ ही, यह भी सवाल उठेगा कि किस तरह से ये संसाधन जुटाए जाएं, मसलन क्या ये संसाधन सरकारी बजटीय आवंटन से हासिल होने चाहिए या इसके लिए समितियों को खुद से आय पैदा करने के लिए नया मॉडल विकसित करना चाहिए। इसके लिए वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण की जरूरत होगी। समितियों का संवाद उद्योग जगत के प्रतिनिधियों मसलन स्थानीय उद्योग और व्यापार चैंबर, क्षेत्र कौशल परिषदों, व्यावसायिक सलाहकार समेत तमाम विशेषज्ञों आदि से होना चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर विकास, पारस्परिक संवाद और अन्य विषयों से जुड़े कोर्स भी इस दिशा में कारगर कदम साबित होंगे। ■



संघीय शासन

संघवाद की चुनौतियां और आगे का रास्ता

समीरा सौरभ

भारत जैसे विशाल और विविधताओं वाले देश को संघवाद के छह स्तंभों-राज्यों की स्वायत्तता, राष्ट्रीय एकीकरण, केन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकरण, राष्ट्रीयकरण और क्षेत्रीयकरण के बीच उचित संतुलन बनाना आवश्यक है। धूर राजनीतिक केन्द्रीयकरण या अव्यवस्थित राजनीतिक विकेन्द्रीकरण, दोनों ही भारतीय संघवाद को कमज़ोर कर सकते हैं। इनके बीच उचित संतुलन कायम करने से ही केन्द्र सरकार को राज्यों की स्वायत्तता पर एक सीमा से अधिक दबाव डालने से रोकने के साथ-साथ राज्यों को ऐसी दिशा में भटकने से भी रोका जा सकता है जिससे राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा उत्पन्न हो। इन अतियों पर नियंत्रण करना एक चुनौती है क्योंकि संघवाद को एक ओर राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता को पूरा करना है तो दूसरी ओर क्षेत्रीय स्वायत्तता का भी ध्यान रखना है।


भा

रतीय संविधान ने देश में ऐसी राजनीतिक प्रणाली की व्यवस्था की है जिसका स्वरूप संघीय है। यानी सरकार के दो स्तर हैं—राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर। इसके साथ ही भारतीय संविधान में संघीय सरकार को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। इसलिए भारत में “केन्द्रीकृत संघवाद” की स्थिति दिखाई देती है। संविधान सभा में चर्चाओं के दौरान प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने आगाह किया था, “कमज़ोर केन्द्रीय सरकार

देश के हितों के लिए हानिकारक होगी और ऐसी केन्द्रीय सरकार शांति सुनिश्चित करने, साझा सरोकार वाले अहम मसलों में तालमेल कायम करने और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में समन्वित रूप से भारत की आवाज को उठाने में सक्षम नहीं होगी।” संविधान सभा के अन्य जानेमाने सदस्यों ने भी भारत में धर्म, भाषा, जाति और वंश की व्यापक विविधताओं को देखते हुए अपना अस्तित्व बनाए रखने और राजनीतिक स्थिरता के लिए अधिक मजबूत संघीय सरकार की मांग की।

लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि भारत का संवैधानिक ढांचा राज्यों की तुलना में संघ सरकार को अधिक अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में झुका हुआ है। भारतीय संविधान में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण संघीय विशेषताएं हैं। आस्ट्रेलिया के संविधान विशेषज्ञ के.सी. हवीयर ने एक बार भारतीय संविधान को अर्ध-संघीय करार दिया था: “भारतीय संघ अनुषंगी एकात्मक विशेषताओं वाले संघीय राज्य की बजाय अनुषंगी संघीय विशेषताओं वाला एकात्मक राज्य है।” अर्ध-संघवाद में

लेखिका भारत सरकार में निदेशक हैं। वह विदेश मंत्रालय और इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स में नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में शामिल रही हैं।
ईमेल: sameera.saurabh@gmail.com



विकेन्द्रीकरण की अवसर-लागत जैसे अपने मसले हो सकते हैं, जो बड़े पैमाने पर उत्पादन से होने वाली किफायत का फायदा न उठाने, विभिन्न क्षेत्राधिकारों के बीच पारस्परिक असर और सरकार के एक स्तर से दूसरे स्तर पर लागत स्थानांतरण के रूप में मूर्त रूप में सामने आते हैं।

कोविड 19 के दौरान संघीय शामन संचालन

कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत में की गई कार्रवाई से देश के संघीय ढांचे का संतुलन बदल कर रह गया है। महामारी ने परम्परागत रूप से राज्यों के दायरे में समझे जाने वाले क्षेत्रों में केन्द्र सरकार को दूरगामी सुधार लागू करने का अधिकार दे दिया है। केन्द्र सरकार की यह कार्रवाई इस बात का संकेत देती है कि सरकार संघीय शक्ति का फायदा उठाकर महत्वपूर्ण सुधारों को लागू करना चाहती है।

भारत के संविधान में केन्द्र और राज्यों के बीच अधिकारों के आबंटन की विस्तृत योजना दी गयी है यद्यपि इसमें भी एकात्मक ढांचे का आधार भी विद्यमान है। संविधान के अधिदेश से स्थापित वित्त आयोग केन्द्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे की सिफारित करता है जिसमें केन्द्र परम्परागत रूप से राजस्व पूल में से ज्यादातर राशि अपने पास रखता है। लेकिन केन्द्र-राज्य संबंधों का दायरा समय के साथ-साथ नयी परिस्थितियां उत्पन्न होने से बदल गया है। उदाहरण के लिए वस्तु और सेवा कर की शुरुआत के बाद संबंधों में स्पष्ट बदलाव आए हैं। ये बदलाव केन्द्र द्वारा राजनीतिक सत्ता के कभी-कभार

बढ़ंगे तरीके से इस्तेमाल की वजह से भी होते हैं। वैसे आम तौर पर बदलाव की आवश्यकता को लेकर मोटे तौर पर सहमति भी रहती है।

मौजूदा दौर में संघवाद का सबसे महत्वपूर्ण क्षण भारत में कोविड-19 संकट के प्रबंधन के लिए जमीनी स्तर पर राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका का उजागर होना है। प्रारंभिक चुनौतियों के बाद संघ सरकार ने राज्यों को महामारी के प्रकोप से निपटने और सामाजिक सुरक्षा के उपाय लागू करने, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने और स्थानीय स्तर के लॉकडाउन का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश छोड़ी और स्वायत्ता भी दी। चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, राज्यों ने अधिकतर मामलों में संघ सरकार के साथ अपने राजनीतिक समीकरणों का ध्यान रखे बिना अपने क्षेत्राधिकार में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने वाले मुख्य एजेंट और प्रशासन करने वाले के रूप में कार्य किया और केन्द्र की भूमिका समन्वयकारी रही।

कोविड-19 के प्रारंभिक चरण में सरकार की कार्रवाई ने भारत के संघीय ढांचे का एकात्मकता की ओर झुकाव रेखांकित हुआ। केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय आपदा प्रबंधन कानून के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय लॉकडाउन लागू किया और केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने महामारी पर नियंत्रण के लिए राज्यों को विस्तृत दिशनिर्देश जारी किये। यह कानून केन्द्र सरकार को आवश्यकता पड़ने पर राज्यों और स्थानीय प्राधिकारियों की शक्तियों को अपने हाथ में लेने का अधिकार प्रदान करता है। राज्य सरकारों ने केन्द्र के आदेशों का पालन किया, हालांकि उनके पास 1897 के महामारी संबंधी और भी विशिष्ट

कानून के तहत स्वतंत्र शक्तियां थीं। देशव्यापी लॉकडाउन के शुरुआती दौर में राज्य सरकारों ने केन्द्र से इसका प्रशासन जारी रखने अनुरोध किया। ऐसा करके उन्होंने निर्णय लेने की अपनी काफी बड़ी शक्ति और राजनीतिक पूँजी का परित्याग कर दिया और इसे केन्द्र सरकार को सौंप दिया।

लॉकडाउन के बाद के चरणों में उनकी स्वायत्ता बहाल होती दिखाई दी, लेकिन भारत में केन्द्र के मुकाबले राज्यों को कामकाजी शक्तियां कम हैं। चूंकि राष्ट्रीय लॉकडाउन में लगभग सभी अर्थिक गतिविधियों को बंद करना जरूरी था, इसलिए राज्य सरकारों के राजस्व में जबरदस्त गिरावट आयी। यहां तक कि लॉकडाउन से पहले ही, भारत के कई राज्य अपने लिए निर्धारित वित्तीय घाटे की सीमा को या तो तोड़ चुके थे या तोड़ने के कगार पर थे। लॉकडाउन ने केन्द्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता को और भी बढ़ा दिया।

मई 2020 में भारत की वित्तमंत्री ने लॉकडाउन के बाद भारत की अर्थव्यवस्था के फिर से पटरी पर लौटने की प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से सिलसिलेवार अनेक सुधारों की घोषणा की। इन्हीं सुधारों में से एक था राज्यों की उधार लेने की सीमा में सर्वान्वयन की वृद्धि। केन्द्र सरकार ने राज्यों सरकारों की उधार लेने की सीमा उनके सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दी। लेकिन इस सीमा की सिर्फ 0.5 प्रतिशत राशि बिना शर्त है। इसके बाद एक प्रतिशत और उधार लेने की अनुमति तभी दी जाएगी जब ऋण राशि को विशेष सुधारों जैसे ऋण सातत्य, रोजगार शृंजन, बिजली क्षेत्र में सुधार और शहरी विकास से जोड़ा जाएगा। अंतिम 0.5 प्रतिशत की अनुमति तभी दी जाएगी जब राज्य इन क्षेत्रों में प्रमुख मील के पथर पर कर लेंगे।

कृषि क्षेत्र में सुधारों का असर राज्यों की स्वायत्ता पर पड़ सकता है, लेकिन ये देश के विकास और खुशहाली के लिए जरूरी हैं। भारत में कृषि राज्यों का विषय है और राज्य, केन्द्र सरकार द्वारा सुझाये गये मामूली से सुधारों का भी विरोध करना शुरू कर देते हैं। हाल के कृषि सुधारों से लंबे समय से चली आ रही कृषि विपणन प्रणाली में बदलाव आएगा जिसमें कृषि संबंधी व्यापारिक गतिविधियों को राज्यों की सीमा के भीतर



ही सीमित कर दिया गया था और उसपर राज्य का एकाधिकार हो गया था। इससे कृषि के अधिक कार्यकुशल बनाने और कृषि विपणन प्रणाली के विकास का रास्ता रुक गया था। केंद्र सरकार द्वारा पारित अध्यादेश इस संबंध में राज्यों की शक्तियों का अतिक्रमण करते थे, लेकिन केंद्र को किसी एक राज्य के हितों की चिंता करने की बजाय दीर्घावधि समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए समूचे देश और इसके नागरिकों के कल्याण का ध्यान रखना होता है।

ਪंजाब जैसे कुछ राज्यों ने सुधार के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों (कृषि) को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया, मगर ज्यादातर राज्यों ने इन उपायों का कोई खास विरोध नहीं किया। दोनों उपाय, यानी राज्यों की उधारी की सीमा बढ़ाना और कृषि सुधार इस बात की मिसाल हैं कि केंद्र बेहद जरूरी सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए राज्यों की शक्तियों का उपयोग कर रहा है।

यह बात ध्यान देने की है कि कृषि और श्रम बाजारों से संबंधित कुछ सुधार, राजनीतिक वर्चस्व के पुराने दौर में बनी नीतियों को ध्वस्त कर रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि भारत में संघीय संबंध, संरचनात्मक बाधाएं न होकर राजनीतिक शक्तियों पर अधिक निर्भर हैं।

राजनीति में एक ही पार्टी की प्रमुखता न होने पर राज्यों की शक्तियां केंद्र की तुलना में बढ़ती हैं और एक पार्टी का प्रभुत्व बढ़ने से राज्यों की ताकत में गिरावट आती है। महामारी के अन्य प्रभाव चाहे जो भी रह हों, इसमें संघीय संबंधों के नये दौर को और मजबूत किया है जिससे राज्यों ने केंद्र की सुधार संबंधी प्राथमिकताओं को बढ़ावा दिया है जैसा एक समूची पीढ़ी में नहीं देखा गया था।

पूरे देश के लिए कानून का प्रारूप तैयार करते और उसे पारित कराने में राज्य सरकारों के साथ परामर्श की प्रक्रिया केंद्रीय स्थान प्राप्त कर लेती है। लेकिन इतनी अधिक विविधताओं में ऐसा कानून पारित कराने के लिए साझा मंच खोजना अक्सर बड़ा मुश्किल होता है जो सभी राज्यों को स्वीकार्य हो। इसका कारण यह है कि कई बार समस्याएं और मुद्दे किसी राज्य विशेष से संबंधित होते हैं और ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर आम राय

कायम नहीं हो पाती।

उदाहरण के लिए भारत अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइ.एल.ओ.) का सदस्य है और हमने इसकी कई मूल संधियों, जैसे समान पारिश्रमिक संधि, बाल श्रम के घृणित रूपों को खत्म करने, जबरन मजदूरी प्रथा का अंत करने, श्रमिकों की न्यूनतम आयु संबंधी संधि के साथ-साथ जहाजरानी मजदूर संधि जैसी अन्य संधियों का अनुमोदन किया है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाध्यताओं वाली संधियों का अनुमोदन करने से पहले, हमारी केन्द्रीय सरकार के लिए सभी राज्य सरकारों के साथ परामर्श करना और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि राष्ट्रीय कानून और राज्यों के अधिनियम अंतरराष्ट्रीय संधि के किसी प्रावधान को खिलाफ न हों। इसके लिए अक्सर सभी राज्य सरकारों के साथ जोरदार परामर्श किया जाता है जिसमें कार्यशालाओं और सम्मेलनों का आयोजन और सभी संबंध पक्षों के साथ विचार-मंथन सत्र भी आयोजित किये जाते हैं। जब सभी राज्य सरकारें प्रस्तावित कानून या इसमें संभावित संशोधन को लेकर सहमत हो जाती हैं, तभी केंद्र अनुमोदन के बारे में अपने प्रस्ताव को आगे बढ़ा सकता है।

कई उदाहरणों में एक प्रस्तावित समय सीमा के अंदर सभी राज्यों के साथ समान राय कायम करना एक चुनौती बन जाता है। जहां 34 राज्यों ने भू-संपदा विनियमन अधिनियम (रेरा) के तहत नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है, पश्चिम बंगाल ने आवासन उद्योग विनियामक प्राधिकरण (होरा) नाम से अपना अलग कानून बनाया है जिसे उच्चतम न्यायालय में भी चुनौती दी जा चुकी है।

इस तरह के उदाहरणों में अगर केंद्र की सत्तारूढ़ सरकार के साथ राज्य सरकार के अच्छे संबंध नहीं हैं तो उसका राजनीतिक झुकाव नीति निर्माण की प्रक्रिया पर असर डाल सकता है। नये कानून का प्रारूप तैयार करते समय या मौजूदा कानून में संशोधन करते समय केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों के साथ परामर्श करती है और आज के जमाने में तो विधेयकों के प्रारूप वेबसाइट पर ऑनलाइन शेयर करने की सुविधा है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इनके बारे में जानकारी हासिल कर संबंध पक्षों से परामर्श कर सकते हैं। उदाहरण के लिए केंद्र आदर्श किरायेदारी अधिनियम का मसौदा तैयार कर रहा है जिसमें उसने

गुजरात में निवेश में मदद करने के लिए 2014 में अमेरिका, चीन और जापान में स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय डेस्क खोलने का गुजरात सरकार का फैसला सीधे तौर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकृष्ट करने का किसी भी राज्य सरकार का शायद अपने अधिकार का प्रयास था।

सभी राज्य सरकारों तथा इससे जुड़े पक्षों को शामिल किया है ताकि वे अपनी राय और सुझाव दें।

बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाने से एक नये युग का सूत्रपात हुआ जिसमें राज्यों ने बाजार के नेतृत्व वाली देश की अर्थव्यवस्था में नीतिगत रूप से महत्वपूर्ण स्थिति हासिल कर ली। केन्द्र ने तो यहां तक किया है कि 1990 के दशक से राज्यों को विदेशी बैंकों/संस्थाओं से ऋण/प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए बातचीत शुरू करने को प्रोत्साहन दिया है। केन्द्र की अनुदान सहायता को अब राज्यों का खर्च चलाने का एकमात्र स्रोत नहीं माना जाता। इसका नतीजा यह हुआ है कि राज्यों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकृष्ट करने के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। एक अच्छी बात यह हुई है कि अब केन्द्र को एक बाधा की तरह नहीं देखा जाता बल्कि मददगार माना जाता है। फिर भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए स्वीकृति प्रदान करने का काम केन्द्रीकृत रूप से उद्योग और आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग (डी.पी.आई.आई.टी.) के हाथों में है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्वीकृति के लिए (डी.पी.आई.आई.टी.) केन्द्र में नोडल मंत्रालय है। कई मामलों में तो डी.पी.आई.आई.टी. को एफडीआई लाइसेंस के प्रस्ताव को अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों को भी भेजना पड़ सकता है। ऐसे प्रस्ताव जिनसे जमीनी सीमा संबंधी या सुरक्षा संबंधी मुद्दे उत्पन्न होते हैं, उनमें अन्य नोडल मंत्रालयों की सहमति लेना जरूरी है।

राज्यों की पैरा डिप्लोमैंसी

राज्यों की पैरा डिप्लोमैंसी के उभर कर सामने आने के बाद विदेशी अर्थिक नीतियां

अब केन्द्र के एकाधिकार का विषय नहीं रह गयी हैं। आर्थिक वैश्वीकरण ने राज्यों के लिए यह संभव कर दिया है कि वे विदेशी निवेशकों से कानूनी तौर पर संवाद भले ही न कर सकें, मगर वास्तविक अर्थ में तो बातचीत कर ही सकते हैं। विदेशों में निवेश प्रोत्साहन गतिविधियां इसी तथ्य की ओर संकेत करती हैं। इस तरह की पहल से कुछ राज्यों की केन्द्र पर आर्थिक निर्भरता कम हुई है और उन्हें अपने आर्थिक विकास में मदद मिली है। विदेशी निवेशकों को गुजरात में निवेश में मदद करने के लिए 2014 में अमेरिका, चीन और जापान में स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय डेस्क खोलने का गुजरात सरकार का फैसला सीधे तौर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकृष्ट करने का किसी भी राज्य सरकार का शायद पहला प्रयास था।

लेकिन इस तरह के प्रयास भी संप्रभुता या देश की सुरक्षा के मुद्दे उठा सकते हैं क्योंकि भारत चारों ओर से ऐसे पड़ोसियों से घिरा है जिनमें से ज्यादातर भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं। ऐसे में सुरक्षा संबंधी आशंकाओं के बावजूद अपनी वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था को और अधिक खोलने की मांग के साथ तालमेल करने की चुनौती हमारे सामने है।

इसलिए केन्द्र की भूमिका अधिक जिम्मेदारी वाली और जटिल है। किसी विदेशी संस्था को लाइसेंस देते बक्त प्रस्ताव की कई कोणों से जांच की जाती है और सरकार को ऐसा करते समय सिर्फ लाइसेंस से बढ़ने वाले कारोबार या सरकारी खजाने में होने वाले मुनाफे का ही विचार नहीं होता। हालांकि जांच की जटिलता की सराहना नहीं की जा

सकती, लेकिन केन्द्र पर यह आरोप लग सकता है कि उसने बहुत अधिक समय लिया और राज्य सरकार की अपेक्षाओं के अनुसार काम नहीं किया।

अक्सर राज्य सरकारों को ऐसा लग सकता है कि केन्द्र उनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है, जबकि केन्द्र को व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होता है ताकि राज्यों के रैवेये के बावजूद अधिकतर या सभी नागरिकों को लाभ पहुंचाया जा सके। संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्यों के लिए यह जरूरी है कि वे अपनी कार्यपालक शक्तियों का उपयोग करते हुए संसद द्वारा बनाए गये कानून और उस राज्य पर लागू होने वाले मौजूदा कानूनों पर अमल सुनिश्चित करें। अगर राज्य सरकार ऐसा करने में असफल रहती है तो संघ अपनी कार्यपालक शक्तियों का उपयोग करके राज्य को ऐसे निर्देश दे सकता है जो भारत सरकार जरूरी समझती है।

राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत या अनुच्छेद 365 का संज्ञान लेकर ऐसे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं जो केन्द्र के निर्देशों के अनुसार किसी कानून को लागू करने से इनकार करते हैं। यही बात ऐस.आर. बोम्पई बनाम भारत संघ में भी स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आयी जिससे भारत के संघवाद को निर्णायक स्वरूप प्राप्त हुआ है।

निष्कर्ष : आगे का रास्ता

भारत जैसे विशाल और विविधताओं वाले देश को संघवाद के छह स्तंभों-राज्यों की स्वायत्ता, राष्ट्रीय एकीकरण, केन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकरण, राष्ट्रीयकरण और क्षेत्रीयकरण के बीच उचित संतुलन बनाना आवश्यक है। धूर राजनीतिक केन्द्रीयकरण या अव्यवस्थित राजनीतिक विकेन्द्रीकरण, दोनों ही भारतीय संघवाद को कमज़ोर कर सकते हैं। इनके बीच उचित संतुलन कायम करने से ही केन्द्र सरकार को राज्यों की स्वायत्ता पर एक सीमा से अधिक दबाव डालने से रोकने के साथ-साथ राज्यों को ऐसी दिशा में भटकने से भी रोका जा सकता है जिससे राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा उत्पन्न हो। इन अतियों पर नियंत्रण करना एक चुनौती है क्योंकि संघवाद को एक ओर राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता को पूरा करना है तो दूसरी ओर क्षेत्रीय स्वायत्ता का भी ध्यान रखना है। ■





स्वतंत्रता के बाद मानव विकास में प्रगति

नरेश गुप्ता

भारत में योजनाबद्ध विकास का एक प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन रहा है। निम्न जीवन स्तर, अभाव, कुपोषण, निरक्षरता और मानव संसाधनों का अल्प विकास गरीबी के द्योतक हैं। 1950 और 1960 के दशक के दौरान भौतिक बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश को विकास के प्राथमिक साधन के रूप में देखा गया था। वास्तव में, 1960 के दशक के मध्य तक, दुनिया भर में विकास नीतियों का मुख्य जोर विकास प्रक्रिया में तेजी लाने पर था क्योंकि अमीरों से गरीबों की ओर धन प्रवाह तंत्र को वितरणीय उद्देश्यों का ध्यान रखना था।

मानव विकास की अवधारणा

1990 में मानव कल्याण में सुधार के लिए व्यापक दृष्टिकोण का समय आ गया था जो सभी लोगों के लिए मानव जीवन के सभी पहलुओं के बारे में था। मानव विकास शब्द को विकास अर्थशास्त्र साहित्य में मानव क्षमताओं तथा विकल्पों का विस्तार, अधिक स्वतंत्रता देने और मानव अधिकारों की पूर्ति के रूप में स्वीकार किया गया है।

मानव विकास रिपोर्ट और मानव विकास का मापन

उपरोक्त दृष्टिकोण की शुरुआत ने मानव विकास रिपोर्टों की वार्षिक शृंखला की शुरुआत को चिह्नित किया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम- यूएनडीपी की पहली मानव विकास रिपोर्ट 1990 में प्रकाशित हुई थी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद के विपरीत देश के समग्र विकास का एकमात्र व्यापक रूप से प्रयुक्त अन्य संकेतक - मानव विकास सूचकांक (एचडीआई), मानव विकास के तीन आयामों- दीर्घायु, शिक्षा प्राप्ति और सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों पर अधिकार के साथ देश की औसत उपलब्धियों को दर्शाता है।

हालांकि, मानव विकास सूचकांक के अभाव या वितरण संबंधी पहलुओं खासकर असमानता के मुद्दे को प्रतिबिंबित नहीं करता है, इसके लिए, पहली बार 1995 में, महिला पुरुष असमानताओं को ध्यान में रखते हुए समग्र सूचकांकों को तैयार किया गया। दूसरा, 1997 में, गरीबी की बहुआयामिता को मापने के लिए एक समग्र सूचकांक प्रस्तावित किया गया और बनाया

गया था। तीसरा, ये समग्र सूचकांक क्षेत्रों, प्रांतों, लिंग, नस्लों, जातीय समूहों और ग्रामीण-शहरी विभाजन के संदर्भ में अलग-अलग थे।

1995 में जेंडर (महिला-पुरुष) संबंधी विकास सूचकांक (जीडीआई) और जेंडर सशक्तीकरण माप (जीईएम) बना। जेंडर संबंधी विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक की तरह एक समान आयामों और परिवर्ती कारकों में उपलब्धियों को मापता है, लेकिन पुरुषों और महिलाओं के बीच उपलब्धियों में असमानता को ध्यान में रखता है। जेंडर सशक्तीकरण माप इंगित करता है कि क्या महिलाएं अर्थिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम हैं। यह अर्थिक और राजनीतिक भागीदारी और निर्णय लेने के प्रमुख क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता को मापते हुए भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करता है।



लेखक सेवानिवृत्त आईएस अधिकारी हैं। उन्होंने हाल में हूमन डेवलपमेंट इन इंडिया पुस्तक लिखी है। ईमेल: gupta_naresh_06@yahoo.co.in



वर्ष 1997 में, बहु-आयामी गरीबी के समग्रता से आंकलन के लिए मानव गरीबी सूचकांक की शुरुआत की गई थी।

मानव विकास सूचकांक की संगणना की कार्यप्रणाली में 2010 से बदलाव आया है। 2014 के मानव विकास सूचकांक ने न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों (गोलपोस्ट) में बदलाव की शुरुआत की, जो निश्चित होने के बजाय अब देखे गए मूल्यों पर निर्धारित किए गए हैं। वर्तमान में आयाम संकेतकों के लिए न्यूनतम और अधिकतम स्तर निम्नानुसार हैं:

- जीवन प्रत्याशा: न्यूनतम मान 20 वर्ष पर निर्धारित है और अधिकतम 85 वर्ष पर नियत किया गया है।
- दोनों शिक्षा परिवर्ती कारकों के लिए न्यूनतम मान शून्य पर निर्धारित किया गया है। स्कूल के औसत और अपेक्षित वर्षों के लिए अधिकतम मान क्रमशः 15 और 18 वर्ष निर्धारित किया गया है।
- प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (2011 पीपीपी): न्यूनतम मूल्य 100 डॉलर है। अधिकतम मूल्य 75,000 डॉलर तक है।

मानव विकास में भारत की रैंकिंग

189 देशों में से, भारत मानव विकास सूचकांक 2020 में 131वें स्थान पर है। 0.645 के मानव विकास सूचकांक मूल्य के साथ, देश मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपनी रिपोर्ट में 1990 और 2019 के बीच भारत की मानव विकास यात्रा के बारे में

कुछ आंकड़े दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1990 के बाद से, भारत का मानव विकास सूचकांक मान 0.429 से बढ़कर 0.645 हो गया है, जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी अवधि के दौरान, भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा लगभग 12 वर्ष तक बढ़ी, जबकि स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों में 3.5 वर्ष की वृद्धि देखी गई। इस दौरान, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों में भी 4.5 वर्ष तक की बढ़ोत्तरी हुई। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान, भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में लगभग 274 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2020-21 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण के तहत 28.01.2021 को जारी पहले न्यूनतम आवश्यकता सूचकांक के अनुसार आवास, पानी, स्वच्छता, बिजली और खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं की उपलब्धता, देश के सभी राज्यों में 2012 की तुलना में 2018 में बेहतर हुई है। न्यूनतम आवश्यकता सूचकांक को ग्रामीण, शहरी और अखिल भारतीय स्तर के लिए पीने के पानी, स्वच्छता, साफ-सफाई और आवास की स्थिति पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय - एनएसओ (69 और 76 दौर) के डेटा का उपयोग करके विकसित किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने दक्षिण एशिया के अन्य देशों जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ मानव विकास सूचकांक में भारत की तुलना की। भारत के 131 वें स्थान पर रैंक के मुकाबले, बांग्लादेश 133 वें स्थान पर था, जबकि पाकिस्तान 154 वें स्थान पर था। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में, भारत का मानव विकास सूचकांक उस क्षेत्र के औसत से अधिक है, जो 0.641 पर है, जबकि भारत मध्यम मानव विकास सूचकांक श्रेणी के देशों में 0.631 के औसत मूल्य से भी अधिक है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की 2017 की मानव विकास रिपोर्ट में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के भारत के कंट्री डायरेक्टर, फ्रैंसाइन पिकअप ने भारत द्वारा अपने मानव विकास सूचकांक मूल्य में सुधार

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

लक्ष्य	प्रयोजन
1. अत्यधिक गरीबी और भूख को मिटाना-	1. जिनकी आय प्रति दिन 1 डॉलर से कम है उनका अनुपात 1990 से 2015 तक आधा करना 2. भूखमरी के शिकार लोगों का अनुपात 1990 से 2015 तक आधा करना,
2. सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना-	3. सुनिश्चित करना कि, 2015 तक, हर जगह बच्चे- लड़के और लड़कियां एकसमान रूप से प्राथमिक स्कूली शिक्षा का समूचा पाठ्यक्रम पूर्ण करने में सक्षम बनें।
3. लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना-	4. 2005 तक प्राथमिक और 2015 तक शिक्षा के सभी स्तरों पर स्कूली शिक्षा में लैंगिक असमानता को दूर करना।
4. बाल मृत्यु दर में कमी-	5. 1990 से 2015 तक पांच साल के बच्चों में मृत्यु दर दो-तिहाई तक कम करना।
5. मातृ स्वास्थ्य में सुधार-	6. 1990 से 2015 तक मातृ मृत्यु अनुपात में तीन-चौथाई तक कमी करना।
6. एचआईवी/एडस, मलेरिया और अन्य बीमारियों पर काबू पाना-	7. 2015 तक रोक दिया गया और एचआईवी/एडस के प्रसार पर फिर से काबू पाना शुरू, 8. 2015 तक रोक दिया गया और मलेरिया तथा अन्य रोगों के प्रसार पर फिर से काबू पाना शुरू
7. पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करना-	9. सतत विकास के सिद्धांतों को देश की नीतियों तथा कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करना और पर्यावरणीय संसाधनों की हानि को रोकना, 10. सुरक्षित पेयजल की निरंतर पहुंच से वर्चित लोगों का अनुपात 2015 तक आधा करना 11. 2020 तक कम से कम 100 मिलियन झुग्गी निवासियों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार हासिल किया गया है
8. विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना -	12. एक खुला, नियम-आधारित, पूर्वानुमानित, गैर-भेदभावपूर्ण व्यापार और वित्तीय प्रणाली विकसित करना (जिसमें सुशासन, विकास और राष्ट्रीय तथा अंतर राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर गरीबी में कमी के लिए प्रतिबद्धता शामिल है) 13. अल्प विकसित देशों की विशेष जरूरतों को पूरा करना (निर्यात, आधिकारिक द्विपक्षीय ऋण को रद्द करने और ऋण राहत कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए शुल्क-तथा कोटा-मुक्त पहुंच और गरीबी घटाने के लिए प्रतिबद्ध देशों के लिए अधिक उदार आधिकारिक विकास सहायता सहित) 14. बंदरगाह विहीन देशों और छोटे द्वीप विकासशील देशों की आवश्यकताओं को पूरा करना (छोटे द्वीप के सतत विकास के लिए कार्रवाई के कार्यक्रम और 22 वीं महासभा के प्रावधानों की विशेष आवश्यकताओं के माध्यम से) 15. लंबे समय में ऋण को सतत बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपायों के माध्यम से विकासशील देशों की ऋण समस्याओं से व्यापक रूप से निपटना 16. विकासशील देशों के सहयोग से, युवाओं के सम्मानजनक और उत्पादक कार्यों के लिए रणनीति विकसित और कार्यान्वित करना 17. दवा कंपनियों के सहयोग से, विकासशील देशों में सस्ती आवश्यक दवाओं तक पहुंच प्रदान करना 18. निजी क्षेत्र के सहयोग से, नई प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के लाभ उपलब्ध कराना।

के लिए की गई निरंतर प्रगति का उल्लेख किया। भारत सरकार अपने सभी लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की राष्ट्रीय विकास योजनाओं जैसे बेटी बच्चों बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, मेंक इन इंडिया की सफलता और स्कूली शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल को सार्वभौमिक बनाने के उद्देश्य से की गई पहल, यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगी कि मानव विकास में तेजी आए और सबका विकास की प्रधानमंत्री की परिकल्पना को

साकार किया जा सके और सतत विकास लक्ष्यों के प्रमुख सिद्धांत-‘विकास में कोई छूटे नहीं’ को भी प्राप्त किया जा सके।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी)

सितंबर 2000 में, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख सम्मेलनों और शिखर सम्मेलनों के एक दशक के दौरान, विश्व के 149 देशों के नेता न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी विकास लक्ष्य घोषणा को अपनाने के लिए एक साथ आए। संयुक्त

राष्ट्रीय सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, संयुक्त राष्ट्र के 189 सदस्य देशों द्वारा सितंबर 2000 में निर्धारित आठ लक्ष्य हैं। ये देश वर्ष 2015 तक इन्हें हासिल करने के लिए सहमत हुए थे। 8 उद्देश्य, 18 लक्ष्य और 48 प्रदर्शन संकेतक हैं। निम्नलिखित आठ सहस्राब्दी विकास उद्देश्य हैं:

1. अत्यधिक गरीबी और भूख को खत्म करने के लिए
2. वैश्विक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए
3. महिलाओं को सशक्ति बनाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए
4. बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए
5. मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए
6. मलेरिया, एचआईवी / एड्स और अन्य बीमारियों से लड़ने के लिए
7. पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए तथा
8. विकास के लिए एक सार्वभौमिक साझेदारी विकसित करने के लिए।

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को वैश्विक लक्ष्यों के रूप में जाना जाता है। ये गरीबी को समाप्त करने, पृथ्वी की रक्षा करने और सभी लोगों को शांति तथा समृद्धि का आनंद देने की कार्रवाई करने के लिए सार्वभौमिक आहवान है। ये 17 लक्ष्य एक समावेशी एजेंडा हैं।

लक्ष्य 1. गरीबी को उसके सभी रूपों में हर जगह समाप्त करना

लक्ष्य 2. भूख को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा तथा बेहतर पोषण प्राप्त करना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना

लक्ष्य 3. स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी उम्र के लोगों के लिए भलाई को बढ़ावा देना

लक्ष्य 4. समावेशी तथा एकसमान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए जीवन भर सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना

लक्ष्य 5. लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं तथा लड़कियों को सशक्ति बनाना

लक्ष्य 6. सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना

लक्ष्य 7. स्स्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना

लक्ष्य 8. सभी के लिए सतत, समावेशी और समग्र आर्थिक विकास, पूर्ण तथा उत्पादक रोज़गार और सम्मानजनक कार्य को बढ़ावा देना

लक्ष्य 9. लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण, समावेशी तथा टिकाऊ औद्योगीकरण और नवाचार को बढ़ावा देना

लक्ष्य 10. देशों के बीच और उनके भीतर असमानता को कम करना

लक्ष्य 11. शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना

लक्ष्य 12. स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना

लक्ष्य 13. जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना

लक्ष्य 14. सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और निरंतर उपयोग करना

लक्ष्य 15. स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के स्थायी उपयोग की रक्षा, पुनर्स्थापना और बढ़ावा देना, वनों का सतत प्रबंधन करना और मरुस्थलीकरण से निपटना और भूमि की गिरावट तथा जैव विविधता में सुधार करना व इन्हें हो रहे नुकसान को रोकना

लक्ष्य 16. स्थायी विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, सभी को न्याय प्रदान करना और सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह तथा समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना।

लक्ष्य 17. कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना और सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना

भारत में सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों पर असर डालने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रम पहल / योजनाएं

लक्ष्य 1: अत्यधिक गरीबी और भूख का उन्मूलन

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना
- प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण
- दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन
- दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
- एकीकृत बाल विकास सेवाएं
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

लक्ष्य 2: सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हासिल करना

- सर्व शिक्षा अभियान
- मध्याहन भोजन योजना
- एकीकृत बाल विकास सेवाओं के तहत छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा

लक्ष्य 3: लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना

- सर्व शिक्षा अभियान
- बेटी बच्चों बेटी पढ़ाओ
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना
- माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
- महिला समाज्या कार्यक्रम
- साक्षर भारत
- किशोर लड़कियों के सशक्तीकरण के लिए किशोरी शक्ति योजना और राजीव गांधी योजना
- प्रशिक्षण और अधिकारिता कार्यक्रम के लिए सहायता
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम

लक्ष्य 4: बाल मृत्यु को कम करना

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
- एकीकृत बाल विकास योजनाएं
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

लक्ष्य 5: मातृ स्वास्थ्य सुधार

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन



- एकीकृत बाल विकास योजनाएं
- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना

लक्ष्य 6: एचआईवी / एडस, मलेरिया और अन्य रोगों की रोकथाम

- राष्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रम

प्रयोजन 8: 2015 तक रोका गया और मलेरिया तथा अन्य बड़ी बीमारियों पर काबू पाने के लिए शुरू किया गया

- राष्ट्रीय वेक्टर-जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
- शहरी वेक्टर-जनित रोग योजना
- संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम

लक्ष्य 7: पर्यावरणीय सततता सुनिश्चित करना

- राष्ट्रीय बनीकरण कार्यक्रम

- हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन
- राष्ट्रीय क्लोरोफ्लूरोकार्बन खपत रोकने की योजना
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
- स्वच्छ भारत अभियान
- कायाकल्प और शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन (अमृत)
- प्रधानमंत्री आवास योजना

लक्ष्य 8: विकास के लिए वैश्विक भागीदारी विकसित करना

प्रयोजन 18: निजी क्षेत्र के सहयोग से, नई तकनीकों विशेष रूप से सूचना और संचार के लाभों को उपलब्ध कराना

47. प्रति 100 जनसंख्या पर टेलीफोन लाइनें और सेलुलर ग्राहक

48क. प्रति 100 जनसंख्या पर इंटरनेट सब्सक्राइबर

48ख. प्रति 100 जनसंख्या पर पर्सनल कंप्यूटर,

- राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क
- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना
- स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क
- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम


न्यूनतम आवश्यकता सूचकांक

2020-21 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण के तहत 28.01.2021 को जारी पहले न्यूनतम आवश्यकता सूचकांक के अनुसार आवास, पानी, स्वच्छता, बिजली और खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं की उपलब्धता, देश के सभी राज्यों में 2012 की तुलना में 2018 में बेहतर हुई हैं। न्यूनतम आवश्यकता सूचकांक को ग्रामीण, शहरी और अखिल भारतीय स्तर के लिए पीने के पानी, स्वच्छता, साफ-सफाई और आवास की स्थिति पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय - एनएसओ (69 और 76 दौर) के डेटा का उपयोग करके विकसित किया गया है। सूचकांक पांच आयामों - जल, स्वच्छता, आवास, सुक्ष्म पर्यावरण और अन्य सुविधाएं (रसोई के प्रकार, आवास इकाई की वेंटिलेशन, एक बाथरूम, बिजली और खाना पकाने के लिए ईंधन के प्रकार तक पहुंच जैसे संकेतकों का उपयोग करके मूल्यांकन किया गया) पर 26 संकेतक का वर्णन करता है। न्यूनतम आवश्यकता सूचकांक तक पहुंच में सुधार करने वाली सर्वेक्षण रिपोर्टों से स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हुआ है और शिक्षा संकेतकों में भविष्य में सुधार के साथ सहसंबंध स्थापित हुआ है। ■

हमारी पत्रिकाएं योजना, कुरुक्षेत्र, आजकल, बाल भारती में विज्ञापन देने हेतु

संपर्क करें :
गौरव शर्मा, संपादक
प्रकाशन विभाग

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष : 011-24367453, मोबाइल : 7503716820
ई मेल : pdjucir@gmail.com



रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम आबंटन

डॉ प्रताप सी मोहंती
डॉ करुण रावत



सेलुलर संचार के इस दौर में रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो हमारे दैनिक जीवन के संचार संबंधी क्रियाकलापों और मनोरंजन का आधार है। चाहे यह टेलीविजन हो, सेल फोन हो या इंटरनेट सेवा, ये सभी रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम से काम करते हैं और राजस्व उत्पत्ति का महत्वपूर्ण स्रोत भी है।

वर्ष 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दो अर्थशास्त्रियों- पॉल आर. मिलग्रोम और रॉबर्ट बी. विल्सन को मिला था, जिन्होंने नीलामी के सिद्धांत को प्रचलित किया, विशेषकर 1994 से जब से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्पेक्ट्रम नीलामी की शुरुआत हुई थी। दोनों ने कई प्रगतिशील और महत्वपूर्ण प्रारूप और रूप-रेखाओं का विकास किया है। उनमें से एक है साइमलटेनिअस मल्टीपल राउंड ऑक्शन (एसएमआरए) जो प्रिस्टोन मैकेफी के साथ 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघीय सूचना

समिति (फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन-एफसीसी) में सबसे ज्यादा प्रचलित था। उनके द्वारा नीलामी के अन्य प्रारूप हैं - शेयर नीलामी, कॉम्बीनीटोरियल क्लॉक नीलामी, और इंसेटिव नीलामी। वर्ष 2007 में प्रोफेसर रोजर बी मेयरसन और वर्ष 2014 में प्रोफेसर जीन टिरोले को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार क्रमशः मेकनिजम डिजाइन के सिद्धांत और रेग्युलेशन और कॉम्पीटीशन नीति के लिए मिला था, जिसका प्रयोग नीलामी सिद्धांत में एक लक्ष्य साधक के रूप में किया गया।

डॉ प्रताप सी मोहंती आईआईटी रुड़की में अर्थशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ईमेल: pratap.mohanty@hs.iitr.ac.in

डॉ करुण रावत आईआईटी रुड़की में इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, साथ ही वे रेडियो फ्रिक्वेंसी के विशेषज्ञ हैं। संपर्क: <https://karunrawat.com>

1990 के दशक के शुरुआती दिनों और 1991 में मोबाइल कम्युनिकेशन की बढ़ती मांग को देखते हुए रोनाल्ड एच कोज के 1950 की व्याख्या के आधार पर संस्थानों के लिए ब्राइडकास्टिंग लाइसेंस को मूल्य क्रियाविधि के आधार पर तैयार किया गया जो कि काफी प्रभावशाली हुआ। इसने संयुक्त राष्ट्र के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन (एफसीसी) को रेडियो स्पेक्ट्रम लाइसेंस की नीलामी आबंटन के लिए निर्णय लेने की भूमिका में मदद की।

आमतौर पर नीलामी दो प्रकार की होते हैं: एकल और विविध वस्तु नीलामी। पारम्परिक नीलामी चार प्रकार के होते हैं - इंग्लिश नीलामी, क्लॉक या डच नीलामी, फर्स्ट-प्राइस नीलामी, विकरे या सेकेंड प्राइस नीलामी। आधुनिक शैली की नीलामी का विस्तार निजी मॉडल और एक्स- आंते असिमेट्रिज (भविष्य की विषमता) में हो गया है। विकरे ने यह भी पाया कि फर्स्ट-प्राइस नीलामी, असंयमित बोली लगाने वालों के लिए अप्रभावी रहे हैं, सेकेंड प्राइस और इंग्लिश नीलामी के विरोध में, जो कि हमेशा से प्रभावशाली रहे हैं। यह राजस्व उत्पत्ति के मुद्दों के कारण होता है।

मल्टी ऑब्जेक्ट नीलामी का प्रयोग एक समान या विभाज्य वस्तुओं जैसे सरकारी कर्ज विद्युत और विविध या असमान वस्तुओं जैसे रेडियो आवृत्ति या बस रूट, जो या तो पूरक हैं या उसके बदले में हैं - उनके ऊपर लागू होता है। यह अपवादात्मक रूप से बड़े मूल्यों में शामिल होता है, और सरकारें बढ़ते राजस्व और स्पेक्ट्रम के दक्षतापूर्ण आबंटन के बीच में चुनौतिपूर्ण दुविधा/ट्रेड ऑफ का सामना करती है।

1969 में विलसन ने नीलामी के सिद्धांत को विकसित करने के लिए एक निर्णायक कदम उठाया, जिसमें उन्होंने 'बेज नश संतुलन' का प्रयोग मिनरल राइट मॉडल में किया और परस्पर मूल्य प्राप्त किया। 1967 में एक विस्तृत मॉडल में उन्होंने कॉमन- वैल्यू मॉडल या सामान्य-मूल्य मॉडल जैसे शेयरों की नीलामी में प्रयोग किया जाता है।

मल्टी ऑब्जेक्ट नीलामी का प्रयोग

एक समान या विभाज्य वस्तुओं

जैसे सरकारी कर्ज विद्युत और विविध या असमान वस्तुओं जैसे रेडियो आवृत्ति या बस रूट, जो या तो पूरक हैं या उसके बदले में हैं - उनके ऊपर लागू होता है। यह अपवादात्मक रूप से बड़े मूल्यों में शामिल होता है, और सरकारें बढ़ते राजस्व और स्पेक्ट्रम के दक्षतापूर्ण आबंटन के बीच में चुनौतिपूर्ण दुविधा/ट्रेड ऑफ का सामना करती है।

नीलामी में सूचना असमिति की भूमिका की व्याख्या की थी। कई अन्य लेखकों ने भी कॉमन- वैल्यू मॉडल को लागू किया जिसमें विलसन (1977), मिलग्रोम (1979- 1981) एंजेलब्रिच- विगांस एट आल (1983) और मासकीन और राइली (2000) शामिल हैं।

स्पेक्ट्रम नीलामी में बोली लगाने वाले आमतौर पर समपूरक लाइसेंस के संयोजन को प्रमुखता देते हैं जो कि पूरक उत्पादों से ज्यादा जटिल है। उदाहरण के लिए फोन-सेवा प्रदाता प्रायः बड़े क्षेत्र को समाविष्ट करना चाहते हैं और इसलिए वे निकट के भौगोलिक क्षेत्रों के लाइसेंस के लिए वरीयता देते हैं। कार्यक्षमता कोंट्रिट होने के कारण संभावित समाधान यह है कि विकरे- क्लॉर्क -ग्रोव्स (वीसीजी) नीलामी का प्रयोग किया जाए। इसे निजी मूल्यों की रूपरेखा में लागू किया जाता है

और सेकेंड प्राइस नीलामी का सामान्यकरण किया जाता है। बह-वस्तु नीलामी की शुरुआती डिजाइन में बहुत रूप से इन समस्याओं को पृथक रखा गया है।

जहां तक रेडियो फ्रिक्वेंसी की मांग का संबंध है, थ्री मल्टीपल राउंड भी प्रासंगिक है। ये हैं - एसएमआरए, जिनका विवरण साइमलटेनियस अर्सेंडिंग नीलामी (एसएए) के रूप में किया गया है, कॉम्बीनेटोरियल क्लॉक नीलामी (सीएए) और इंसेटिव नीलामी। दो प्रस्ताव जिसमें एसएमआरए आधारित है वे मिलग्रोम और विलसन और प्रिस्टोन मैक्रोफोन द्वारा हैं। 1994 में एफसीसी स्पेक्ट्रम ने नीलामी के अपेक्षित मूल्य (जो कि 20 बिलियन डॉलर था) को दो बार सफलतापूर्वक बढ़ाया था, और वर्ष 2000 में यूनाइटेड किंग्डम द्वारा थ्री जी स्पेक्ट्रम को 34 बिलियन डॉलर तक बढ़ाया गया था। स्पेक्ट्रम बिक्री के लिए एसएमआरए नीलामी डिजाइन का प्रयोग विश्व भर में किया जाता है। इसके कुछ संस्करण संयुक्त राष्ट्र, कनाडा, यू.के., फिनलैंड भारत पोलैंड, जर्मनी, स्वीडन, नार्वे और स्पेन में लागू किये गए हैं। वर्ष 2008 में यू.के. द्वारा रेडियो स्पेक्ट्रम लाइसेंस की बिक्री के लिए सीसीए के स्वीकरण के बाद कई देशों ने इसका अनुसरण किया, जिसमें ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, आयरलैंड, द नीदरलैंड्स, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्वीटजरलैंड शामिल हैं। मिलग्रोम ने अर्थशास्त्रियों के समूह का नेतृत्व किया जिन्होंने प्रसारण टेलीविजन की जगह वायरलेस ब्राडबैंड सेवा में जाने की सलाह दी थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि एफसीसी को न्यू इंसेटिव नीलामी 2017 में ग्रहण किया गया।

नीलामी में दो सरोकार सामने आए। पहला, बेहतरीन लाभकारी आपूर्तिकर्ताओं ने लागत को कम किया। दूसरा इसने धन को सख्त कर (टैक्स) निर्धारण की जगह बाजार से उत्पन्न किया। अर्थशास्त्रियों ने यह देखा कि प्रति इकाई कर (डॉलर में) ने सामाजिक डेडवेट (सामाजिक भार) हानि को 0.17 से 0.56 डॉलर तक बढ़ाया था। इसके विपरीत अधिकतम राजस्व का एक स्पेक्ट्रम लाइसेंस का सेट बहुत ज्यादा अदूरदर्शी हो सकता है और इससे एकाधिकर को बढ़ावा



टेलीकॉम सेवा प्रदाता नेटवर्क में अर्जित अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का विकास

स्पेक्ट्रम के 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज और 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड की बोली मार्च 2021 में हुई थी। यह नीलामी साइमलटेनियस मल्टीपल राउंड एसेंडिंग (एसएमआरए) विधि द्वारा हुई थी। स्पेक्ट्रम की कुल संख्या, जिसके प्रयोग का अधिकार इन बैंडों को है वह है 855.60 मेगाहर्ट्ज। इसमें भाग लेने वालों ने 700 मेगाहर्ट्ज और 250 मेगाहर्ट्ज में बोली नहीं लगाई थी। इस नीलामी में तीन कंपनियों ने बोली लगाई थी - भारती एयरटेल लिमिटेड, बोडाफोन आइडिया लिमिटेड और रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड।

बोली लगाने वालों द्वारा अर्जित स्पेक्ट्रम की संख्या और उनके द्वारा भुगतान का विवरण :

बीडर	कुल संख्या (मेगाहर्ट्ज)	कुल रकम (करोड़ में)
भारती एयरटेल लिमिटेड	355.45	18,698.75
बोडाफोन आइडिया लिमिटेड	11.80	1,993.40
रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड।	488.35	57,122.65

कुल 2308.80 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को नीलामी के लिए रखा गया था, जिसमें वैसे स्पेक्ट्रम भी थे जो दिसंबर 2021 में समाप्त होने वाले हैं। इस संख्या के लिए 855.60 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम की बोली प्राप्त की गई था। स्पेक्ट्रम में 100 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड को छोड़कर लगभग 60 प्रतिशत स्पेक्ट्रम को नीलामी के लिए रखा गया था। वर्ष 2016 की स्पेक्ट्रम जो बेचे गए उनकी संख्या 41 प्रतिशत थी और नीलामी के लिए रखे गए कुल स्पेक्ट्रम के मूल्य का यह 12 प्रतिशत था। 2021 में स्पेक्ट्रम नीलामी के संगत आंकड़े (कॉरस्पार्डिंग फिगर) क्रमशः 37 प्रतिशत, और 19 प्रतिशत थे, जिसमें भागीदारों की संख्या तीन थी।

नीलामी के लिए रखे गए स्पेक्ट्रम इस प्रकार हैं -

बैंड	नीलामी के लिए रखी गई संख्या	प्राप्त संख्या (मेगाहर्ट्ज)	प्रतिशत
700 मेगाहर्ट्ज (जोड़ा) (पेयर्ड)	660	0	0
800 मेगाहर्ट्ज (जोड़ा)	230	150	65.22
900 मेगाहर्ट्ज (जोड़ा)	98.80	38.40	38.87
1800 मेगाहर्ट्ज (जोड़ा)	355	152.20	42.87
2100 मेगाहर्ट्ज (जोड़ा)	175	15	8.57
2300 मेगाहर्ट्ज (जोड़ा)	560	500	89.29
2500 मेगाहर्ट्ज (जोड़ा)	230	0	0

नीलामी में अर्जित स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेज (स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क) के भुगतान की दर, लाइसेंस के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (समायोजित सकल राजस्व) का तीन प्रतिशत है जिसमें वायरलेस सेवा से अर्जित राजस्व शामिल नहीं है। नीलामी का समाप्त के बाद अंतिम परिणाम सरकार के जांच और स्वीकृति का विषय होता है।

इस नीलामी में टेलीकॉम सेवा प्रदाता नेटवर्क में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के प्रयोग के साथ यह आशा की जा सकती है कि इनकी सेवा और गुणवत्ता से देशभर के टेलीकॉम ग्राहकों का अनुभव बेहतर होगा।

केंद्रीय मन्त्रिमंडल द्वारा दूरसंचार विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है जिसके तहत वे स्पेक्ट्रम नीलामी का आयोजन कर स्पेक्ट्रम के सफल बीडर (बोली लगाने वाले) को व्यवसायिक मोबाइल सेवा प्रदान करने के लए नियुक्त कर सकते हैं। नीलामी के जरिये स्पेक्ट्रम के प्रयोग का अधिकार जीतने के बाद अधिकृत टेलीकॉम सेवा प्रदाता इस बात के लिए सक्षम होंगे कि वे अपने नेटवर्क क्षमता को बढ़ा सकते हैं जहां नये लोग भी अपनी सेवा शुरू कर सकते हैं। नीलामी में बोली लगाने वालों को कुछ मानदंडों का पालन करना होता है जैसे- 'ब्लाक साइज' - इसमें बोली लगाने वाले अपनी बोली जमा कर सकते हैं, 'स्पेक्ट्रम कैंप' - जिसमें नीलामी के समाप्त के बाद प्रत्येक बीडर स्पेक्ट्रम के अधिकतम संख्या को प्रयोग कर सकता है, 'रोल-आउट ऑब्लिगेशन' (दायित्व का पालन) और 'पेंडेंट टर्म' (भुगतान की शर्त) आदि। बोली की राशि के अलावा सफल बीडर्स को समायोजित सकल राजस्व का 3 प्रतिशत का भुगतान करना पड़ता है। इसमें वायरलाइन सेवाएं नहीं हैं क्योंकि स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क को नीलामी के माध्यम से जीता जाता है।

स्पेक्ट्रम नीलामी, सफल बीडर्स के लिए स्पेक्ट्रम नियुक्ति की प्रक्रिया एक पारदर्शी प्रक्रिया है। पर्याप्त स्पेक्ट्रम उपलब्धता से टेलीकॉम सेवा की गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी होगी। यह प्रासंगिक है कि आज के समय में टेलीकॉम विभाग आधारभूत संरचना प्रदान करने में अहम है, साथ ही इसका आर्थिक विकास करने, प्रत्यक्ष और परोक्ष रोज़गार उत्पन्न करने और डिजिटल भारत के प्रसार से गहरा संबंध है।

स्पेक्ट्रम नीलामी में बोली लगाने वाले आमतौर पर सम्पूरक लाइसेंस के संयोजन को प्रमुखता देते हैं जो कि पूरक उत्पादों से ज्यादा जटिल है। उदाहरण के लिए फोन-सेवा प्रदाता प्रायः बड़े क्षेत्र को समाविष्ट करना चाहते हैं और इसलिए वे निकट के भौगोलिक क्षेत्रों के लाइसेंस के लिए वरीयता देते हैं। कार्यक्षमता केंद्रित होने के कारण संभावित समाधान यह है कि विकरे-क्लार्क-ग्रोव्स (वीसीजी) नीलामी का प्रयोग किया जाए।

मिल सकता है। जहां तक यह जन कल्याण से संबद्ध है इन दोनों ही सोच को अर्थशास्त्रियों द्वारा अस्वीकार किया गया है।

क्योंकि रेडियो स्पेक्ट्रम एक दुर्लभ वस्तु है, और बायरलेस संचार की मांग में अत्यधिक बढ़ोतरी तथा स्पेक्ट्रम के प्रबंधन तथा कुशलता से प्रयोग के संबंध में आंतरिक विरोध के कारण भारत में सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक हो गया। उदाहरण के लिए भारत में नीलामी के दौरान (वर्ष 2010, 2012 और 2015) आक्रामक बोली लगाने के परिणाम स्वरूप स्पेक्ट्रम मूल्यों में अत्यधिक उछाल आया था। वर्ष 2017 में विश्व का औसत 50 मेगाहर्ट्ज था, जिसकी

तुलना में भारतीय ऑपरेटरों का स्पेक्ट्रम स्वामित्व का औसत 31 मेगाहर्ट्ज था। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने अगस्त 2018 में सभी स्पेक्ट्रम नीलामी की अनुशासनाओं को प्रकाशित किया जिसमें विभिन्न बैंड हैं और भारत में अभी भी दो बैंड की नीलामी होनी है, जो कि 3300- 3400 मेगाहर्ट्ज और 3400- 3600 मेगाहर्ट्ज है। ये बैंड कदाचित् 5 जी सेवा के लिए प्राथमिक बैंड हो सकते हैं। स्पेक्ट्रम का मूल्य निर्धारण कौशल प्रोत्साहन के लिए एक अमूल्य अस्त्र है।

1. द इंटरनैशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन (आईटीयू) ने स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण के लिए चार विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तावित किया है। जो इस प्रकार हैं -
2. पूर्ववर्ती नीलामी के मूल्यों को यथाविधि सूची में लिखना
3. उत्पादक अधिकता के आधार पर आकलन
4. उत्पादन किया दृष्टिकोण और

राजस्व अधिकता दृष्टिकोण

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) समाश्रय विधि का प्रयोग करता है। भारत में स्पेक्ट्रम के आवंटन और प्रबंधन को लेकर राज्यों और संचालकों के बीच मतभेद होता रहता है। हालांकि भारत 'अर्ध सम्पत्ति अधिकार' का अनुसरण करता आ रहा है, ताकि आधिकारिक प्रशासनिक प्रबंधन के स्थान पर बाजार आधारित प्रबंधन हो सके। ■

कोरोना के विरुद्ध युद्ध के लिये हम तैयार हैं

अब हमें मिला एक और सुरक्षा कवच। आएं, कोविड-19 टीकाकरण अभियान के साथ जुड़ें।

पूर्ण सुरक्षा के लिए टीकाकरण के बाद भी पांच सावधानियाँ अवश्य बरतें!

- नारंग रसी से पहले
- शायी को जिम्मेदार स्थल से छालून व यात्री से घोरे या सैमिटाइजर का प्रयोग करें
- आपस में 6 फैट (2 वर्ष)
- लक्षण दिखाने पर तुरत युद्ध को दूरतों से अलग करें
- लक्षण दिखाने पर तुरत परीक्षण करवाएं

हम सुरक्षित देश सुरक्षित

Helpline No.: 1075 (Tollfree) mohfw.gov.in f @MoHFWIndia @MoHFW_INDIA @mohfwindia mohfwindia

योजना - सही विकल्प

बहुविकल्प प्रश्नों का स्तंभ 'योजना-सही विकल्प' में चार विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले प्रतिभागियों के लिए अपना ज्ञान एवं स्मरण शक्ति परखने का यह अच्छा अवसर है। यदि उत्तर समझ न आए तो 'योजना' को उलट कर सही उत्तर जाना जा सकता है।

1. भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है?

1) सोने के सिक्के	2) आहत मुद्रा चांदी के सिक्के
3) लोहे का हल	4) नगर संस्कृति
नीचे दिए गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-	
क) 3, 4, 1, 2	ख) 3, 4, 2, 1
ग) 4, 3, 1, 2	घ) 4, 3, 2, 1
2. भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण 'सत्यमेव जयते' लिया गया है-

क) ऋग्वेद से	ख) मत्स्य पुराण से
ग) भगवद्गीता से	घ) मुण्डकोपनिषद् से
3. प्रसिद्ध 'गायत्री मंत्र' कहां से लिया गया है?

क) यजुर्वेद	ख) अथर्ववेद
ग) ऋग्वेद	घ) सामवेद
4. 1420 ई. में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का क्या नाम था?

क) डोमिंगो पायस	ख) एडोआर्डो बारबोसा
ग) निकोलो डि कोण्टी	घ) अब्दुर्रज्जाक
5. कृष्णदेव राय ने कौन-सी पुस्तक लिखी थी?

क) मिताक्षरा	ख) राजतरंगिणी
ग) कर्पूर मंजरी	घ) अमुक्त माल्यद
6. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?

क) 1856 ई. में ईश्वर चन्द्र विद्या सागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून बना।
ख) इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन एक्ट, 1931 में लॉर्ड इर्विन के कार्यकाल में बना।
ग) वर्ष 1948 में शारदा एक्ट में बदलाव कर लड़की की विवाह उम्र 16 और लड़के की 19 वर्ष कर दी गई।
घ) 1891 में बहारामजी मालाबारी के प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट बना।
7. निम्नलिखित युगमों पर विचार कीजिए-

1) आदि ब्रह्म समाज	देवनेन्द्र नाथ टैगोर
2) भारतीय ब्रह्म समाज	आत्माराम पांडुरंग
3) साधारण ब्रह्म समाज	आनंद मोहन बोस
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-	
क) केवल 1	ख) केवल 2 और 3
ग) केवल 2 और 3	घ) केवल 1 और 3
8. सूची-1 को सूची-2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए-

सूची-1	सूची-2
ए) अभिनव भारत समाज	1) श्री अरविन्द घोष
बी) अनुशीलन समिति	2) लाला हरदयाल
सी) गदर पार्टी	3) सी. आर. दास
डी) स्वराज पार्टी	4) वी. डी. सावरकर

कूट-

क) ए-4; बी-1; सी-3; डी-2
ख) ए-1; बी-4; सी-3; डी-2
ग) ए-1; बी-4; सी-2; डी-3
घ) ए-4; बी-1; सी-2; डी-3
9. यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं, तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना होगा?

क) 6	ख) 7
ग) 8	घ) 9
10. विश्व मौसम विज्ञान संगठन (बल्ड मीटीअरलॉजिकल आर्गनाइजेशन) का मुख्यालय कहां स्थित है?

क) वाशिंगटन	ख) जेनेवा
ग) मास्को	घ) लंदन

 6. ए, 7. ए, 8. ए, 9. ए, 10. ए
 जवाब : 1. ए, 2. ए, 3. ए, 4. ए, 5. ए,

एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी)

मेरा राशन मोबाइल ऐप

एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड प्रणाली की प्रमुख बातें

One Nation One Ration Card

- देश में एक अपने तरह की लाभार्थी केंद्रित पहल
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी हेतु तकनीक तथा डेटा से लैस प्रणाली
- देश भर में किसी भी स्थान पर एनएफएसए प्रवासियों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना
- राशन कार्ड विस्तृत विवरण और योग्यता की जानकारी देश भर में किसी भी ई-प्वाइंट ऑफ सेल्स डिवाइस पर उपलब्ध
- राशन कार्डों की राज्यों के भीतर और राज्यों की सीमा से बाहर पोर्टेबिलिटी की सुविधा।



एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना पर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने मेरा राशन मोबाइल ऐप भी शुरू किया है। यह ऐप उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा जो अपनी आजीविका के लिए अपने मूल निवास स्थान से किसी अन्य स्थान पर जाते हैं। यह योजना आरंभ में चार राज्यों में अगस्त 2019 में शुरू की गई थी और बहुत ही कम समय में दिसंबर 2020 तक 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू कर दिया गया। बचे हुए 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में भी अगले कुछ महीनों में इसके लागू होने की संभावना है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 69 करोड़ एनएफएसए लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं जो कुल एनएफएसए जनसंख्या का लगभग 86 प्रतिशत है और प्रतिमाह देश में औसतन 1.5 से 1.6 करोड़ लोगों को ओएनओआरसी से जोड़ा जा रहा है। ओएनओआरसी प्रत्येक एनएफएसए लाभार्थी के लिए एक उल्लेखनीय सुविधा है। इसके तहत कोविड-19 महामारी के दौरान विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों को लाभ पहुंचा और वे सब्सिडी पर खाद्यान्न प्राप्त कर सके। लॉकडाउन के दौरान लाभार्थी जहां भी थे वहां पर इस सुविधा का लाभ उठाते हुए खाद्यान्न प्राप्त कर सके। इसके अंतर्गत

मेरा राशन
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारत सरकार

← आसपास की राशन की दुकानें :

निम्नलिखित दुकानें आपके वर्तमान स्थान के पास मिलती।
दिशा-निर्देशों के लिए नवशा पर क्लिक करें

वर्तमान स्थान का विवरण

राज्य जिला पता	: TELANGANA HYDERABAD BRKR BHAVAN GOVERNMENT OFFICES COMPLEX, NH 44, HILL FORT, ADARSH NAGAR, HYDERABAD, TELANGANA 500063, INDIA BRKR BHAVAN GOVERNMENT OFFICES COMPLEX
नवदीर्घी निट्रोजन	
Latitude Longitude	: 17.407569 78.4742348

राज्य : TELANGANA
जिला : HYDERABAD
दुकान संख्या : 1674456
विक्रेता का नाम : NA
दूरी : 0.56 KM Lat:17.4025 Long:78.4746

राज्य : TELANGANA
जिला : HYDERABAD
दुकान संख्या : 1676609
विक्रेता का नाम : NA
दूरी : 0.83 KM Lat:17.40849 Long:78.48202

NATIONAL INFORMATION CENTRE **NIC** वन नेशन वन राशन कार्ड

किसी भी एफपीएस के चयन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के बीच ओ एन ओ आर सी के अंतर्गत लगभग 15.4 करोड़ पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए गए।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग क्षमता निर्माण के लिए जिला स्तर के अधिकारियों, क्षेत्रीय कर्मचारियों और फेयर प्राइस शॉप (एफपीएस) डीलरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वेबकास्टिंग के माध्यम से लगातार व्यवस्थित ढंग से प्रशिक्षित कर रहा है।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा ओ एन ओ आर सी में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का राष्ट्रव्यापी अभियान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत चलाया जा रहा है। यह व्यवस्था सभी एनएफएसए लाभार्थीयों को, विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थीयों को सहूलियत देती है। इसके अंतर्गत लाभार्थी अपने हिस्से का पूरा राशन या उसका कुछ हिस्सा देश की किसी भी स्तरी दर की दुकान यानी एफपीएस से लेने का अधिकारी है। बायोमेट्रिक या आधार प्रमाणन से यह लाभ

उठाया जा सकता है। इस सिस्टम की मदद से ही ऐसे प्रवासी श्रमिकों के परिवार के सदस्यों के घर वापसी की स्थिति में बचे हुए राशन को उसी राशन कार्ड से अन्य स्थान से प्राप्त करने की भी सुविधा मिलती है। ■

कवर 2 का शेष...

जीएसटी का सफर

मार्च, 2021 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,23,902 करोड़ रुपये का रहा जो अब तक का रिकॉर्ड है। इसमें सीजीएसटी 22973 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 29,329 करोड़ रुपये और आईजीएसटी 62,842 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर हासिल 31,097 करोड़ रुपये समेत) रहा। सकल संग्रह में उपकर का हिस्सा 8,757 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात से हासिल 935 करोड़ रुपये समेत) रहा।

सरकार ने आईजीएसटी से नियमित निपटान के रूप में सीजीएसटी में 21,879 करोड़ रुपये और एसजीएसटी में 17,230 करोड़ रुपये का निपटारा किया है। इसके अतिरिक्त केन्द्र और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के बीच 50:50 के अनुपात में आईजीएसटी के रूप में 28,000 करोड़ रुपये का तदर्थ निपटारा किया गया है। मार्च, 2021 में नियमित और तदर्थ निपटारे के बाद केन्द्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिये 58,852 करोड़ रुपये और एसजीएसटी का 60,559 करोड़ रुपये रहा। केन्द्र ने मार्च, 2021 के दौरान 30,000 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति भी जारी की है।

मार्च, 2021 में माल और सेवा कर से प्राप्त राजस्व जीएसटी लागू होने के बाद से सबसे ज्यादा है। पिछले पांच महीनों में जीएसटी राजस्व संग्रह में लगातार सुधार आया है। मार्च, 2021 में प्राप्त

राजस्व पिछले साल इसी महीने के संग्रह से 27 प्रतिशत ज्यादा है। पिछले साल इसी माह की तुलना में मार्च, 2021 में वस्तुओं के आयात से प्राप्त राजस्व 70 प्रतिशत और स्वदेशी लेन-देन (सेवाओं के आयात समेत) से हासिल जीएसटी 17 प्रतिशत अधिक रहा। पिछले वित्त वर्ष की तिमाहियों की तुलना में 2020-21 में जीएसटी राजस्व में वृद्धि की दर पहली तिमाही में (-) 41 प्रतिशत, दूसरी में (-) 8 प्रतिशत, तीसरी में 8 प्रतिशत और आखिरी तिमाही में 14 प्रतिशत दर्ज की गयी। इससे जीएसटी राजस्व के साथ ही समूची अर्थव्यवस्था के उबरने के रुख का स्पष्ट संकेत मिलता है।

पिछले लगातार छह महीनों में जीएसटी से प्राप्त राजस्व 100000 करोड़ रुपये से ज्यादा का रहा है। इस काल में जीएसटी राजस्व में तेजी से बढ़ोतारी का रुख कोविड 19 की वैश्विक महामारी के बाद अर्थव्यवस्था के तेज गति से उबरने का स्पष्ट संकेत है। फर्जी बिलों के खिलाफ कड़ी निगरानी, जीएसटी, आयकर और आयात कर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली समेत अनेक स्रोतों के आंकड़ों के गहन विश्लेषण तथा प्रभावशाली कराधान व्यवस्था ने भी पिछले कुछ महीनों में टैक्स राजस्व में लगातार वृद्धि में योगदान किया है।

नीचे, चार्ट में वित्त वर्षों 2019-20 और 2020-21 में मासिक सकल जीएसटी राजस्व के रुख को दर्शाया गया है।

जीएसटी संग्रह के रुझान (करोड़ रुपये में)



रजि.सं. डी.एल.(एस)-05/3231/2021-23
Reg. No. DL(S)-05/3231/2021-23 at RMS, Delhi
28 अप्रैल, 2021 को प्रकाशित
• 2-3 मई, 2021 को डाक द्वारा जारी

Licenced under U (DN)-55/2021-23

आर.एन.आई. 951/57
R.N.I. 951/57



देश का अपना 24X7 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी चैनल

“इंडिया साइंस”-इंटरनेट आधारित ओवर-द-टॉप (ओटीटी) चैनल है। यह 24X7 वीडियो प्लेटफॉर्म जनमानस में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी ज्ञान, लोकाचार, सांस्कृतिक पहलुओं और वैज्ञानिक जागरूकता के प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है।



www.indiascience.in



प्रकाशक व मुद्रक: मोनीदीपा मुखर्जी, महानिवेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा प्रकाशन विभाग के लिए जे.के. ऑफसेट, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020 द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। वरिष्ठ संपादक: कुलश्रेष्ठ कमल

YH-1567/2021